REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 3, 1976/आषाढ़ 12, 1898
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 3, 1976/ASADHA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 14 जून, 1976

का॰ आ॰ 2208—दण्ड प्रक्रिया महिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बम्बई के एडवोकेट श्री पी॰ आर॰ नामजोशी को 32 वे एडीशनल चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में, श्री गोपी नाथ तिवाडी, प्रोपराइटर मैसर्स तिवाडी ट्रेडर्स कानपुर और अन्य के विरुद्ध मामले आर-सी-सख्या 5/ई ओ डब्ल्यू/72, 1/ई ओ डब्ल्यू/74-दिल्ली, 2/ईओ डबल्यू 74-दिल्ली और 3/ई ओ डब्ल्यू/74/दिल्ली मे अभियुक्त व्यक्तियों के अभियोजन हेतु, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[सख्या 225/35/76-ए वी डी-2]

बी॰ सी॰ वन्जानी, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 14th June, 1976

S.O. 2208.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. R Namjoshi, Advocate, Bombay as Special Public Prosecutor for the purpose of the prosecution of the accused in case R. C. Nos. 5/EOW/72, I/EOW/74-Delhi, 2/EOW/74-Delhi and 3/EOW/74-Delhi, against Shri Gopi Nath Tiwari, Prop. M/s Tewari Traders, Kanpur and others in the court of the 32nd Additional Chief Metropolitan Magistrate, Bombay.

[No. 225/35/76-AVD II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 11 जून, 1976

का॰ आ॰ 2209—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग गुजरात सरकार के परामर्श से श्री बी॰ सी॰ मारु के स्थान पर, श्री आर बी॰ चन्द्रामौली, सचिव, गृह विभाग, गुजरात सरकार को तारीख 7 जून, 1976 से गुजरात राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप मे अगले आदेशो तक एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है ।

[स॰ 154/गजरात/76]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 11th June, 1976

S.O. 2209.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Gujarat, hereby nominates Shri R. V. Chandramouli, Secretary to Government, Home Department as Chief Electoral Officer for the State of Gujarat with effect from 7 June, 1976 and until further orders vice Shri B. C. More.

[No. 154/GJ/76]

नई दिल्ली, 14 जून, 1976

का० आ० 2210.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, दिल्ली प्रशासन के परामर्श से, श्री रजनी कांत के स्थान पर श्रीमती एस० दुग्गल, सचिव (विधि व न्यायिक) दिल्ली प्रशासन, को तारीख 26 मई, 1976 से दो माह के लिए या अगले आदेशों तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/दिल्ली/76]

वी० नागासुब्रामणियन, सचिव

New Delhi, the 14th June, 1976

S.O. 2210.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Delhi Administration, hereby nominates Shrimati S. Duggal, Secretary (Law and Judicial), Delhi Administration, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Delhi for a period of two months with effect from 26 May, 1976 or until further orders vice Shri Rajnikant.

[No. 154/DL/76]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1976

बीमा

का० आ० 2211.—आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 50) की धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 5483 तारीख 10 दिसम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित, आपात संकट (माल) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम आपात संकट (माल) बीमा (तृतीय संशोधन) स्कीम, 1976 है।

2. आपात संकट (माल) बीमा स्कीम में,—

(क) पैरा 19 के उप-पैरा (4) में, "राजस्व और बीमा विभाग" शब्दों के स्थान पर, "आर्थिक कार्य विभाग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) तृतीय अनुसूची के पैरा 5 में, "राजस्व और बीमा विभाग" शब्दों के स्थान पर, "आर्थिक कार्य विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 66 (1) बीमा III(1)/76-I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th June, 1976

INSURANCE

S.O. 2211.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Emergency Risks (Goods) Insurance Act, 1971 (50 of 1971), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 5483, dated the 10th December, 1971, namely :—

1. This scheme may be called the Emergency Risks (Goods) Insurance (Third Amendment) Scheme, 1976.

2. In the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme,—

(a) in sub-paragraph (4) of paragraph 19, for the words and abbreviation "Department of Revenue & Insurance", the words "Department of Economic Affairs" shall be substituted;

(b) in paragraph 5 of the Third Schedule, for the words "Department of Revenue and Insurance", the words "Department of Economic Affairs" shall be substituted.

[F. No. 66(1) Ins.-III(1)/76-I]

का० आ० 2212.—आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51) की धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 5486 तारीख 10 दिसम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित, आपात संकट (उपक्रम) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम आपात संकट (उपक्रम) बीमा (तृतीय संशोधन) स्कीम, 1976 है।

2. आपात संकट (उपक्रम) बीमा स्कीम में,—

(क) पैरा 18 के उप-पैरा (3) में, "राजस्व और बीमा विभाग" शब्दों के स्थान पर, "आर्थिक कार्य विभाग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) तृतीय अनुसूची के पैरा 5 में, "राजस्व और बीमा विभाग" शब्दों के स्थान पर, "आर्थिक कार्य विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

[सख्या 66(1) बीमा III (1)/176-I]

S.O. 2212.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Emergency Risks (Undertaking) Insurance Act, 1971 (51 of 1971), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue

and Insurance No. S.O. 5486, dated the 10th December, 1971, namely :—

1. This scheme may be called the Emergency Risks (Undertaking) Insurance (Third Amendment) Scheme, 1976.

2. In the Emergency Risks (Undertaking) Insurance Scheme,—

(a) in sub-paragraph (3) of paragraph 18, for the words "Department of Revenue and Insurance", the words "Department of Economic Affairs" shall be substituted;

(b) in paragraph 5 of the Third Schedule, for the words and abbreviation "Department of Revenue & Insurance", the words "Department of Economic Affairs shall be substituted.

[F. No. 66(1)-Ins-III(1)/76-II]

का० आ० 2213.—आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 5486, तारीख 10 दिसम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित, आपात संकट (उपक्रम) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का नाम आपात संकट (उपक्रम) बीमा (चतुर्थ संशोधन) स्कीम 1976 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. आपात संकट (उपक्रम) बीमा स्कीम में, पैरा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"20 अधिनियम के कतिपय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

(1) निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति, अर्थात् :—
निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी को, जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आपात संकट बीमा स्कीम निदेशालय में आपात संकट बीमा कार्य के संबंध में नियोजित है, धारा 8 में यथा उपबंधित, कोई सूचना प्राप्त करने या कोई अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस स्कीम के अधीन बीमा की कोई पालिसी लेने का दोषी है या जिसने पालिसी ली है, उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को, सभी समय, सभी ऐसी युक्तियुक्त सुविधा की व्यवस्था करेगा या कराएगा, जिस से वह इस स्कीम के अनुसरण में या उसके सम्बन्ध में कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ हो सके ।

[फ० सं० 66(4) Ins. III(1)/76)]

आर० डी० खानवालकर, अवर सचिव

S.O. 2213.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Act, 1971 (51 of 1971), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, published with the notification of the Government of India in Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 5486, dated the 10th December, 1971, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Undertakings) Insurance (Fourth Amendment) Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, for paragraph 20, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"20. *Persons authorised for certain purposes of the Act.*

(1) Each of the following persons namely, The Director, Deputy Director, Assistant Director, Chief Enforcement Officer and Enforcement Officer, employed in connection with the Emergency Risks Insurance Work in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Directorate of Emergency Risks Insurance Scheme, is hereby authorised to obtain any information and to do any other thing as provided for in section 8.

(2) Every person who is liable to take out, or who has taken out, a policy of insurance under this Scheme shall at all times provide and cause to be provided all reasonable facilities to the person referred to in sub-paragraph (1) for enabling him to discharge his duties in pursuance of or in relation to this Scheme."

[F. No. 66(4) Ins. III/1/76]

R. D. KHANWALKAR, Under Secy.

राजस्व और बैंककारी विभाग

नई दिल्ली, 15 मई, 1976

(आयकर)

का० आ० 2214.—ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर अपनी इस राय पर कि मामले की विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित स्टेट कोआपरेटिव बैंकों को, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उन उधारों पर, जो 1974 की स्कीम के अधीन और 1 अप्रैल, 1975 को प्रारम्भ होने वाली तथा 30 जून, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए रिबेट के लिए अर्हित है, ब्याज से हुई उनकी आय की बाबत ब्याज-कर के उद्ग्रहण से छूट देती है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में 'केन्द्रीय सहकारी बैंक' और 'राज्य सहकारी बैंक' पद से वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में इसे दिया गया है ।

[सं० 1319(फा० सं० 160/5/75-आई० टी० (ए०आई)]

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

New Delhi, the 15th May, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 2214.—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Interest-Tax Act, 1974 (45 of 1974), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, being of opinion that it is necessary or expedient so to do having regard to the peculiar circumstances of the case hereby exempts State co-operative banks included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) from the levy of interest-tax in respect of their income from interest on the borrowings of the central co-operative banks which qualify for rebate under

the scheme for the year 1974 and for the period beginning on the 1st day of April, 1975 and ending with the 30th day of June, 1975.

Explanation.—In this notification, the expressions "Central co-operative bank" and "State co-operative bank" shall have the same meanings assigned to them in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

[No. 1319 (F. No. 160/5/75-IT(AI)]

नई दिल्ली, 1 जून, 1976

(आय-कर)

का० आ० 2215.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 'भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स' को निर्धारण वर्ष (वर्षों) 1976-77 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[स० 1344 (फा० सं० 197/1/76-आई० टी० (स० 1)]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप सचिव

New Delhi, the 1st June, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 2215.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies 'The Bharat Scouts & Guides' for the purpose of the said section for and from assessment year(s) 1976-77.

[F. No. 1344/F. No. 197/1/76-IT(AI)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 मई, 1966

(आय-कर)

का० आ० 2216.—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सर्वेन्ट्स आफ इन्डिया सोसाइटी, पूना" को निर्धारण वर्ष (वर्षों) 1976-77 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 1328 (फा० स० 197/3/76-आई० टी० (ए 1)]

के० आर० राघवन, निदेशक

New Delhi, the 20th May, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 2216.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies "Servants of India Society, Poona" for the purpose of the said section for and from the assessment years 1976-77.

[No. 1328 (F. No. 197/5/76-IT(AI)]

K. R. RAGHAVAN, Director.

का० आ० 2217.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (ii) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मन्दिर, पलयशिवराम ग्राम व डाकघर, चिंगलेपुट जिला को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[स० 1329 (फा० सं 176/39/76)-आई० टी० (ए 1)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

S.O. 2217.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Sri Lakshminarasimhaswamy Temple, Palayasivaram Village & Post, Chingleput District to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Section.

[No. 1329 (F. No. 176/39/76-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1976

(आय-कर)

का०आ० 2218.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए सर्वश्री पी० कृष्णमाचार्युलु और एस० ए० वर्मा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. अधिसूचना सं० 993 (फा० स० 404/98/75 आई०टी०सी०सी०) तारीख 30 जुलाई, 1975 और सं० 78 (फा० स० 404/42/71 आई टी सी सी) तारीख 11 मार्च, 1971 के अधीन की गई सर्वश्री के० एस० कृष्णमूर्ति और बी० वी० यावलकर की नियुक्तियां तुरन्त रद्द की जाती है ।

3 यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

[स० 1330 (फा० स० 404/124/76 आई०टी०सी०सी०)]

New Delhi, the 24th May, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 2218.—In exercise of the powers conferred under sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri P. Krishnamacharyulu and S. A. Verma who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointments of S/Shri K. S. Krishnamurthy and R. V. Yawalkar made under Notification No. 993 (F. No. 404/98/75-ITCC) dated 30th July, 1975 and No. 78 (F. No. 404/42/71-ITCC) dated 11th March, 1971 respectively are hereby cancelled with immediate effect.

3. This notification shall come into force with immediate effect.

[No. 1330 (F. No. 404/124/76-ITCC)]

नई दिल्ली, 25 मई, 1976

(आयकर)

का० आ० 2219.—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आर० एस० बलसरे को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियो क. प्रयोग करने को प्राधिकृत करती है ।

2. अधिसूचना सं० 492(फा०सं० 404/194/73-आई टी सी सी) तारीख 31 अक्तूबर, 1973 के अधीन की गई श्री आर० सी० पाठक की नियुक्ति तुरन्त रद्द की जाती है ।

3. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

[स० 1332 (फा०स० 404/98/76-आई० टी० सी० सी०)]

New Delhi, the 25th May, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 2219.—In exercie of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri R. S. Balsare who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri R. C. Pathak under Notification No. 492 (F. No. 404/194/73-ITCC) dated 31st October, 1973 is hereby cancelled with immediate effect.

3. This Notification shall come into force with immediate effect.

[No. 1332 (F. No. 404/98/76-ITCC)]

नई दिल्ली, 26 मई, 1976

(आय-कर)

का० आ० 2220.—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्री एस० गंगाधरण को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने को प्राधिकृत करती है ।

2 अधिसूचना संख्या 902 (फा० स० 404/85/75-आई टी सी सी) तारीख 16 मई, 1975 के अधीन की गई श्री कुरियन वर्गीज की नियुक्ति 15 जून, 1976 से रद्द की जाती है ।

3. यह अधिसूचना 15 जून, 1976 को प्रवृत्त होगी ।

[सख्या 1336 (फा० स० 404/128/76-आई टी० सी० सी०)]

वी० पी० मित्तल, उप-सचिव

New Delhi, the 26th May, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 2220.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961), the Central Government hereby authorise Shri S. Gangadharan who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri Kurien Varghese made under Notification No. 902 (F. No. 404/85/75-ITCC) dated 16th May, 1975 is hereby cancelled with effect from 15th June, 1976.

3. This Notification shall come into force with effect from 15th June, 1976.

[No. 1336 (F. No. 404/128/76-ITCC)]

V. P. MITTAL, Dy. Secy.

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 1976

स्टाम्प

का०आ० 2221.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से, जो हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा जारी किये जाने वाले तीन करोड़ रुपये मूल्य के वचनपत्रों के रूप में तदर्थ बन्धपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य, हैं, छूट देती है ।

[(सं० 27/76-स्टाम्प-फा० सं० 471/6/76-सीमाशुल्कVII]

(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 1976

STAMPS

S.O. 2221.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the ad hoc bonds in the form of promissory notes to the value of three crores of rupees to be issued by the Haryana Financial Corporation are chargeable under the said Act.

[No. 27/76-Stamps/F. No. 471/6/76-Cus.VII]

आदेश

स्टाम्प

का०आ० 2222.—केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुम्बई नगर निगम मुम्बई को उक्त निगम अभी द्वारा जारी किये गये ग्यारह करोड़ बयासी लाख, पचास हजार, रुपए अंकित मूल्य के डिबेन्चरों के रूप में बन्धपत्रो पर स्टाम्प शुल्क मद्दे प्रभार्य ग्यारह लाख बयासी हजार और पांच सौ रुपये मात्र समेकित स्टाम्प शुल्क का संदाय करने की अनुज्ञा देती है ।

[सं० 28/76 स्टाम्प फा० स० 471/29/76-शुल्क VII]

ORDER

STAMPS

S.O. 2222.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Bombay Municipal Corporation, Bombay, to pay consolidated stamp duty of eleven lakhs, eighty-two thousand and five hundred rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of eleven crores, eighty-two lakhs and fifty thousand rupees issued by the said Corporation.

[No. 28/76-Stamps/F. No. 471/29/76-Cus.VII]

आदेश

स्टाम्प

का०आ० 2223.—केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम मुम्बई को, उक्त निगम द्वारा चालू किये गये सोलह करोड़ पचास लाख रुपये अंकित मूल्य के बचनपत्रों के रूप में बन्धनपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के मद्दे प्रभार्य नव लाख नब्बे हजार रुपये मात्र समेकित स्टाम्प शुल्क का संदाय करने की अनुज्ञा देती है

[सं० 29/76-स्टाम्प फा० सं० 471/3176-शुल्क VII]

ORDER

STAMPS

S.O. 2223.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Agriculture Refinance and Development Corporation, Bombay, to pay consolidated stamp duty of nine lakhs and ninety thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of promissory notes of the face value of sixteen crores and fifty lakhs of rupees floated by the said Corporation.

[No. 29/76-Stamps/F. No. 471/31/76-Cus. VII]

आदेश

स्टाम्प

का०आ० 2224.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की 9 धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम, मुम्बई को, उक्त निगम द्वारा जारी किये गये तीन करोड़ दो लाख पचास हजार रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचरों के रूप में बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क मद्दे प्रभार्य दो लाख, छब्बीस हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये समेकित शुल्क संदत्त करने की अनुज्ञा देती है।

[सं० 30/76 स्टाम्प फा० सं० 471/32/76-शुल्क VII]

डी० के० आचार्य, अवर सचिव

ORDER

STAMPS

S.O. 2224.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay, to pay consolidated stamp duty of two lakhs, twenty-six thousand, eight hundred and seventy-five rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of three crores ,two lakhs and fifty thousand rupees issued by the said Corporation.

[No. 30/76-Stamps/F. No. 471/32/76-Cus. VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 9 जून, 1976

का० आ० 2225.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध "यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया" पर, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उनका सम्बंध मैसर्जलेज इलैक्ट्रीकल्ज प्रा० लि० की शेयर धारिता से है ।

[सं० 15 (14)-बी ओ III-76]

(Banking Wing)

New Delhi, the 9th June, 1976

S.O. 2225.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of Section 19 of the said Act shall not apply to United Bank of India for a period of two years from the date of this notification in so far as they relate to its holdings in the shares of M/s. Luz Electricals Pvt. Ltd.

[No. 15(14)-B.O. III/76]

का० आ० 2226.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध, दी ग्रिंडलेज बैंक लि०, कलकत्ता, पर, निम्नलिखित कम्पनियों के नामों के आगे दिखाये गये शेयरों को गिरवीदार के रूप में धारिता के सम्बंध में 31 मार्च, 1977 तक लागू नहीं होंगे :—

कम्पनी का नाम	गिरवी की तारीख	धृत शेयरों का चुकता मूल्य
		(लाख रुपये)
1. जे० के० आटोमोबाइल्स प्रा० लि० . . .	24-11-1966	1.65
	3-2-1967	0.25
2. ग्लोब यूनाइटेड इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री कम्पनी लि०	20-11-1967	8.80
	16-2-1968	8.81
	16-3-1968	0.05

[सं० 15(20)-बी० ओ० III-76]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

S.O. 2226.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , th Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply till the 31st March 1977, to the Grindlays Bank Ltd., Calcutta, in respect of the shares held by it as pledgee of the undernoted companies as shown against their names.

Name of the company	Date of lodgement	Paid-up value of shares held
		(In lakhs of Rs.)
1. Jay Kay Automobiles Pvt. Ltd.	24-11-1966	1.65
	3-2-1967	0.25
2. Globe United Engineering & Foundary Co. Ltd.	20-11-1967	8.80
	16-2-1968	8.81
	16-3-1968	0.05

[No. 15(20)-B.O. III/76]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 11th June, 1976

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मई, 1976 के दिनांक 21 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S. O. 2228.—An account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 21st, day of May 1976

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	39,15,43,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion :—		
संचलन में नोट Notes in circulation	7046,50,42,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	182,52,51,000	
जारी किये गये कुल नोट Total notes issued		7085,65,85,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	371,73,97,000	
			जोड़ Total		554,26,48,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		10,94,42,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6520,44,95,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper	..	
कुल देयताएं Total Liabilities		7085,65,85,000	कुल आस्तियां Total Assets		7085,65,85,000

दिनांक, 26 मई, 1976
Dated the 26th day of May, 1976

आर० के० शेषाद्रि, उप गवर्नर
R. K. SESHADRI, Dy. Governor

21 मई 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 21st May, 1976

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid up	5,00,00,000	नोट Notes	39,15,43,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	7,85,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	2,84,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabolisation) Fund	140,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :— (क) देशी (a) Internal	115,48,26,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(ख) विदेशी (b) External	..
		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	321,70,41,000
		विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad	1129,73,49,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
जमाराशियां :—		निवेश	
Deposits :—		Investments	232,65,16,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(a) Government		Loans and Advances to :—	
(i) केन्द्रीय सरकार		(i) केन्द्रीय सरकार को	
Central Government	55,57,63,000	Central Government	.
(ii) राज्य सरकारें		(ii) राज्य सरकारों को	
State Governments	10,03,50,000	State Governments	276,82,93,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(b) Banks		Loans and Advances to :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	
Scheduled Commercial Banks . .	627,31,08,000	Scheduled Commercial Banks. . .	765,98,94,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	
Scheduled State Co-operative Banks .	32,58,77,000	State Co-operative Banks . . .	155,35,88,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		(iii) दूसरों को	
Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,71,12,000	Others	41,97,93,000
(iv) अन्य बैंक		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
Other Banks	81,79,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(a) Loans and Advances to :—	
		(i) राज्य सरकारों को	
		State Governments	75,88,95,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंक को	
		State Co-operative Banks . . .	13,32,37,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	
		Central Land Mortgage Banks .	. .
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	
		Agricultural Refinance & Development Corporation	113,90,00,000
(ग) अन्य		(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों मे निवेश	
(c) Others	1848,06,00,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,95,46,000
देय बिल		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
Bills Payable	93,98,92,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	. .
अन्य देयताएं		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
Other Liabilities	858,14,57,000	Loans and Advances to State Coperative Banks	68,68,89,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	. .
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	387,02,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डिबेंचरों में निवेश	
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank . . .	. .
		अन्य आस्तियां	
		Other Assets	799,46,03,000
रुपये Rupees	4547,20,38,000	रुपये Rupees	4547,23,38,000

दिनांक 26 मई, 1976
Dated the 26th May, 1976

आर० के० शेषाद्रि, उपगवर्नर
R. K. Shashdri, Dy. Governor
[No. F. 10/176-BO.I]
सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, अवर सचिव
C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

New Delhi, the 11th June, 1976

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मई 1976 के दिनांक 28 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S.O. 2228- An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 28th day of May, 1976

इशु विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	20,14,77,000		सोने का सिक्का और बुलियन Gold Coin and Bullion:—		
			(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	182,52,51,000	
परिचलन में नोट Notes in circulation	7026,78,07,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
जारी किये गये कुल नोट Total notes issued		7046,92,84,000	विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	371,73,97,000	
			जोड़ Total		554,26,48,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		12,21,04,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6480,45,3 000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएं Total Liabilities		7046,92,84,000	कुल आस्तियां Total Assets		7046,92,84,000

दिनांक 2 जून, 1976
Dated the 2nd June, 1976

के० आर० पुरी, गवर्नर
K. R. Puri, Governor

28 मई 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 28th May, 1976

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid up	5,00,00,000	नोट Notes	20,14,77,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	7,92,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	छोटा सिक्का खरीदे और भुनाये गये बिल Small Coin	3,23,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	113,58,03,000
		(ख) विदेशी (b) External	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	350,61,48,000
		विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad	1205,06,95,000

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
जमा राशियां :—		निवेश	
Deposits :—		Investments	173,31,97,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम	
(a) Government		Loans and Advances to :—	
(i) केन्द्रीय सरकार		(i) केन्द्रीय सरकार को	
Central Government . . .	53,76,01,000	Central Government	..
(ii) राज्य सरकारें		(ii) राज्य सरकारों को	
State Governments . . .	11,37,98,000	State Governments	260,35,60,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम	
(b) Banks		Loans and Advances to :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	
Scheduled Commercial Banks . .	708,72,34,000	Scheduled Commercial Banks . . .	882,07,24,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	
Scheduled State Co-operative Banks	28,95,26,000	State Co-operative Banks . . .	135,87,64,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		(iii) दूसरों को	
Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,70,97,000	Others	43,19,99,000
(iv) अन्य बैंक		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :	
Other Banks	98,43,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और अग्रिम :	
		(a) Loans and Advances to :—	
		(i) राज्य सरकारों को	
		State Governments.	75,87,55,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	
		State Co-operative Banks . . .	13,28,98,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	
		Central Land Mortgage Banks .	.
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	
		Agricultural Refinance & Development Corporation	113,90,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को डिबेंचरों में निवेश	
(ग) अन्य			
(c) Others	1860,46,35,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,95,46,000
देय बिल		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
Bills Payable	90,24,16,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stablisation) Fund	
अन्य देयताएं		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
Other Liabilities	880,24,17,000	Loans and Advacnes to State Co-Operative Banks	68,29,77,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	387,02,55,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank . . .	
		अन्य आस्तियां	
		Other Assets	802,76,54,000
रुपये Rupees	4655,45,67,000	रुपये Rupees	4655,45,67,000

दिनांक, 2 जून, 1976
Dated, the 2nd day of June, 1976

के० आर० पुरी, गवर्नर
K. R. Puri, Governor

[No. 10/1/76-BOI]
C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 15th May, 1976

S.O. 2229.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

(1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Third Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, in sub-rule (1) of rule 16, for clauses (a) to (g) and Note thereunder the following clauses and Notes shall be substituted, namely :—

"(a) Meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School Stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage.

(b) Meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or daughters, and any other female relation actually dependent on him.

(c) Meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him.

(d) Building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site.

(e) Repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence.

(f) Purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose.

(g) Reconstructing or making additions or alterations to a house already owned or acquired by a subscriber.

(h) Renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Government at a place other than the place of duty.

(j) Acquiring a farm land o rbusiness premises or both (f).

(j) Acquiring a farm land or business premises or both within six months before the date of the subscriber's retirement.

Note—1 : A subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advance for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under clause (d), (f), (g) and (i) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid Scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 17.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under clauses (d), (f), and (i) for purpose of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of his duty.

Note—2 : Withdrawal under clauses (d), (g), (h) or (i) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to the constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note—3 : The amount of withdrawal sanctioned under clause (e) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under clause (d), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is : 3/4th of (balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note—4 : Withdrawal under clauses (d) or (g) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife/husband provided she/he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note—5 : Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under rule 16. But marriage education of different children or illness on different occasions shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under clauses (d) or (i) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note—3.

Note—6 : A withdrawal under rule 16 shall not be sanctioned if an advance under rule 13 is being sanctioned for the same purpose and at the same time."

[No. F. 13(5)-EV (B)/75-GPF]

S.O. 2230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Fifth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in sub rule (1) of rule 15, for clauses (a) to (g) and Note thereunder the following clauses and Notes shall be substituted, namely :—

"(a) Meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage.

(b) Meeting the expenditure in connection with the bethrotal/marriage of the subscriber or his sons or daughters, and any other female relations actually dependent on him.

(c) Meeting the expenses in connection with the illness including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him

(d) Building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residance including the cost of the site.

(e) Repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence.

(f) Purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose.

(g) Reconstructing or making additions or alterations to a house already owned or acquired by a subscriber.

(h) Renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Government at a place other than the place of duty.

(i) Constructing a house on a site purchased under clause (f).

(j) Acquiring a farm land or business premises or both within six months before the date of the subscriber's retirement.

Note—1 : A subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advance for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (d), (f), (g) and (i) for the purposes specified therein and also for the purpose of re-payment of any loan taken under the aforesaid Scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 16.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under clauses (d), (f) and (i) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

Note—2 : Withdrawal under clauses (d), (g), (h) or (i) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note—3 : The amount of withdrawal sanctioned under clause (e) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under clause (d), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is : 3/4th of (balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal (s).

Note—4 : Withdrawal under clause (d) or (g) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife/husband provided she/he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note—5 : Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under rule 15. But marriage/education of different children or illness or different occasions shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under clauses (d) or (i) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note—3.

Note—6 : A withdrawal under rule 15 shall not be sanctioned if an advance under rule 12 is being sanctioned for the same purpose and at the same time."

[No. F. 13(5)-EV/75-GPF]

New Delhi, the 8th June, 1976

S.O. 2231.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Sixth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2 In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in rule 4 for the second proviso and Explanation thereunder, the following proviso and Explanation shall be substituted, namely:—

"Provided further that a temporary Government servant, who is borne on an establishment or factory to which the provisions of Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) would apply or would have applied but for the exemption granted under Section 17 of the said Act, shall subscribe to the General Provident Fund if he has completed six months' continuous service or has actually worked for not less than 120 days during a period of six months or less in such establishment or factory or in any other establishment or factory to which the said Act applies, under the same employer or partly in one and party in the other he has been declared permanent whichever date is the earliest.

Explanation—For the purposes of this rule "continuous service" shall have the same meaning assigned to it in the Employees' Provident Fund Scheme 1952, and the period of work for 120 days shall be computed in the manner specified in the said schemes and shall be certified by the employer."

[No. F. 13(5)-EV(B)/76]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1976

का० आ० 2232.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 एफ की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 22 जुलाई, 1974 के आदेश सं० 60/फा० सं० 328/137/74-धन-कर के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करता है कि इस आदेश के साथ उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आय-कर आयुक्त, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारियों के सम्बन्ध में, आयुक्त होगा।

2. यह आदेश 1 मई, 1976 से लागू होगा।

सारणी

(1)	(2)	(3)
1	आयकर आयुक्त, गुजरात-III, अहमदाबाद	निरीक्षी सहायक आय-कर आयुक्त अभिग्रहण रेंज, I तथा II, अहमदाबाद

[सं० 32/76-फा० सं० 316/83/76-धन कर]

एच० एन० मण्डल, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDER

New Delhi, 23rd April, 1976

S.O. 2232.—In exercise of the powers conferred by the Explanation to sub-section (6) of section 269F of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of Order No. 60/F. No. 328/137/74-WT, dated 22-7-1974, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies that the Commissioner of Income tax specified inColumn (2) of the Table appended to this order shall be the Comissioner in relation to the competent authority or competent authorities specified in the corresponding entry in Coloumn (3) of the said Table :—

2. This order shall come into force on 1st May, 1976.

TABLE

1	2	3
1.	Commissioner of Income-tax, Gujarat-III, Ahmedabad.	Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax Acquisition Ranges I & II, Ahmedabad

[No. 32/76-F No. 316/83/76-WT]
H. N. MANDAL, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 1976

(काफी नियंत्रण)

का० आ० 2233.—काफी नियम 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) तथा (2) के साथ पठित काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री बी० पी० नागराज मूर्ति के स्थान पर, काफी बोर्ड के एक सदस्य के रूप में श्री मकसूद अली खां, सदस्य, राज्य सभा, का निर्वाचन एतद्द्वारा अधिसूचित करती है और निर्देश देती है कि श्री मकसूद अली खां, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 18 नवम्बर 1977 तक या जब तक उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती तब तक इनमें से, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

[फा० सं० 1(5)/74-प्लांट (बी)]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 16th June, 1976

(COFFEE CONTROL)

S.O. 2233.—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby notifies the election of Shri Maqsood Ali Khan, Member, Rajya Sabha, as a member of the Coffee Board, Bangalore, vice Shri B. P. Nagaraja Murthy, and directs that Shri Maqsood Ali Khan shall hold office upto the 18th day of November, 1977, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette or until he ceases to be a Member of the Rajya Sabha, whichever is earlier.

[F. No. 1(5)/74-Plant(B)]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1976

का०आ० 2234.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की, निर्यात पूर्व इस्पात की नलिकाओं और नलिकाकारों (ट्यूबलर्स) के निरीक्षण से संबंधित अधिसूचना सं० का० आ० 2742, तारीख 13 अगस्त, 1970 में नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाये है और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है।

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिये जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1-बी एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल), कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

भारत के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2742, तारीख 13 अगस्त, 1970 में जहां कहीं भी 'और ट्यूबलर', शब्द आये हों, उनका लोप किया जायेगा।

[सं० 6(8)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

ORDER

New Delhi, the 3rd July, 1976

S.O. 2234.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2742, dated the 13th August, 1970, relating to inspection of Steel Tubes and Tubulars prior to their export, in the manner specified below for the development of the export trade of India;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any persons desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days from the date of publication of this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

PROPOSALS

1. In the order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2742, dated the 13th August, 1970, the words "and Tubulars" wherever they occur, shall be omitted.

[No. 6(8)/76/El&EP]

का० आ० 2235.—केन्द्रीय सरकार, घरेलू रेफ्रिजरेटर निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को, उसके स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाले निरीक्षण अभिकरणों के विनिश्चय के विरुद्ध, उक्त नियमों के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्रयोजन विशेषज्ञों के पैनल के रूप में नियुक्त करती है ;

परन्तु यदि उक्त पैनल में से किसी का कोई सदस्य किसी अपील की विषय-वस्तु में वैयक्तिक रूप से हितबद्ध हो, तो वह उस अपील से संबंधित कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा ।

सारणी

वह प्राधिकारी, जिसके विनिश्चय के विरुद्ध अपील हो सकती है	वे व्यक्ति, जो विशेषज्ञों के पैनल में होंगे और जिनको अपील हो सकती है।
(1)	(2)
असम, बिहार, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा मिजोरम एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण कलकत्ता ।	1 निरीक्षण निदेशक (पदेन) कलकत्ता निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान महानिदेशालय, 1, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13 अध्यक्ष 2 निदेशक (चिन्ह) भारतीय मानक संस्थान, कलकत्ता शाखा कार्यालय, 5, चौरंगी एप्रोच, कलकत्ता-13 3. फैक्टरी प्रबंधक, अमेरिकन रेफ्रिजरेटर कं० लि०, ब्लाक 'ए', हाईड रोड, किदरपुर, कलकत्ता-43 4 उप-प्रधान (इंजीनियरी) एयर कण्डीशनिंग कोर्पोरेशन लि०, 17, तारटोला रोड, कलकत्ता-53 5. विक्रय प्रबंधक, एयरकन्डीशनिंग तथा रेफ्रिजरेशन प्रभाग, वोल्टाज, लिमिटेड गिलेन्डर हाउस, 8-नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1 6 प्रबंधक, एप्लीएंसिस डिपार्टमेंट, ब्लुस्टार लि०, 7, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता-1 प्रसदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक (पदेन) निर्यात निरीक्षण परिषद्, 14।1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1
महाराष्ट्र, गुजरात के राज्यों तथा गोआ, दमन, दीव, दादरा तथा नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण मुम्बई / तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्यों तथा लक्ष द्वीप, मिनिकोय तथा अमीन दीव द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाले निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मद्रास एवं कोचीन ।	1. निरीक्षण निदेशक (पदेन) मुम्बई-निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान महानिदेशालय, दूसरी मंजिल आयकर भवन एनेक्सी न्यू मेरिन लाइन्स, मुम्बई-29 अध्यक्ष 2 निदेशक (चिन्ह) भारतीय मानक संस्थान, मुम्बई शाखा कार्यालय, नाबल्टी चैम्बर्स, ग्रांट रोड, मुम्बई-7 वैकल्पिक निदेशक (चिन्ह) भारतीय मानक संस्थान, केन्द्रीय टैक्नालाजी संस्थान परिसर अडयार, मद्रास-600020 3. वर्क्स प्रबंधक, ब्लूस्टार लि० थाणा महाराष्ट्र 4. प्रबंधक (क्वालिटी नियंत्रण) वोल्टाज लि०, एन० के० एम० इन्टरनेशनल हाउस, 178, बैक-बेरिक्लेमेशन, मुम्बई-20 5 विकास इंजीनियर गोदरेज एण्ड बायसी मैन्यु० कं० प्रा० लि० गोदरेज भवन, होम स्ट्रीट फोर्ट जी० पी० ओ० पोस्ट बेग 10128, मुम्बई-1 6 क्वालिटी नियंत्रण प्रबंधक, हैदराबाद एलीवन मेटल वर्क्स लि०, सनत नगर, हैदराबाद, प्रसदस्य संयोजक : संयुक्त निदेशक (पदेन) निर्यात निरीक्षण परिषद्, प्रमन चैम्बर्स, 113, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-4
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर राज्यों तथा दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्यों क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली	1. निरीक्षण निदेशक (पदेन), उत्तरी निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान महा-निदेशालय, जामनगर हाउस, नई दिल्ली अध्यक्ष 2 अध्यक्ष (चिन्ह) भारतीय मानक संस्थान, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफरमार्ग, नई दिल्ली-1 3. प्रबंधक (क्वालिटी नियंत्रण) केलवीनेटर, आफ इंडिया लि०, 19-ए, अलीपुर रोड, दिल्ली-6 4. क्वालिटी नियंत्रण, अनुसंधान तथा विकास प्रबंधक, इलेक्ट्रानिक्स लि०, 12-ए, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1 5 प्रबंधक निदेशक तथा अध्यक्ष फ्रिक इंडिया लि०, जीवन बिहार, 3, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स-113 नई दिल्ली-1 6. मुख्य कार्यपालक, फैडर्स लायड कार्पोरेशन प्रा० लि०, पृज हाउस, एम-13, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1

(1)	(2)
	सदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक (पर्वेन) निर्यात निरीक्षण परिषद, 13/37, पू० वि०, क्षेत्र, आर्य समाज रोड, करौल बाग, नई दिल्ली-5

2 पैनल की गुणपूर्ति तीन की होगी ।

[सं० 6(7)/74-नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O.2235.—In pursuance of rule 7 of the Export of Domestic Refrigerators (Quality Control and Inspection) Rules 1974, the Central Government hereby appoints the persons mentioned in column (2) of the Table given below as the panel of experts for the purpose of hearing appeals under the said rules against the decision of the Inspection Agencies carrying out inspection in the areas mentioned in the corresponding entry in column (1) thereof.

Provided that where a member of any of the said panel is personally interested in the subject matter of any appeal, he shall not take part in the proceedings relating to that appeal.

TABLE

Authority against whose decision appeal lies	Persons constituting the panel of experts to which appeal lies
(1)	(2)
Export Inspection Agency—Calcutta carrying out inspection in the areas covered by the States of Assam, Bihar, Nagaland, Orissa, West Bengal, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and the Union Territories of Mizoram and the Andaman & Nicobar Islands.	1. Director of Inspection (Ex-officio), Calcutta Inspection Circle, Directorate General of Supplies and Disposals, 1, Ganeshi Chandra Avenue, Calcutta-13. ..Chairman. 2. Indian Standards Institution Calcutta Branch Office, 5, Chowringhee Approach, Calcutta-13. 3. Factory Manager, American Refrigerator Co., Ltd., Block 'A' Hide Road, Kidderpore, Calcutta-43. 4. Vice President (Engg.) Air, Conditioning Corporation Ltd., 17, Taratolla Road, Calcutta-53. 5. Sales Manager, Aircond tioning & Refrigeration Division, Gillander House, 8 Netaji Subhash Road, Calcutta-1 6. Manager, Appliances Department, Blue Star Ltd., 7, Hare, Street, Calcutta-1. Non-Member Convener Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council, 14/1B, Ezra Street, Calcutta-1.
Export Inspection Agency—Bombay carrying out inspection in the areas covered by the States of Maharashtra, Gujarat and Union territories of Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli.	1. Director of Inspection (Ex-officio), Bombay Inspection Circle, Directorate General of Supplies and Disposals, 1st Floor, Aayakar Bhavan Annexure, New Marine Lines, Bombay-20 ..Chairman. 2. Indian Standards Institution, Bombay Branch Office, Novelty Chambers, Grant Road, Bombay-7. 3. Works Manager, Blue Star Ltd., Thana, Maharashtra. 4. Manager (Quality Control), Voltas Ltd. NKM International House, 178, Backbay Reclamation Bombay-20. 5. Development Engineer, Godrej & Boyce Mfg. Co., Pvt. Ltd., Godrej Bhawan Home Street, Fort, GPO Post Bag 10123, Bombay-1 6. Quality Control Manager, Hyderabad Allwyn Metal Works Ltd., Sanat Nagar, Hyderabad. Non-Member Convener Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council, Aman Chambers, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4.
Export Inspection Agency—Madras & Cochin carrying out inspection on the areas covered by the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Union Territories of Laccadive, Minicoy and Amindeevi Island.	1. Director of Inspection (Ex-officio), Northern Inspection Circle, Directorate General of Supplies & Disposals, Jamnagar House, New Delhi ..Chairman 2. Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1. 3. Manager (Quality Control), Kelvinator of India Ltd., 19-A, Alipore Road, Delhi-6. 4. Quality Control, Research & Development Manager, Electronics Ltd., 12-A, Connaught Place New Delhi-1 5. Managing Director & Chairman, Frick India Ltd., Jeevan Vihar, 3, Parliament Street, Post Box 113, New Delhi-1. 6. Chief Executive, Fedders Lloyed Corporation Pvt. Ltd., Punj House, M-13, Connaught Circus, New Delhi-1. Non-Member Convener Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council, 13/37, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-5
Export Inspection Agency—Delhi carrying out inspection in the areas covered by the States of Uttar Pradesh, Rajasthan Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Union Territories of Delhi and Chandigarh.	

2. The quorum of the panel shall be three.

[No. 6(7)/74-EI & EP]

का० आ० 2236.—केन्द्रीय सरकार कक्ष वातानुकूलक निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को, उसके स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाले निरीक्षण अभिकरणों के विनिश्चय के विरुद्ध, उक्त नियमों के अधीन अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, विशेषज्ञों के पैनल के रूप में नियुक्त करती है;

परन्तु यदि उक्त पैनल में से किसी का कोई सदस्य किसी अपील की विषय-वस्तु में वैयक्तिक रूप से हितबद्ध हो, तो वह उस अपील से संबंधित कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा ।

सारणी

वह प्राधिकारी जिसके विनिश्चय के विरुद्ध अपील हो सकती है।	वे व्यक्ति, जो विशेषज्ञों के ऐसे पैनल में होंगे और जिनको अपील हो सकती है।
(1)	(2)
असम, बिहार, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा मिजोरम एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कलकत्ता।	1. निरीक्षण निदेशक (पदेन) कलकत्ता निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान महानिदेशालय, 1, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13 . . अध्यक्ष 2 निदेशक (चिह्न) भारतीय मानक संस्थान, कलकत्ता शाखा कार्यालय, 5, चौरंगी एप्रोच, कलकत्ता-13 3. फैक्टरी प्रबंधक, अमेरिकन रेफ्रिजरेटर कं० लि०, ब्लाक 'ए', हाईड रोड, किदरपुर, कलकत्ता-43 4. उप-प्रधान (इंजीनियरी), एयर कन्डीशनिंग एवं रिफ्रिजरेशन कार्पोरेशन लि०, 17, नारटोला रोड, कलकत्ता-53 5. वित्तीय प्रबंधक, एयरकन्डीशनिंग तथा रेफ्रिजरेशन प्रभाग, वोल्टाज लिमिटेड, गिलेन्डर हाऊस, 8, नताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1 6. प्रबंधक, एप्लीएंसिस डिपार्टमेंट, ब्लू स्टार लि०, 7, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता-1 असदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक (पदेन), निर्यात निरीक्षण परिषद् 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1
महाराष्ट्र, गुजरात के राज्यों तथा गोआ, दमन, दीव दादरा तथा नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण—मुम्बई । तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्यों तथा लक्षद्वीप, मिनिकोय तथा अमीन द्वीप, द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों मे निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण—मद्रास एवं कोचीन।	1. निरीक्षण निदेशक (पदेन) मुम्बई निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान का महानिदेशालय, दूसरी मंजिल, आयकर भवन एनेक्सर, न्यू मेरीन लाइन्स मुम्बई-20 . . अध्यक्ष 2 निदेशक (चिह्न), भारतीय मानक संस्थान, मुम्बई शाखा कार्यालय, नावल्टी चैम्बर्स, ग्रांट रोड, मुम्बई-7 3 वैकल्पिक निदेशक (चिह्न), भारतीय मानक संस्थान, केन्द्रीय टैक्नालाजी संस्थान परिसर, अडयार, मद्रास-600020 3. वर्क्स प्रबंधक, ब्लू स्टार लि०, थाना, महाराष्ट्र 4 प्रबन्धक (क्वालिटी नियंत्रण), वोल्टाज लि०, एन० के० एम० इन्टरनेशनल हाऊस, 178 बैकबे रिक्लेमेशन, मुम्बई-20 5 विकास इंजीनियर, गोदरेज एंड बायसी मैन्यु० कं० प्रा० लि०, गोदरेज भवन, होम स्ट्रीट, फोर्ट, जी० पी० ओ० पोस्ट बैग-10123 मुम्बई-1 6. क्वालिटी नियंत्रण प्रबंधक, हैदराबाद एलीवन मैटल वर्क्स लि०, सनत नगर, हैदराबाद । असदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक (पदेन), निर्यात निरीक्षण परिषद् अमन चैम्बर्स, 113, महर्षि कर्वे रोड मुम्बई-4
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर राज्यों तथा दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली	1 निरीक्षण निदेशक (पदेन), उत्तरी निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान महानिदेशालय, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली 2. अध्यक्ष (चिह्न), भारतीय मानक संस्थान, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जाफर मार्ग, नई दिल्ली-1 3. प्रबंधक (क्वालिटी नियंत्रण) केलवीनेटर आफ इंडिया लि०, 19-ए, अलीपुर रोड, दिल्ली-6 4. क्वालिटी नियंत्रण, अनुसंधान तथा विकास प्रबंधक, इलैक्ट्रानिक्स लि०, 12-ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1 5. प्रबंधक निदेशक तथा अध्यक्ष, फिक इंडिया लि०, जीवन बिहार, 3, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पोस्ट बोक्स-113, नई दिल्ली-1 6. मुख्य कार्यपालक, फैडर्स लायड कार्पोरेशन प्रा० लि०, गज हाऊस, एम-13, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1 असदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक (पदेन), निर्यात निरीक्षण परिषद् 13/37, प० वि० क्षेत्र, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5

2. पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी ।

[सं 6(7)/74-नि०नि० तथा नि० उ०]

S.O.2236—In pursuance of rule 7 of the Export of Water Coolers (Quality Control and Inspection) Rules 1974, the Central Government hereby appoints the persons mentioned in column (2) of the Table given below as the panel of experts for the purpose of hearing appeals under the said rules against the decision of the Inspection Agencies carrying out inspection in the areas mentioned in the corresponding entry in column (1) thereof.

Provided that where a member of any of the said panel is personally interested in the subject matter of any appeal, he shall not take part in the proceedings relating to that appeal.

THE TABLE

Authority against whose decision appeal lies	Persons constituting the panel of experts to which appeal lies
(1)	(2)
Export Inspection Agency-Calcutta carrying out inspection in the areas covered by the States of Assam, Bihar, Nagaland, Orissa, West Bengal, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and the Union Territories of Mizoram and the Andaman & Nicober Islands.	1. Director of Inspection (Ex-officio), Calcutta Inspection Circle, Directorate General of Supplies and Disposals, 1, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13 Chairman. 2. Indian Standards Institution Calcutta Branch Office, 5, Chowringhee Approach, Calcutta-13. 3. Factory Manager, American Refrigerator Co. Ltd., Block 'A', Hide Road, Kidderpore, Calcutta-43. 4. Vice President (Engg.), Air Conditioning Corporation Ltd., 17, Taratolla Road, Calcutta-53. 5. Sales Manager, Airconditioning & Refrigeration Division, Gillander House, 8, Netaji Subhas Road, Calcutta-1. 6. Manager, Appliances, Department, Blue Star Ltd., 7, Hare Street, Calcutta-1. Non-Member Convener Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council 14/1B, Ezra Street, Calcutta-1.
Export Inspection Agency-Bombay carrying out inspection in the areas covered by the State of Maharashtra, Gujarat and Union territories of Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli. Export Inspection Agency-Madras & Cochin carrying out inspection in the areas covered by the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Union Territories of Laccadive, Minicoy and Amindeevi Island.	1. Director of Inspection (Ex-officio), Bombay Inspection Circle Directorate General of Supplies and Disposals, 1st Floor, Aayakar Bhavan Annexure, New Marine Lines, Bombay-20..... Chairman. 2. Indian Standard Institution, Bombay Branch Office, Novelty Chambers, Grant Road, Bombay-7. 3. Works Manager, Blue Star Ltd., Thana Maharashtra. 4. Manager (Quality Control), Voltas Ltd., NKM International House, 178 Backbay Reclamation, Bombay-20. 5. Development Engineer, Godrej & Boyce Mfg. Co. Pvt. Ltd., Godrej Bhavan, Home Street, Fort, GPO Post Bag 10123, Bombay-1. 6. Quality Control Manager, Hyderabad Allwyn Metal Works Ltd., Sanat Nagar Hyderabad. Non-Member Convener Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council, Aman Chambers, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4.
Export Inspection Agency-Delhi carrying out inspection in the areas covered by the State of Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Union Territories of Delhi and Chandigarh.	1. Director of Inspection (Ex-officio), Northern Inspection Circle, Directorate General of Supplies & Disposals, Jamnagar House, New Delhi ..... Chairman. 2. Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1. 3. Manager (Quality Control), Kelvinator of India, Ltd., 19-A, Alipore Road, Delhi-6. 4. Quality Control, Research & Development Manager, Electronics Ltd., 12-A, Connaught Place, New Delhi-1. 5. Managing Director & Chairman, Frick India Ltd., Jeevan Vihar, 4, Parliament Street, Post Box 113, New Delhi-1. 6. Chief Executive, Feeders Lloyd Corporation Pvt. Ltd., Punj House 'M13, Connaught Circus, New Delhi-1. Non-Member Convener Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council 13/37, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-5

2. The quorum of the panel shall be three.

[No. 6(7)74-EI & EP]

का० आ० 2237.—केन्द्रीय सरकार जल शीतलित्र निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को उसके स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाले निरीक्षण अभिकरणों के विनिश्चय के विरुद्ध उक्त नियमों के अधीन अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों के पैनल के रूप में नियुक्त करती है;

परन्तु यदि उक्त पैनल में से किसी का कोई सदस्य किसी अपील की विषय-वस्तु में वैयक्तिक रूप से हितबद्ध हो, तो वह उस अपील से संबंधित कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा ।

सारणी

वह प्राधिकारी जिसके विनिश्चय के विरुद्ध अपील हो सकती है	वे व्यक्ति, जो विशेषज्ञों के ऐसे पैनल में होंगे और जिनका अपील हो सकती है
(1)	(2)
असम, बिहार, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा मिजोरम एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में	1. निरीक्षण निदेशक (पदेन) कलकत्ता निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान महानिदेशालय, 1, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13 अध्यक्ष 2. निदेशक (विक्रय) भारतीय मानक संस्थान, कलकत्ता शाखा कार्यालय,

(1)	(2)
निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कलकत्ता।	5, चौरंगी एप्रोच, कलकत्ता-13 3. फैक्टरी प्रबंधक, अमेरिकन रेफ्रिजरेटर कं० लि०, ब्लाक 'ए', हाईड रोड, किदरपुर कलकत्ता-43 4. उप-प्रधान (इंजीनियरी) एयर कंडीशनिंग कार्पोरेशन लि०, 17, टोला रोड, कलकत्ता-53 5. बिक्री प्रबंधक, एयरकन्डीशनिंग तथा रेफ्रिजरेशन विभाग, वोल्टाज लिमिटेड, गिलेन्डर हाऊस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1 6. प्रबंधक, एप्लीएंसिस डिपार्टमेंट, ब्लू स्टार लि०, 7, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता-1 असदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक (पदेन) निर्यात निरीक्षण परिषद्, 14/1-बी; एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1
महाराष्ट्र, गुजरात के राज्यों तथा गोआ, दमन, दीव, दादरा तथा नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुम्बई।	1. निरीक्षण निदेशक (पदेन) मुम्बई निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान महानिदेशालय, दूसरी मंजिल, आयकर भवन एनेक्सर, न्यू मेरी लाइन्स, मुम्बई -20 अध्यक्ष
तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्यों तथा लक्षद्वीप, मिनिकोय तथा अमीनदीव द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाले निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मद्रास एवं कोचीन।	2. निदेशक (चिह्न) भारतीय मानक संस्थान, मुम्बई शाखा कार्यालय, मावल्टी चैम्बर्स, ग्राट रोड, मुम्बई-7 वैकल्पिक निदेशक (चिह्न) भारतीय मानक संस्थान, केन्द्रीय टैकनालोजी संस्थान परिसर, अडयार, मद्रास-600020 3. वर्क्स प्रबंधक, ब्लू स्टार लि० थाणा महाराष्ट्र 4. प्रबंधक (क्वालिटी नियंत्रण) वोल्टाज लि०, एन० के० एम० इन्टरनेशनल हाऊस, 178, बैकबे रिक्लेमेशन, मुम्बई-20 5. विकास इंजीनियर, गोदरेज एन्ड बायस मैन्यु० कं० प्रा० लि०, गोदरेज भवन, होम स्ट्रीट, फोर्ट, जी० पी० ओ०, पोस्ट बैग-10123, मुम्बई-1
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर राज्यों तथा दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली।	6. क्वालिटी नियंत्रण प्रबंधक, हैदराबाद एलविन मैटल वर्क्स लि०, सनत नगर, हैदराबाद, असदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक (पदेन), निर्यात निरीक्षण परिषद् अमन चैम्बर्स, 113, महर्षि कर्वे रोड, बम्बई-4 1. निरीक्षण निदेशक (पदेन), उत्तरी निरीक्षण मंडल, संभरण एवं निपटान महा-निदेशालय, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली . . . अध्यक्ष 2. अध्यक्ष (चिह्न) भारतीय मानक संस्थान, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1 3. प्रबंधक (क्वालिटी नियंत्रण) कैलवीनेटर आफ इंडिया लि०, 19-ए, झलीपुर रोड, दिल्ली-6 4. क्वालिटी नियंत्रण, रिसर्च तथा विकास प्रबंधक इलेक्ट्रानिक्स लि०, 12-ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1 5. प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष, फिक इंडिया लि०, जीवन बिहार, 3, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स-113, नई दिल्ली-1 6. मुख्य कार्यालय, फैडर्स लोयड कार्पोरेशन प्रा० लि०, पंज हाऊस, एम-13, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1 असस्दय संयोजक संयुक्त निदेशक (पदेन) निर्यात निरीक्षण परिषद् 13/37, प० वि० क्षेत्र, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5

2. पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

[सं० 6(7)/74-नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O.2237—In pursuance of rule 7 of the Export of Room Air Conditioners (Quality Control and Inspection) Rules, 1974, the Central Government hereby appoints the persons mentioned in column (2) of the Table given below as the panel of experts for the purpose of hearing appeals under the said rules against the decision of the Inspection Agencies carrying out inspection in the areas mentioned in the corresponding entry in column (1) thereof.

Provided that where a member of any of the said panel is personally interested in the subject matter of any appeal, he shall not take part in the proceedings relating to that appeal.

THE TABLE

Authority against whose decision appeal lies	Persons constituting the panel of experts to which appeal lies
(1)	(2)
Export Inspection Agency-Calcutta carrying out inspection in the areas covered by the States of Assam, Bihar, Nagaland, Orissa, West Bengal Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and the Union Territories of Mizoram and the Andaman & Nicobar Islands.	1. Director of Inspection (Ex-officio), Calcutta Inspection Circle, Directorate General of Supplies and Disposals, 1, Ganesh Chandra Avenue Calcutta-13—Chairman. Director (Marks) 2. Indian Standards Institution Calcutta Branch Office 5, Chowringhee Approach, Calcutta-13. 3. Factory, Manager, American Refrigerator Co. Ltd., Block 'A' Hide Road, Kidderpore, Calcutta-43. 4. Vice President (Engg.), Air Conditioning Corporation Ltd., 17, Taratolla Road, Calcutta-53. 5. Sales Manager, Airconditioning & Refrigeration Voltas Limited Division, Gillander House, 8, Netaji Subhas Road, Calcutta-1. 6. Manager, Appliances Department, Blue Star Ltd., 7, Hare Street, Calcutta-1. *Non-Member Convener* Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council, 14/1B, Ezra Street, Calcutta-1.
Export Inspection Agency-Bombay carrying out inspection in the areas covered by the States of Maharashtra, Gujarat and Union territories of Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli.	1. Director of Inspection (Ex-officio) Bombay Inspection Circle, Directorate General of Supplies and Disposals, 1st Floor, Aayakar Bhavan Annexure, New Marine Lines, Bombay-20. —Chairman
Export Inspection Agency-Madras & Cochin carrying out inspection in the areas covered by the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Union Territories of Laccadive, Minicoy and Amindeevi Islands.	2. Director (Marks) Indian Standards Institution, Bombay Branch Office, Novelty Chambers, Grant Road, Bombay-7. Alternate Director (Marks) Indian Standards Institution, Central Institute of Technology Campus, Adyar Madras-600020. 3. Works Manager, Blue Star Ltd., Thana, Maharashtra 4. Manager (Quality Control), Voltas Ltd., NKM International House 178, Backbay Reclamation, Bombay-20. 5. Development Engineer, Godrej & Boyce Mfg. Co. Pvt. Ltd., Godrej Bhavan, Home Street, Fort, GPO Post Bag 10123, Bombay-1. 6. Quality Control Manager, Hyderabad Allwyn Metal Works Ltd., Sanat Nagar Hyderabad. *Non-Member Convener* Joint Director (Ex-officio), Export Inspection Council, Aman Chambers, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4.
(1)	(2)
Export Inspection Agency-Delhi carrying out inspection in the areas covered by the States of Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Union Territories of Delhi and Chandigarh.	1. Director of Inspection (Ex-officio) Northern Inspection Circle Directorate General of Supplies & Disposals, Jamnagar House, New Delhi. —Chairman. 2. Head (Marks) Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi. 3. Manager, (Quality Control), Kelvinator of India Ltd., 19-A, Alipore Road, Delhi-6. 4. Quality Control, Research & Development Manager, Electronics Ltd., 12-A, Connaught Place, New Delhi-1. 5. Managing Director & Chairman, Frick India Ltd., Jeevan Vihar, 3, Parliament Street, Post Box 113, New Delhi-1. 6. Chief Executive Feeders, Lloyd Corporation Pvt. Ltd., Punj House, M-13, Connaught Circus, New Delhi-1. *Non-Member Convener* Joint Director (Ex-officio) Export Inspection Council, 13/37, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-5.

2. The quorum of the panel shall be three.

[No. 6(7)74-EI & EP]

आदेश

का० आ० 2238.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि ढले हुए लोहे से बने नालों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए; और

केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है और उन्हे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम, (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को, उन लोगों को जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1-बी, एज्रा स्ट्रीट (आठवी मंजिल) कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि ढले लोहे से बने नालों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा;

(2) इस आदेश के उपाबंध मे दिए गए ढले हुए लोहे से बने नाल निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे ढले हुए लोहे से बने नालो पर लागू होंगे;

(3)(क) उन विनिर्देशों को मान्यता देना जो भारतीय या अन्य राष्ट्रीय मानक होंगे;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठनो द्वारा जारी किए गए विनिर्देशो को मान्यता देना;

(ग) उन विनिर्देशो को मान्यता देना जो उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत नही आते है परन्तु संविदात्मक विनिर्देशो के रूप मे निर्यात-कर्ता द्वारा घोषित किए गए ऐसे मामलो की परीक्षा एव अनुमोदन के प्रयोजन के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा ढले हुए लोहे से बने नालो के लिए मानक विनिर्देशो के रूप मे अनुमोदित किए गए हैं;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ढले हुए लोहे से बने ऐसे नालों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणो में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ढले हुए लोहे से बने नाल क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं और निर्यात योग्य हैं।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, समुद्र या वायु-मार्ग द्वारा ढले हुए लोहे से बने नालों के नमूनों के उस निर्यात पर लागू नही होगी, जिसका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य एक सौ पच्चीस रुपए से अधिक न हो।

4. इस आदेश में, ढले हुए लोहे से बने नालों से जल, गैस, मल-प्रवाह तथा इसी प्रकार के प्रयोजन के लिए दाब मुख्य लाइनो के लिए अपकेन्द्री विधि से ढले (बने) लोहे के नाल अभिप्रेत है।

उपाबंध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम ढले हुए लोहे से बने नालों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1976 है।

2. परिभाषाए—इन नियमो मे जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई तथा दिल्ली में स्थापित अभिकरणो में से कोई एक अभिप्रेत है।

(ग) 'ढले हुए लोहे' से बने नालों से जल, गैस, मल-प्रवाह और इसी प्रकार के प्रयोजन के लिए दाब मुख्य लाइन के लिए अपकेन्द्री विधि से ढले (बने) लोहे के नाल अभिप्रेत हैं।

3. (1) क्वालिटी नियंत्रण—ढले हुए लोहे मे बने नालो की क्वालिटी इससे उपाबद्ध सारणी मे विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों सहित विनिर्माण की विभिन्न अवस्थाओं मे निम्नलिखित नियंत्रण लागू करके सुनिश्चित की जाएगी।

(i) क्रय की गई सामग्री का नियंत्रण

(क) बाहर से खरीदी गई सामग्री के लिए वस्तुगत तथा रसायानिक विशेषता बतलाते हुए विस्तृत विनिर्देश संबद्ध विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) संबद्ध विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए गए विनिर्देशो से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परेषण का निरीक्षण/परख की जाएगी,

(ग) संबद्ध विनिर्माता द्वारा विभिन्न विशेषताओं की जांच करने के लिए एक उपयुक्त नमूना योजना अधिकथित की जाएगी तथा उसके लिए अभिलेख रखे जाएंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए सम्बद्ध विनिर्माता द्वारा विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशो मे अधिकथित प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए उपस्करो या उपकरणो की सुविधाए पर्याप्त होगी।

(ग) प्रक्रिया के दौरान लागू किए गए नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए सम्बद्ध विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

(iii) उत्पाद नियंत्रण

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य विनिर्देशो के अनुसार उत्पाद की परख करने के लिए संबद्ध उत्पादन-कर्ता के पास पर्याप्त परख सुविधाए प्राप्त होंगी।

(ख) विनिर्माता द्वारा की गई परखों के संबन्ध में, नियमित रूप से तथा व्यवस्थित रूप से पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण

(क) संबद्ध विनिर्माण मानक विनिर्देश के सुसंगत उपबंधों, यदि कोई हो, का पालन करेगा।

(ख) यदि मानक विनिर्देशो में कुछ भी नही दिया गया हो, तो उत्पाद को भंडारकरण तथा अभिवहन के दौरान मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से भली-भांति परिरक्षित किया जाएगा।

(v) पैकिंग नियंत्रण

(क) पैकिंग क्रेता के अनुरोध के अनुसार या, सामान्य व्यापारी प्रथा के अनुसार होगी।

(ख) नालो के सिरागाट सिरे अभिवहन के दौरान टूट-फूट से उपयुक्ततः सुरक्षित किए जाएंगे।

(2) निरीक्षण :—निर्यात के लिए आशयित ढले हुए लोहे से बने नालों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया ढले हुए लोहे से बने नालों का परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) ढले हुए लोहे से बने नालो के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता, अभिकरण को संविदात्मक विनिर्देशों का विवरण देते हुए, लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ एक घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित ढले लोहे से बने नालों के परेषण का विनिर्माण नियम 3 में अधिकथित क्वालिटी नियंत्रणो का प्रयोग करके किया गया है तथा परेषण इसके लिए मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। इसके साथ-साथ

निर्यात-कर्ता ऐसी सूचना की एक प्रति अभिकरण के कार्यालय के निकटतम निर्यात निरीक्षण परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) के कार्यालय को पृष्ठांकित करेगा। परिषद् के पते निम्नलिखित है :

मुख्य कार्यालय — निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर',
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल)
कलकत्ता-700001

क्षेत्रीय कार्यालय :
1. निर्यात निरीक्षण परिषद्, अमन चेम्बर्स (पांचवीं मंजिल), 113, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-400004
2. निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग्स, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011
3. निर्यात निरीक्षण परिषद्, 13/37, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली 110005

(2) निर्यातकर्ता परेषण पर लगे पहचान चिन्ह भी अभिकरण को देगा।

(3) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना तथा घोषणा विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने के कम से कम दस दिन पहले अभिकरण तथा परिषद् के कार्यालय मे पहुंचेगी।

(4) उप-नियम(1) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण, अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 मे दिए गए रूप में पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया गया है तथा इस संबन्ध में परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हों, का पालन किया गया है, ढले हुए लोहे से बने नालो का निरीक्षण मान्य विनिर्देशो से परेषण की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए करेगा तथा निर्यात-कर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा।

(5) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण तुरन्त ही परेषण के प्रत्येक नाल को यह सुनिश्चित करने के लिए इस ढंग से स्टाम्पित या स्टेंसिल करेगा कि स्टाम्पित या स्टेंसिल किए गए माल को बिगाड़ा न जा सके। परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यात-कर्ता की ऐसी इच्छा हो, तो परेषण को अभिकरण द्वारा स्टाम्पित/स्टेंसिल नही भी किया जा सकेगा। तथापि ऐसी दशा में, निर्यात-कर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील करने का हकदार नही होगा।

(6) यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि ढले हुए लोहे के बने नालों का परेषण मान्य विनिर्देशो की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो वह निरीक्षण की समाप्ति के 3 दिन के भीतर यह घोषित करते हुए निर्यातकर्ता को प्रमाण-पत्र दे देगा कि परेषण निर्यात-योग्य है।

परन्तु जहा अभिकरण का इस प्रकार समाधान नही होता है। वहीं वह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके लिए कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

5 निरीक्षण का स्थान—इन नियमो के अधीन निरीक्षण केवल विनिर्माता के परिसर पर ही किया जाएगा।

6 निरीक्षण फीस—इस नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिए, एक सौ रुपये की न्यूनतम की सीमा मे रहते हुए पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये के लिए पचास पैसे की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में संदत्त की जाएगी।

7. अपील—(1) नियम 4 के उप-नियम (6) के अधीन प्रमाण-पत्र देने के इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन से अन्यून तथा सात से अनधिक व्यक्तियों के विशेषज्ञो के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) ऐसे पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील की निपटारा उसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

सारणी

[नियम 3(1) देखें]

क्रम सं०	अपेक्षाएं	संदर्भ	परख के लिए नमूनों की सं०	लाट आकार	टिप्पणी
1	चाक्षुष (कोटिंग सहित)	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देश	प्रत्येक नाल		
2.	विमाएं				
	(क) माटाई	यथोक्त	यथोक्त		
	(ख) अन्य विमाएं	यथोक्त	यथोक्त	दो घंटो के उत्पादन में एक बार	
3.	सीधापन	यथोक्त	प्रत्येक नाल		
4.	भार	यथोक्त	यथोक्त		
5.	द्रवस्थैतिक दबाव परख	यथोक्त	यथोक्त		
6.	घन परख	यथोक्त	यथोक्त		
7.	ठनक परख या तनन सामर्थ्य	यथोक्त	एक	2 घंटों का उत्पादन (प्रत्येक भट्ठी के लिए)	असफलता की दशा मे 2 और नमूनों की परख की जाएगी। इन दो अतिरिक्त नमूनों में से कोई भी अस्वीकृत हो जाता है तो लॉट अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
8.	कठोरता परख	यथोक्त	एक	प्रत्येक मशीन के लिए 2 घंटों का का उत्पादन	जब नाल का कठोरता अंक विनिर्दिष्ट मान से अधिक हो जाए तो दो घंटों के सारे उत्पादन का सामान्यीकरण किया जाना चाहिए तथा पुनः परखा जाना चहिए। यदि मान विनिर्दिष्ट मान से नीचे का पाया जाता है तो लॉट स्वीकृत किया जा सकता है।
9.	कोटिंग परख	यथोक्त	एक	एक बार का उत्पादन	

[सं० 6(12)/73-नि०नि० तथा नि०उ०]

ORDER

S.O. 2238.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), Cast Iron Spun Pipes should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this order in the Gazette of India to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre'. 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that Cast Iron Spun Pipes shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Cast Iron Spun Pipes (Quality Control and Inspection) Rules, 1976 set out in the Annexure to this Order as the type of quality control and inspection which would be applied to such cast iron spun pipes prior to export,

(3) To recognise

(a) the specifications which shall be Indian or other national standards;

(b) the specifications issued by International Standards Organisations;

(c) the specifications which do not fall under clause (a) or (b) above but approved by a panel of experts appointed by the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such standards declared by the exporter as contractual specifications as the standard specification for cast iron spun pipes.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of any such Cast Iron Spun Pipes unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the Cast Iron Spun Pipes satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are export-worthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air or samples of Cast Iron Spun Pipes to prospective buyers, the f.o.b. value of which does not exceed rupees one hundred and twenty five.

4. In this order Cast Iron Spun Pipes shall mean centrifugally Cast (Spun) iron pipes for pressure main lines for water, gas, sewage and the like.

ANNEXURE

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title—(1) These rules may be called the Export of of Cast Iron Spun Pipes (Quality Control and Inspection) Rules, 1976.

2. Definitions—In these rules unless the context otherwise requires.

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) 'agency' means any of the agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Act.

(c) 'Cast Iron Spun Pipes' means centrifugally Cast (Spun) iron Pipes for pressure lines for water, gas, sewage and the like.

3. (1) Quality control—The quality of cast iron spun pipes shall be ensured by effecting the following controls at different stages of manufacture together with the levels of controls specified in the Table annexed hereto.

(i) Bought out material control:

(a) Detailed specifications shall be laid down for materials bought from outside incorporating physical and chemical properties by the manufacturer concerned.

(b) Each consignment shall be inspected/tested for conformity to the laid down specification by the manufacturer concerned.

(c) A suitable sampling scheme shall be laid down to check the various characteristics records thereof maintained, by the manufacturer concerned.

(ii) Process control:

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer concerned for different processes of manufacture;

(b) Equipment or instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained to verify the controls exercised during the process, by the manufacturer concerned.

(iii) Product control :

(a) The manufacturer concerned shall have adequate testing facilities to test the product as per the specification recognised under section 6 of the Act.

(b) Adequate records in respect of test carried out shall be regularly and systematically maintained, by the manufacturer concerned.

(iv) Preservation control :

(a) The manufacturer concerned shall comply with relevant provisions, if any, of the standard specification;

(b) If nothing is provided for in the standard specifications, the products shall be well preserved against adverse effects of whether conditions during storage and transit.

(v) Packing Control :

(a) Packing shall be in line with the buyer's stipulation or as per normal trade practice.

(b) The spigot ends of the pipes shall be suitably protected against damage during transit.

(2) Inspection—The inspection of cast iron spun pipes intended for export shall be carried out with a view to seeing that the consignment of cast iron spun pipes offered for inspection conforms to the specification recognised under section 6 of the Act.

4. Procedure of inspection—(1) The exporter intending to export a consignment of cast iron spun pipes shall give intimation in writing to the Agency indicating the details of the contractual specification and submit along with such intimation a declaration that the consignment of cast iron spun pipes intended for export have been manufactured by exercising quality controls laid down in rule 3, and that the consignment conforms to the requirements of the specification recognised for this purpose. The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the Office of the Export Inspection Council (hereinafter referred to as the Council) nearest

to the office of the agency. The addresses of the Council are as under:

Head Office: Export Inspection Council, 'World Trade Centre,, 14/1-B. Ezra Street (7th Floor), Calcutta-700001

Regional Offices:
1. Export Inspection Council, Aman Chambers (4th Floor) 113, Maharshi Karve Road, Bombay-400004.
2. Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam Cochin-682011
3. Export Inspection Council, 13/37, Western Extension Area, Arya Samaj Road New Delhi-110005

(2) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency and the council not less than ten days prior to the despatch of the consignment from the premises of the manufacturer.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1), the Agency, on satisfying itself that during the process of manufacture adequate quality controls as provided in rule 3 have been exercised and the instructions, if any, issued by the Council in this regard, have been observed, shall carry out the inspection of cast iron spun pipes to ensure conformity of the consignment to the recognised specification and the exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(5) After completion of inspection, the agency shall immediately stamp or stencil individual pipes in the consignment in a manner as to ensure that the stamped or stencilled goods cannot be tampered with. In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be stamped or stencilled by the agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(6) When the agency is satisfied that the consignment of cast iron spun pipes complies with the requirement of the recognised specification, it shall issue within 3 days of completion of inspection, a certificate to the exporter declaring that the consignment is export-worthy :

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to exporter along with the reasons therefor.

5. Place of inspection—Inspection under these rules shall be carried out at the premises of the manufacturer only.

6. Inspection fee.—A fee at the rate of fifty paise for every hundred rupees of f.o.b. value subject to a minimum of Rupees one hundred rupees shall be paid as inspection fee under these rules.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (6) of rule 4 may within ten days of receipt of communication of such refusal by him prefer an appeal to the panel of experts not less than three but not more than seven such experts as may be appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel shall consist of non-officials.

(3) The quorum of the panel shall be three.

(4) The appeal shall be dispose of within fifteen days of its receipt.

TABLE

[See rule 3(1)]

Sl.No.	Requirement	Reference	No. of samples to be tested	Lot size	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Visual (including coating)	Standard specification recognised for the purpose	Each and every pipe		—
2.	Dimensions				
	(a) Thickness	-do-	-do-		
	(b) Other dimensions	-do-	1	Once in two hours production	—
3.	Straightness	-do-	Each and every pipe		—
4.	Weight	-do-	-do-		—
5.	Hydrostatic test	-do-	-do-		—
6.	Hammer test	-do-	-do-		—
7.	Ring test or Tensile strength	-do-	One	Production of 2 hours (for each furnace)	In case of failure 2 more samples shall be tested. Should either of these additional pieces fails, the lot shall be rejected.
8.	Hardness test	-do-	One	Production of two hours for each machine.	When the hardness number of the pipe exceeds the specified value, the whole lot of two hours production should be normalised and tested again. If the value is found below the specified value, the lot may then be accepted.
9.	Coating test	-do-	One	Production of one shift.	—

[No. 6(12)/73/EI & EP]

आदेश

का०आ० 2239.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि सामान्य नमक का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए निम्न विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षित के अनुसार, निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा दिया है।

अब, अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त उप-नियम के अनुसरण में तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 783, तारीख 23 मार्च, 1974 को अधिक्रांत करते हुए उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर", 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि सामान्य नमक का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ;

(2) (क) इस आदेश के उपाबन्ध-II में दिए गए सामान्य नमक के लिए विनिर्देशों को सामान्य नमक के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना; तथा

(ख) उन विनिर्देशों को मान्यता देना जो क्रेता तथा निर्यात-कर्ता के मध्य सामान्य नमक से संबन्धित निर्यात संविदा में नियत किए जाएं परन्तु यह तब जब कि ऐसे विनिर्देश उक्त उपाबंध में दिए गए विनिर्देशों से निम्न स्तर के न हों, मान्यता देना;

(3) सामान्य नमक निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1976 अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उस रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे सामान्य नमक पर लागू होगा ;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे सामान्य नमक के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि सामान्य नमक निर्यात-योग्य है।

3. इस आदेश की कोई भी बात भूमि, समुद्र या वायु-मार्ग द्वारा सामान्य नमक के नमूनों के भावी क्रेताओं को किए गए निर्यात पर लागू नहीं होगी, परन्तु यह तब जब कि परेषण का पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 100 रु० से अधिक न हो।

4. इस आदेश में 'सामान्य नमक' से समुद्र के लवण-जल से, खोदे हुए कुएं के लवण-जल से, झील के लवण-जल से अपरिष्कृत या परिष्कृत रूप में प्राप्त नमक अभिप्रेत है।

उपाबन्ध—I

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारूप.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामान्य नमक निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 है।

(2) ये . को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत मान्य निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है ;

(ग) 'परिषद्' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ,

(घ) 'सामान्य नमक' से समुद्र के लवण जल से, खोदे हुए कुएं के लवण-जल से, झील के लवण-जल से या तो अपरिष्कृत रूप मे या परिष्कृत रूप में प्राप्त नमक अभिप्रेत है।

3 निरीक्षण का आधार.—सामान्य नमक का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के विचार से किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया.—(1) सामान्य नमक का निर्यात करने की वाछा रखने वाला निर्यात-कर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना अभिकरण को लिखित रूप में देगा और ऐसी सूचना के साथ निर्यात-संविदा की एक प्रति अभिकरण के निकटतम कार्यालय में देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना पोत-लदान की प्रत्याशित तारीख से कम से कम बीस दिन पहले दी जाएगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना के प्राप्त होने पर अभिकरण, नियम 3 और परिषद् द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार निरीक्षण करेगा।

(4) निरीक्षण के पश्चात् यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले सामान्य नमक का परेषण, नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह उप-नियम (2) के अधीन सूचना के प्राप्त होने के बीस दिन के भीतर परेषण को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए निर्यात कर्ता को एक प्रमाण-पत्र देगा ; परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है वहां वह उक्त बीस दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करेगा और इंकार किए जाने की सूचना उसके कारणों सहित निर्यात-कर्ता को देगा।

5 निरीक्षण का स्थान:—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो विनिर्माता के परिसर पर या उस परिसर पर, जहां निर्यात-कर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया जाता है, किया जायेगा परन्तु यह जब जबकि वहां पर इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों। ऐसे सामान्य नमक का विश्लेषण अभिकरण की प्रयोगशाला में किया जाएगा।

6. अपील.—(1) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन प्रमाण-पत्र देने से अभिकरण द्वारा इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, इस प्रकार इंकार किए जाने की सूचना के उसे प्राप्त होने से दस दिन के भीतर, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए

विशेषज्ञों के ऐसे पेनल को जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, अपील कर सकेगा ।

(2) ऐसे विशेषज्ञों के पेनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी ।

(4) अपील का निपटारा उसके प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा ।

उपाबंध- II

सामान्य नमक के लिए विनिर्देश

[पैरा 2 का उप-पैरा (2) देखिए]

(क) खाद्य सामान्य नमक :

खाद्य सामान्य नमक संविदात्मक विनिर्देशों के अनुसार होगा, परन्तु यह तब जबकि वे उस खाद्य नमक के स्तर से, जो उस विशिष्ट समय में समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 और उसके अधीन जारी किए गए अनुदेशों के अन्तर्गत विहित किया गया है, निम्न स्तर के नहीं है । तथापि, यदि आयात करने वाले देश के खाद्य सामान्य नमक की बाबत कानूनी विनिर्देश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन विहित विनिर्देशों से अधिक कठोर हों, तो पूर्व कथित विनिर्देश निर्यात के लिए निरीक्षण का आधार होंगे ।

(ख) औद्योगिक प्रयोजन के लिए सामान्य नमक :

औद्योगिक प्रयोजन के लिए सामान्य नमक नीचे सारणी में दी गई अपेक्षाओं के न्यूनतम के अधीन रहते हुए संविदात्मक विनिर्देशों के अनुसार होगा ।

सारणी

क्रम सं०	विशेषताएं	अपेक्षाएं
1	2	3
(1)	शुष्क दशा में, सोडियम क्लोराइड (अर्थात् एन ए सी एल) का भार के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत . .	98.5%
(2)	शुष्क दशा में, सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त पानी में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ (अर्थात् एन ए सी एल) का भार के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	1.5%
(3)	भार के आधार पर आर्द्रता अधिकतम प्रतिशत	
	(क) 1 जनवरी से 30 जून तक की अवधि के दौरान	3.5%
	(ख) 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की अवधि के दौरान	4.0%

[सं० 6(5)/75-नि०नि०तथा शु० सं०]

ORDER

S.O. 2239.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, that common salt should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 783 dated the 23rd March, 1974, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this Order in the official Gazette to the Export Inspection Council, World Trade Centre, 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

(1) To notify that common salt shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) to recognise—

(a) the specifications for common salt as set out in Annexure II to this Order as the standard specifications for common salt;

(b) the specifications which may be stipulated for common salt in the export contract concerned, between the buyer and the exporter provided that such specifications do not fall below the specifications set out in the said Annexure

(3) to specify the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Common Salt (Quality Control and Inspection) Rules, 1976, as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Common Salt;

(4) to prohibit the export, in the course of international trade of such common salt unless the same is accompanied by a certificate issued by an Inspection Agency, recognised by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the common salt is exportworthy.

3. Nothing in this Order shall apply to the export of samples of common salt to the prospective buyers by land, sea or air provided that the f.o.b. value of the consignment does not exceed rupees one hundred.

4. In this Order common salt shall mean salt obtained from sea-brine, borewell-brine, lake-brine either in the crude or refined form.

ANNEXURE I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Common Salt (Quality Control and Inspection) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on.....

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means the Inspection Agency recognised under section 7 of the Act;

(c) "Council" means the Export Inspection Council, established under section 3 of the Act;

(d) "Common Salt" means the salt obtained from sea-brine, borewell-brine, lake-brine either in crude or refined form.

3. Basis of Inspection: Inspection of common salt shall be carried out with a view to ensuring that the quality of the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Procedure of inspection.—(1) The exporter intending to export common salt give intimation in writing of his intention to do so to the Agency and submit alongwith such intimation a copy of the export contract to the nearest office of the Agency to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(2) Every intimation under sub-rule (1) shall be given not less than twenty days before the expected date of shipment.

(3) On receipt of the intimation under sub-rule (2), the Agency shall carry out the inspection in accordance with rule 3 and instructions issued by the Council from time to time.

(4) If after the inspection, the Agency is satisfied that the consignment of common salt to be exported complies with the requirements of rule 3, it shall, within twenty days of the receipt of the intimation under sub-rule (2), issue a certificate to the exporter declaring the consignment as export-worthy :

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of twenty days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons therefor.

5. Place of inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either at the premises of the manufacturer or at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for the purpose exist therein. The analysis of such common salt shall be conducted at the laboratory of the Agency.

6. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the inspection Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4 may within ten days of receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of not less than three but not more than seven such experts as may be appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE II

SPECIFICATIONS FOR COMMON SALT

[See sub-paragraph (2) of paragraph 2]

(a) Edible common salt.—The edible common salt shall be as per contractual specifications provided that the same are not below the standard of edible salt which at that specific time is prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 as amended from time to time and instructions issued thereunder. However, in case, the statutory specifications for edible common salt of the importing country are more stringent than those prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, the former would form the basis of inspection for export.

(b) Common Salt for Industrial purposes.—The common salt for industrial purpose shall be as per the contractual specification subject to the minimum of the requirements given in the Table below :

TABLE

Sl. No	Characteristics	Requirements
(i)	Sodium chloride (as Nacl) per cent by weight, on dry basis, Min	98.5%
(ii)	Matter soluble and insoluble in water other sodium chloride (as Nacl), per cent by weight, on dry basis, Max	1.5%
(iii)	Moisture, per cent by weight, Max—	
(a)	during the period from Ist January to 30th June	3.5%
(b)	During the period from Ist July to 31st December.	4.0%

[No. 6(5)/75/DI & EP]

आदेश

का० आ० 2240--केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि शक्ति परिणामित्रों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अत, अब केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2 सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे, तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि शक्ति परिणामित्रों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जायेगा।

(2) इस आदेश के उपाबन्ध में दिये गये शक्ति परिणामित्रों निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे शक्ति परिणामित्रों को लागू किया जायेगा;

(3) शक्ति परिणामित्रों के लिए भारतीय या अन्य राष्ट्रीय मानकों को मान्यता देना;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे शक्ति परिणामित्रों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि शक्ति परिणामित्रों का परीक्षण इसकी क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा वह निर्यात-योग्य है।

3 इस आदेश में 'शक्ति परिणामित्र' से लगातार चलने वाले पुर्जों से रहित एक ऐसा उपकरण अभिप्रेत है जो एक कुण्डलन में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण द्वारा उसी आवृत्ति पर तथा सामान्यत वोल्टता एवं धारा के विभिन्न मानों पर एक या अनेक कुण्डलों में परिवर्तित कर देता है।

इसमें एकल फेज के लिये 1 के वी ए तथा अधिक के एवं त्रिफेज प्रचालन के लिये 25 के० वी० ए० तथा अधिक के परिणामित्र और वितरण परिणामित्र सम्मिलित होंगे परन्तु निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे।

(क) मोटर प्रवर्तक परिणामित्र

(ख) खनन परिणामित्र

(ग) वेल्डन परिणामित्र

(घ) जांच परिणामित्र

(ङ) भूसंकित परिणामित्र

(च) एक्सरे परिणामित्र
(छ) रिऐक्टर
(ज) भट्टी प्रकार के परिणामित्र
(झ) बूस्टर परिणामित्र, तथा
(ञ) परिणामित्रों के अन्य विशिष्ट प्रकार।

उपाबन्ध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाये जाने के लिये प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—इन नियमों का नाम संक्षिप्त नाम शक्ति परिणामित्र निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1976 है।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:--

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) इस आदेश में 'शक्ति परिणामित्रों' से लगातार चलने वाले पुर्जों से रहित एक ऐसा उपकरण अभिप्रेत है जो एक कुण्डलन में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण द्वारा उसी आवृत्ति पर तथा सामान्यत: वोल्टता एवं धारा के विभिन्न मानों पर एक या अनेक कुण्डलनों में परिवर्तित कर देता है।

इसमें एकल फेज के लिये 1 के०वी०ए० तथा अधिक के एवं बहुफेज प्रचालन के लिये 25 के०वी०ए० तथा अधिक के परिणामित्र और वितरण परिणामित्र सम्मिलित होंगे, परन्तु निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे:

(क) मोटर प्रवर्तक परिणामित्र
(ख) खनन परिणामित्र
(ग) वेल्डन परिणामित्र
(घ) जांच परिणामित्र
(ङ) भू-संपर्कित परिणामित्र
(च) एक्स-रे परिणामित्र
(छ) रिऐक्टर
(ज) भट्टी प्रकार के परिणामित्र
(झ) बूस्टर परिणामित्र
(ञ) परिणामित्रों के अन्य विशिष्ट प्रकार

3. विनिर्माता का अनुभवी होना.--शक्ति परिणामित्रों के डिजाइन तथा उत्पादन के कार्य का विनिर्माता को पर्याप्त अनुभव होगा। विनिर्माता का अनुभव तब पर्याप्त समझा जायेगा जब वह भारत के किसी भी विद्युत उपक्रम से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में समर्थ होगा कि उसने अपने द्वारा निर्यात किये जाने वाले उसी या उससे अधिक कोटि के शक्ति परिणामित्रों का संतोषप्रद रूप में प्रदाय किया है।

4. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण.--(1) शक्ति परिणामित्रों की क्वालिटी, इन नियमों से उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रण होंगे, अर्थात् :--

(i) खरीदी गई सामग्री तथा घटकों का नियंत्रण:

(क) प्रयुक्त किये जाने वाले सामान या घटकों के गुणधर्मों और सह्यताओं सहित उनकी विस्तृत विमाओं को समाविष्ट करते हुए, क्रय विनिर्देश, विनिर्माता द्वारा अधिकथित किये जायेंगे।

(ख) स्वीकृत परीक्षणों के साथ या तो उत्पादक का क्रय विनिर्देशों की पुष्टि करते हुए परख प्रमाण-पत्र होगा या ऐसे परख प्रमाण-पत्र के न होने पर प्रत्येक परेषण से नमूनों की परख क्रय विनिर्देशों से उनकी अनुरूपता की जांच करने के लिये नियमित रूप से की जाएगी। उत्पादक के परख प्रमाण-पत्रों की शुद्धता सत्यापित करने के लिये उनको पांच परेषणों में कम से कम एक बार प्रति जांच की जायेगी।

(ग) आने वाले परेषणों की सांख्यिकीय नमूना योजना के अनुसार क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण और परख की जायेगी।

(घ) निरीक्षण और परखों के किये जाने के पश्चात् दोषपूर्ण नगों के उचित पृथक्करण और निपटान के लिये व्यवस्थित पद्धति अपनाई जायेगी।

(ङ) उपर्युक्त नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जायेंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण:

(क) विनिर्माण की विधि प्रक्रियाओं के लिये विनिर्माताओं द्वारा विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किये जायेंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित को गई प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिये उपस्करों/माध्यमों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान, प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन को सुलभ बनाने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे।

(iii) उत्पादन नियंत्रण:

(क) विनिर्माता के पास मानक विनिर्देशों के अनुसार, उत्पादन को परख करने के लिए या तो स्वयं अपनी परख सुविधाएं होंगी या जहां ऐसी परख सुविधायें हों वहां उसकी पहुंच होगी। इसके लिये पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे।

(ख) प्रत्येक समाहार की निर्धारित निरीक्षण जांच सूची के अनुसार जांच की जाएगी।

(4) मौसम संबंधी नियंत्रण:

उत्पाद तथा निरीक्षण में प्रयुक्त मापकों और उपकरणों को कालिक जांच या अंशशोधन किया जायेगा और वृत्तकार्ड के रूप में अभिलेख रखे जायेंगे।

5. निरीक्षण का आधार.--निर्यात के लिये आशयित शक्ति परिणामित्रों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जायेगा कि उपर्युक्त नियंत्रणों का सुसंगत स्तरों पर समाधान पूर्ण रीति से प्रयोग किया गया है, तथा शक्ति परिणामित्र मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

6. निरीक्षण की प्रक्रिया: (1) शक्ति परिणामित्रों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता, संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा उपदर्शित करते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ ऐसी घोषणा भी करेगा कि निर्यात के लिये आशयित शक्ति परिणामित्रों का परेषण, नियम 4 में अधिकथित क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिये मान्य विनिर्देश की अपेक्षाओं के अनुरूप है। निर्यात-कर्ता, उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति निर्यात निरीक्षण परिषद् के निकटतम कार्यालय को पृष्ठांकित करेगा। परिषद् के पते निम्नलिखित हैं:—

मुख्य कार्यालय . . . निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700001

क्षेत्रीय कार्यालय: . . 1. निर्यात निरीक्षण परिषद् अमन चैम्बर्स, पांचवीं मंजिल, 113, महर्षि कर्वे रोड, बम्बई-400004

2. निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग्स, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011.

3. निर्यात निरीक्षण परिषद्, 13/37, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली-110005.

(2) निर्यात-कर्त्ता परेषण पर लगाया गया पहचान चिन्ह भी अभिकरण को देगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा, विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम दस दिन पहले अभिकरण के कार्यालय तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् में पहुंचेगी।

(4) उप-नियम (1) तथा (2) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण, अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण के प्रक्रिया के दौरान, नियम 4 में दिये गये पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया गया है तथा इस संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा जारी किये गये अनुदेशों, यदि कोई हों, का पालन किया गया है, परेषण की मान्य विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिये शक्ति परिणामित्रों का निरीक्षण करेगा तथा निर्यात-कर्त्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिये सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(5) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण तुरन्त शक्ति परिणामित्रों के परेषण को ऐसी रीति में मोहर-बंद करेगा कि यह सुनिश्चित हो जाये कि मोहर-बंद किये गये माल को बिगाडा नहीं जा सकता। परेषण की अस्वीकृत की दशा में, यदि निर्यात-कर्त्ता की इच्छा हो तो परेषण अभिकरण द्वारा मोहर-बंद नहीं किया जायेगा। तथापि ऐसी दशा में, निर्यात-कर्त्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

(6) यदि अभिकरण ने अपना यह समाधान कर लिया है कि शक्ति परिणामित्रों का परेषण मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह उप-नियम (3) के अन्तर्गत सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, यह घोषणा करते हुए निर्यात करता को प्रमाण-पत्र दे देगा कि परेषण, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा करता है तथा वह निर्यात योग्य है :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता, वहां वह उक्त दस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार किये जाने की सूचना, उसके कारणों सहित निर्यात-कर्त्ता को देगा।

7. निरीक्षण का स्थान—इन नियमों के अधीन निरीक्षण केवल विनिर्माता के परिसर पर ही किया जायेगा।

8. निरीक्षण फीस—100 रु० की न्यूनतम की सीमा में रहते हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से फीस, निर्यात-कर्त्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में संदत्त की जायेगी।

9. अपील—(1) नियम 6 के उप-नियम (6) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, इस प्रकार उसके द्वारा इंकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने से 10 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजन के लिये नियुक्त कम से कम तीन और सात से अनधिक व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) पैनल में, विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील, इसके प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निपटा दी जायेगी।

सारणी

नियंत्रण के स्तर

(नियम 4 देखिए)

क्रम सं०	निरीक्षण/परख की विशिष्टियां	अपेक्षाएं	नमूना आकार	लाट आकार
1.	खरीदी गई सामग्री तथा घटक			
(क)	दृष्टि निरीक्षण (कारीगरी तथा फिनिश सहित)	उस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	—
(ख)	सहायता सहित विमायें—			
	(i) क्रांतिक	—यथोक्त—	प्रत्येक	—
	(ii) अन्य	—यथोक्त—	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जायेगा।	प्रत्येक लाट
(ग)	कोई अन्य अपेक्षा	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
2.	पूर्ण समाहार			
(क)	कुण्डलन प्रतिरोधन का माप	उस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	—प्रत्येक—	—
(ख)	अनुपात, ध्रुवीयता तथा फेज संबंध	—यथोक्त—	—प्रत्येक—	—
(ग)	प्रतिबाधा वोल्टता	—यथोक्त—	—प्रत्येक—	—
(घ)	भार हानि	—यथोक्त—	—प्रत्येक—	—
(ङ)	शून्य भार हानि तथा शून्य भार धारा	—यथोक्त—	—प्रत्येक—	—
(च)	विद्युत्-रोधन प्रतिरोध	—यथोक्त—	—प्रत्येक—	—
(छ)	प्रति प्रेरित वोल्टता सहन परख	—यथोक्त—	—प्रत्येक—	—
(ज)	पृथक उद्गम वोल्टता	—यथोक्त—	—प्रत्येक—	—
(झ)	शून्य-भार पर वोल्टता अनुपात	—यथोक्त—	—प्रत्येक—	—
(ट)	ताप वृद्धि परख	—यथोक्त—	—एक—	प्रत्येक आकार, प्रकार तथा डिजाइन के 10 नग
(ठ)	आवेग वोल्टता सहन परख	—यथोक्त—	—एक—	12 महीनों में एक ही आकार, प्रकार तथा डिजाइन का उत्पादन
(ड)	बाह्य लघु-पथन दशाओं के अधीन कार्य	—यथोक्त—	—एक—	—यथोक्त—

[सं० 6(12)/75-नि०नि० तथा नि०उ०]

के० वी० बालसुब्रह्मणियम, उप-निदेशक

ORDER

S.O. 2240.—Whereas the Central Government is of opinion that, is exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India that power transformers shall be subject to quality control and inspection prior to export;

And, whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same, within thirty days of the date of publication of this order in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street, 7th floor, Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that power transformers shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Power Transformers (Quality Control and Inspection) Rules, 1976 set out in the Annexure to this Order as the type of quality control and inspection which would be applied to such power transformers prior to export;

(3) To recognise the Indian or any other national standard specification for power transformers;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such power transformers unless the same is accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies established under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of power transformers satisfies the conditions relating to its quality control and inspection and is exportworthy.

3. In this order 'Power transformers' shall mean a piece of apparatus, without continuously moving parts, which by electromagnetic induction transforms alternating voltage and current in one winding into alterating voltage and current in one or more windings usually at different values of voltage and current and at the same frequency.

This shall include transformers of 1 KVA and above for single phase and 25 KVA and above for polyphase operation, and distribution transformers but shall not include :

(a) Motor-starting transformers,
(b) Mining transformers,
(c) Welding transformers,
(d) Testing transformers,
(e) Earthing transformers,
(f) X-ray transformers,
(g) Reactors,
(h) Furnace type transformers,
(j) Booster transformers, and
(k) Other special types of transformers.

ANNEXURE

[Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)].

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Power Transformers (Quality Control and Inspection) Rules, 1976.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise required :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection), Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "agency" means any one of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay or Delhi under section 7 of the Act;

(c) In this order "power transformers" shall mean a piece of apparatus, without continuously moving parts, which by electro-magnetic induction transforms alternating voltage and current in one winding into alternating voltage and current in one or more windings usually at different values of voltage and current and at the same frequency.

This shall include transformers of 1 KVA and above for single-phase and 25 KVA and above for polyphase operation, and distribution transformers but shall not include :

(a) Motor-starting transformers,
(b) Mining transformers,
(c) Welding transformers,
(d) Testing transformers,
(e) Earthing transformers,
(f) X-ray transformers.
(g) Reactors,
(h) Furnace type transformers,
(j) Booster transformers, and
(k) Other special types of transformers.

3. Manufacturer to be experienced.—The manufacturer shall have adequate experience in the design and production of power transformers. The experience shall be deemed adequate if the manufacturer is able to produce a certificate from any of the Electricity Undertakings in India that he has satisfactorily supplied the Power transformers of the same or higher ratings than that is being exported by him.

4. Quality Control and Inspection.—(1) The Quality of the power transformers shall be ensured by exercising the control at different stages of manufacture, specified in the Table annexed to these rules.

(2) The following shall be the controls at different stages of manufacture referred to in sub-rule (1), namely :-

(i) Bought out materials and components control :—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a producer's test certificate corroborating the requirement of the purchase specifications or in the absence of such test certificates, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificates shall be counter-checked at least once in the five consignments to verify the correctness.

(c) The incoming consignments shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plan.

(d) After the inspection and tests are carried out systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained.

(ii) Process Control :—

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various processes of manufacture.

(b) Equipment or instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control :—

(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specification. Adequate records thereof shall be maintained.

(b) Each and every essembly shall be checked against a laid down inspection check list.

(iv) Metcorogical Control.—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of a history card.

5. Basis of Inspection.—The inspection of power transformers intended for export shall be carried out with a view to seeing that the above mentioned controls have been exercised at the relevant levels satisfactorily and the power transformers conform to the standard specifications.

6. Procedure of inspection.—(1) The exporter intending to export a consignment of power transformers shall give intimation in writing to the agency indicating the details of the contractual specification and submit alongwith such intimation a declaration that the consignment of power transformers intended for export has been manufactured by exercising quality controls laid down in rule 4, and that the consignment conforms to the requirements of the specification recognised for this purpose. The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Export Inspection Council. The addresses of the Council are as under :—

Head Office :—

Export Inspection Council, 'World Trade Centre' 14/1B, Ezra Street, 7th Floor, Calcutta-700001.

Regional Offices :—

1. Export Inspection Council, Aman Chambers, 4th Floor, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-400004.

2. Export Inspection Council, Manohar Building, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-682011.

3. Export Inspection Council, 13/37, W.E.A. Western Extension Area, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.

(2) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency and the Export Inspection Council not less than ten days prior to the despatch of the consignment from the premises of the manufacturer.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rules (1) and (2), the agency, on satisfying itself that during the process of manufacture, adequate quality controls as provided in rule 4 have been exercised and the instructions, if any, issued by the Export Inspection Council in this regard, have been observed, shall carry out the inspection of power transformers to ensure conformity of the consignment to the recognised specification and the exporter shall provide all necessary facilities to the agency to enable it to carry out such inspection.

(5) After completion of inspection, the agency shall immediately seal the consignment of power transformers in a manner as to ensure that the goods cannot be tampered with. In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency. In such case, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

(6) When the agency is satisfied that the consignment of power transformers complies with the requirements of the recognised specifications, it shall within ten days of the receipt of intimation and declaration under sub-rule (3), issue a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfies the condition relating to quality control and inspection and is export-worthy :

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of ten days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

7. Place of inspection.—Inspection under these rules shall be carried out at the premises of the manufacturer only.

8. Inspection fee.—A fee at the rate of 1 per cent of f.o.b. value subject to a minimum of Rs. 100/- (Rupees one hundred) shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

9. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (6) of rule 6, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than 3 but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel will consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

TABLE

LEVELS OF CONTROL

[See Rule 4]

Sl. No.	Particulars of inspection/test	Requirements	Sample size	Lot Size
1	2	3	4	5
I. Bought out materials and components				
	(a) Visual Inspection (including workmanship and finish)	As per standard specification recognised for the purpose	Each	—
	(b) Dimensions with tolerances—			
	(i) Critical	-do-	Each	—
	(ii) Others	-do-	To be fixed on the basis of recorded investigation	Each lot
	(c) Any other requirements . .	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5
II. Completed Assembly				
(a) Measurements of winding resistance		As per standard specification recognised for the purposes.	Each	—
(b) Ratio, Polarity and phase relationship		-do-	Each	—
(c) Impedance voltage		-do-	Each	—
(d) Load Losses		-do-	Each	—
(e) No-load losses and no-load current		-do-	Each	—
(f) Insulation Resistance		-do-	Each	—
(g) Induced over voltage withstand test		-do-	Each	—
(h) Separate source voltage withstand		-do-	Each	—
(j) Voltage Ratio at no-load		-do-	Each	—
(k) Temperature rise test		-do-	One	Ten Nos. of each size, type & design.
(l) Impulse voltage withstand test		-do-	One	Production of one size type, design in 12 month.
(m) Performance under external short circuit conditions		-do-	One	-do-

[No. 6(12)/75/LI & EP]

K.V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director

(उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

कानपुर, 11 नवम्बर, 1976

का०आ० 2241.—सर्वश्री देव-गण इन्डस्ट्रीज मुकन्द नगर, गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयत के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1763333 दिनांक 17-8-73 मूल्य 33959 रुपए
2. पी/एस/1763334 दिनांक 17-8-73 मूल्य 16989 रुपए
3. पी/एस/1763335 दिनांक 17-8-73 मूल्य 16979 रुपए
4. पी/एस/1763336 दिनांक 17-8-73 मूल्य 31601 रुपए
5. पी/एस/1763337 दिनांक 17-8-73 मूल्य 15750 रुपए
6. पी/एस/1763338 दिनांक 17-8-73 मूल्य 15750 रुपए

2. तत्पश्चात उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/डी-21/ए०एम-75/इन्फ/एन०बी०एन०आर/ए०यू०/कान/7006, दिनांक 13-2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 28-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री देव-गण इन्डस्ट्रीज मुकन्द नगर, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी०सी०सी०आई०एंड ई०/डी-21/ए०एम-75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए०यू०/कान]

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Kanpur, the 11th November, 1975

S.O. 2241.—The following licences for the import of Ball Bearings etc., non-banned, restricted type were issued to M/s. Dev-Gun-Industries, Mukund Nagar, Ghaziabad.

1. P/S/1763333 dt. 17-8-73 for Rs. 33959.
2. P/S/1763334 dt. 17-8-73 for Rs. 16979.
3. P/S/1763335 dt. 17-8-73 for Rs. 16979.
4. P/S/1763336 dt. 17-8-73 for Rs. 31501.
5. P/S/1763337 dt. 17-8-73 for Rs. 15750.
6. P/S/1763338 dt. 17-8-73 for Rs. 15750.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/D-21/AM. 75/ENF/NBNR/AU/KAN/7006, dated 13-2-1975 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 28-2-1975 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Dev-Gun-Industries, Mukand Nagar, Ghaziabad have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D-21/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2242.—सर्वश्री डीलक्स इन्डस्ट्रीज, 309, जली कोठी, मेरठ सिटी को गैर निषेध गैर-प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे—

	दिनांक	मूल्य रुपए
1. पी/एस/1763226	6-8-73	25000
2. पी/एस/1763227	6-8-73	25000
3. पी/एस/1763228	6-8-73	24675
4. पी/एस/1763229	6-8-73	24675

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी०सी०सी० आई०एंड ई/डी-20/ए०एम-75/इन्फ/एन०बी० एन० आर०/ए०यू०/कान/9847/दिनांक 23/24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री डीलक्स इन्डस्ट्रीज, 309, जली कोठी मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है; इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई ऊत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/डी-20/ए० एम०-75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान]

ORDER

S.O. 2242.—The following licences for the import of Ball Bearings etc., non-banned non-restricted type were issued to M/s. Delux Industries 309, Jali Kothi, Meerut City :—

1. P/S/1763226 dt. 6-8-73 for Rs. 25000.
2. P/S/1763227 dt. 6-8-73 for Rs. 25000.
3. P/S/1763228 dt. 6-8-73 for Rs. 24675.
4. P/S/1763229 dt. 6-8-73 for Rs. 24675.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/D-20/AM-76/ENF/NBNR/AU/KAN/9847, dated 23/24-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 13-2-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s Delux Industries, 309, Jali Kothi, Meerut City have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D-20/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2243.—सर्वश्री डिलाइट इन्डस्ट्रीज, दिल्ली रोड़, मेरठ सिटी को गैर निषेध, गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

	दिनांक	मूल्य रुपए
1. पी/एस/1763200	3-8-73	33750
2. पी/एस/1763201	3-8-73	16875
3. पी/एस/1763202	3-8-73	16875
4. पी/एस/1763294	14-8-72	44642
5. पी/एस/1763295	14-8-72	22321
6. पी/एस/1763296	14-8-72	22321

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई/डी-19/ए० एम०-75/इन्फ/एन/बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/9846, दिनांक 23/24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृति किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नही हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री डिलाइट इन्डस्ट्रीज, दिल्ली रोड, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए हैं।

5. ऊपर की कडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक, 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या:—डी०सी०सी०आई० एंड ई०/डी-19/ए०एम०-75/इन्फ/एन० बी एन० आर०/ए०यू/कान]

ORDER

S.O. 2243.—The following licences for the import of Ball Bearings etc., non-banned, non-restricted type were issued to M/s. Delight Industries, Delhi Road, Meerut City :—

1. P/S/1763200 dt. 3-8-73 for Rs. 33750.
2. P/S/1763201 dt. 3-8-73 for Rs. 16875.
3. P/S/1763202 dt. 3-8-73 for Rs. 16875.

4. P/S/1763294 dt. 14-8-72 for Rs. 44642.
5. P/S/1763295 dt. 14-8-72 for Rs. 22321.
6. P/S/1763296 dt. 14-8-72 for Rs. 22321.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/D-19/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/9846, dated 23/24-1-75 was issued to them asking to show cuase within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 13-2-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s Delite Industries, Delhi Road, Meerut City, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D-19/17/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2244 — सर्वश्री धीमान इन्जी० वर्क्स, धीमन पुर, शामली मुजफ्फरनगर को गैर-निषेध, गैर-प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृति किए गए थे :—

	दिनांक	मूल्य रुपए
1. पी/एस/1762460	11-5-73	7500
2. पी/एस/1762461	11-5-73	7500
3. पी/एस/1762462	11-5-73	5000
4. पी/एस/1762463	11-5-73	5000
5. पी/एस/1726464	11-5-73	5000
6 पी०/एस/1762465	11-5-73	5000

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी०सी० आई एंड ई०/डी०-17/ए० एम०-75/इन्फ/एन०बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/9845, दिनांक 23/24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री धीमान इन्जी, वर्क्स धीमनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंस को रद्द करता है।

[संख्या डी०सी०सी०आई० एंड ई०/डी०-17/ए०एम०-75/इन्फ/एन०बी० एन० आर०/ए० यू०/कान]

ORDER

S.O. 2244.—The following licences for the import of Ball Bearings etc., N.B.N.R. were issued to M/s. Dhiman Engg. Works Dhiman Pura, Sharli, Muzaffarnagar :—

1. P/S/1762460 dt. 11-5-73 for Rs. 7500.
2. P/S/1762461 dt. 11-5-73 for Rs 7500.
3. P/S/1762462 dt. 11-5-73 for Rs. 5000.
4. P/S/1762463 dt. 11-5-73 for Rs. 5000.
5. P/S/1762464 dt. 11-5-73 for Rs. 5000.
6. P/S/1762465 dt. 11-5-73 for Rs. 5000.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/D-17/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/9845, Dated 23/24-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 13-2-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Dhiman Engg. Works, Muzaffarnagar have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D-17/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2245.—सर्वश्री डीलक्स इन्जी० कं०, पटेल मार्ग, गाजियाबाद को गैर निषेध गैर-प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

	दिनांक	मूल्य रुपए
1. पी/एस/1760607	25-1-73	26960
2 पी/एस/1760608	25-1-73	13480
3 पी/एस/1760609	25-1-73	13480
4. पी/एस/1760610	25-1-73	19730
5 पी/एस/1760611	25-1-73	19730
6 पी/एस/1760612	25-1-73	16888
7 पी/एस/1760613	25-1-73	16888

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई०एंड ई/डी-15/ ए० एम० -76 इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/7737 दिनांक 20-1-75, यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर

कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था ।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री डीलक्स इन्जी० क० गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधन आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंस को रद्द करता है।

[संख्या डी०सी०सी०आई एंड ई/डी-15/ए०एम०-75/इन्फ/एन०बी०एन० आर० /ए०यू०/कान]

ORDER

S.O. 2245.—The following licences for the import of Ball Bearings etc., non-banned non-restricted were issued to M/s. Deluxe Engg. Co., Patel Marg, Ghaziabad.

1. P/S/1760607 dt. 25-1-73 Rs. 26960.
2. P/S/1760608 dt. 25-1-73 Rs. 13480.
3. P/S/1760609 dt. 25-1-73 Rs. 13480.
4. P/S/1760610 dt. 25-1-73 Rs. 19730.
5. P/S/1760611 dt. 25-1-73 Rs. 19730.
6. P/S/1760612 dt. 25-1-73 Rs. 16888.
7. P/S/1760613 dt. 25-1-73 Rs. 16888.

(2) Thereafter a Show-Cause-Notice No. DCCI&E/D-15/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/7737 dt. 20-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 4-2-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Deluxe Engg. Co., Ghaziabad have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D-15/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2246.—सर्वश्री डिलाइट इन्डस्ट्रीज, दिल्ली रोड, मेरठ को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे.—

1 पी/एस/1759822 दिनांक 23-11-73 मूल्य 44642 रुपए।
2. पी/एस/1759823 दिनांक 23-11-73 मूल्य 22321 रुपए।
3 पी/एस/1759824 दिनांक 23-11-73 मूल्य 22321 रुपए।
4 पी/एस/1759825 दिनांक 23-11-73 मूल्य 46785 रुपए।
5 पी/एस/1759826 दिनांक 23-11-73 मूल्य 23392 रुपए।
6 पी/एस/1759827 दिनांक 23-11-73 मूल्य 23392 रुपए।
7. पी/एस/1759828 दिनांक 23-11-73 मूल्य 24285 रुपए।
8 पी/एस/175929 दिनांक 23-11-73 मूल्य 17142 रुपए।
9. पी/एस/1759830 दिनांक 23-12-73 मूल्य 17142 रुपए।
10. पी/एस/1760845 दिनांक 16-2-73 मूल्य 49200 रुपए।
11. पी/एस/1760846 दिनांक 16-2-73 मूल्य 24600 रुपए।
12. पी/एस/1760847 दिनांक 16-2-73 मूल्य 24600 रुपए।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई०/डी० 14/ए० एम० 75/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/9844 दिनांक 22/24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम मे जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री डिलाइट इन्डस्ट्रीज दिल्ली, रोड, मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बतलाया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7–12–1955 द्वारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी०सी०सी०आई०एंड ई०/डी०-14/ए०एम०, 75/इन्फ०/एन०बी० एन०आर०/ए०यू०/कान]

ORDER

S.O. 2246.—The following licences for the import of Ball Bearings etc., non-banned non-restricted were issued to M/s. Delite Industries, Delhi Road, Meerut.

1. P/S/1759822 dt. 23-11-73 Rs. 44642.
2. P/S/1759823 dt. 23-11-73 Rs. 22321.
3. P/S/1759824 dt. 23-11-73 Rs. 22321.
4. P/S/1759825 dt. 23-11-73 Rs. 46785.
5. P/S/1759826 dt. 23-11-73 Rs. 23392.
6. P/S/1759827 dt. 23-11-73 Rs. 23392.
7. P/S/1759828 dt. 23-11-73 Rs. 34285.
8. P/S/1759829 dt. 23-11-73 Rs. 17142.
9. P/S/1759830 dt. 23-11-73 Rs. 17142.
10. P/S/1760845 dt. 16-2-73 Rs. 49200.
11. P/S/1760846 dt. 16-2-73 Rs. 24600.
12. P/S/1760847 dt. 16-2-72 Rs. 24600.

(2) Thereafter a Show-Cause-Notice No. DCCI&E/D-14/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/9844 dt. 22/24-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 13-2-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Delite Industries, Delhi Road, Meerut have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D-14/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2247.—सर्वश्री देवगण इन्डस्ट्रीज, मुकन्द नगर, गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1759012 दिनांक 15-9-72 मूल्य 22978 रुपए।
2. पी/एस/1759013 दिनांक 15-9-72 मूल्य 22978 रुपए।
3. पी/एस/1759014 दिनांक 15-9-72 मूल्य 33758 रुपए।
4. पी/एस/1759016 दिनांक 15-9-72 मूल्य 16879 रुपए।
5. पी/एस/1759015 दिनांक 15-9-72 मूल्य 16879 रुपए।
6. पी/एस/1759462 दिनांक 13-10-72 मूल्य 44352 रुपए।
7. पी/एस/1759463 दिनांक 13-10-72 मूल्य 22176 रुपए।
8. पी/एस/1759464 दिनांक 13-10-72 मूल्य 22176 रुपए।
9. पी/एस/1760305 दिनांक 9-1-73 मूल्य 47897 रुपए।
10. पी/एस/1760306 दिनांक 9-1-73 मूल्य 23948 रुपए।
11. पी/एस/1760307 दिनांक 91-73 मूल्य 23948 रुपए।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/डी०-13/ए० एम० 75/इन्फ०/एन० बी० एन० आर०/ए०/यू०/कान/दिनांक 20-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री देवगण इन्डस्ट्रीज, मुकन्द नगर, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी०जी०सी०आई०एण्डई०/डी०-13/ए०एम०,75/इन्फ०/एन०बी० एन०आर०/ए०यू०/कान]।

ORDER

S.O. 2247.—The following licences for the import of Ball Bearings etc. non-banned non-restricted were issued to M/s. Devgun Industries, Mukand Nagar, Ghaziabad.

1. P/S/1759012 dt. 15-9-72 Rs. 22978.
2. P/S/1759013 dt. 15-9-72 Rs. 22978.
3. P/S/1759014 dt. 15-9-72 Rs. 33758.
4. P/S/1759016 dt. 15-9-72 Rs. 16879.
5. P/S/1759015 dt. 15-9-72 Rs. 16879.
6. P/S/1759462 dt. 13-10-72 Rs. 44352.
7. P/S/1759463 dt. 13-10-72 Rs. 22176.
8. P/S/1759464 dt. 13-10-72 Rs. 22176.
9. P/S/1760305 dt. 9-1-73 Rs. 47897.
10. P/S/1760306 dt. 9-1-73 Rs. 23948.
11. P/S/1760307 dt. 9-1-73 Rs. 23948.

(2) Thereafter a show-cause-notice No. DCCI&E/D-13/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/dated 20-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 4-2-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Devgun Ind., Mukandnagar, Ghaziabad have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D-13/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2248.—सर्वश्री डीलक्स इन्डस्ट्रीज, 309, जली कोठी, मेरठ को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एम/1758640 दिनांक 11-8-72 मूल्य 8750 रुपए।
2. पी/एस/1758641 दिनांक 11-8-72 मूल्य 8750 रुपए।
3. पी/एम/1758642 दिनांक 11-8-72 मूल्य 12500 रुपए।
4. पी।एम/1758643 दिनांक 11-8-72 मूल्य 12500 रुपए।
5. पी/एस/1759443 दिनांक 12-10-72 मूल्य 15000 रुपए।
6. पी/एस/1759444 दिनांक 12-10-72 मूल्य 15000 पए।
7. पी/एम/1760288 दिनांक 5-1-73 मूल्य 24775 रुपए।
8. पी/एस/1760289 दिनांक 5-1-73 मूल्य 24775 रुपए।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/डी-12/ए० एम०-75/एफ०/एन० बी० एम० आर०/ए० यू०/कान/1735 दिनांक 20-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर

कारण बताए कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री डीलक्स इन्डस्ट्रीज, 309 जली कोठी, मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है; इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी०सी०सी०आई० एंड ई०/डी-12/ए०एम०-75/इन्फ०/एन० बी०एन०आर०/ए०यू०/कान]

ORDER

S.O. 2248.—The following licences for the import of Ball Bearings etc. N.B.N.R. were issued to M/s. Deluxe Industries, 309, Jati Kothi, Meerut.

1. P/S/1758640 dt. 11-8-72 for Rs. 8750.
2. P/S/1758641 dt. 11-8-72 for Rs. 8750.
3. P/S/1758642 dt. 11-8-72 for Rs. 12500.
4. P/S/1758643 dt. 11-8-72 for Rs. 12500.
5. P/S/1759443 dt. 12-10-72 fo Rr. 15000.
6. P/S/1759444 dt. 12-10-72 for Rs. 15000.
7. P/S/1760288 dt. 5-1-73 for Rs. 24775.
8. P/S/1760289 dt. 5-1-73 for Rs. 24775.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/D-12/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/7735 dated 20-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued in advertantly. They were also given 4-2-1975 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Deluxe Industries, 309 Jati Kothi, Meerut have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12- 1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D-12/AM-75/ENR/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का०आ० 2249.—सर्वश्री दीप कैमिकल वर्क्स, 109/33 लेनिन पार्क, कानपुर को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित रसायन तथा मध्यस्थ रंगों के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1764216 दिनांक 15-11-73 मूल्य 48250 रुपए।
2. पी/एस/1764217 दिनांक 15-11-73 मूल्य 24125 रुपए।
3. पी/एस/1764218 दिनांक 15-11-73 मूल्य 24125 रुपए।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई०एंड ई०/डी-5/ए०एम०-75/एन्फ०/एन बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/10 दिनांक 4-12-74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की तामील से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 19-12-74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3 उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री दीप कैमिकल वर्क्स, 109/33, लेनिनपार्क, कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी०सी०सी०आई०एंड ई०/डी०-5/ए०एम०-75/इन्फ०/एन० बी०एन०आर०/ए०यू०/कान]।

ORDER

S.O. 2249.—The following licences for the import of Chemicals Non Banned and Non Restricted type and Dyes Intermediates were issued to M/s. Deepa Chemical Works, 109/33, Lenin Park, Kanpur.

1. P/S/1764216 dt. 15-11-73 for Rs. 48250/-
2. P/S/1764217 dt. 15-11-73 for Rs. 24125/-
3. P/S/1764218 dt. 15-11-73 for Rs. 24125/-

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/D-5/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/10 Dated 4-12-74 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 19-12-74 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Deepa Chemical Works Kanpur, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the abovesaid licences.

[No. DCCI&E/D-5/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2250.—सर्वश्री दीप बल्ब इन्डस्ट्रीज, 71 इन्डस्ट्रियल इस्टेट, कानपुर को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित रसायन के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1761099 दिनांक 2-3-73 मूल्य 5000 रुपए ।
2. पी/एस/1761100 दिनांक 2-3-73 मूल्य 5000 रुपए।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई०/डी०-4/ए० एम० 75/एन्फ०/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/4 दिनांक 2-12-74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 17-12-74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री दीप बल्ब इन्डस्ट्रीज 71, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिएं। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/डी-4/ए०एम० 75/इन्फ०/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान]

ORDER

S.O. 2250.—The following licences for the import of Chemicals Non-banned non-restricted were issued to M/s. Deep Bulb Industries, 71-Industrial Estate, Kanpur :—

1. P/S/1761099 dated 2-3-73 for Rs. 5000.
2. P/S/1761100 dated 2-3-73 for Rs. 5000.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/D-4/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/4 dated 2-12-1974 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 17th Dec. 74 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the abovesaid notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Deep Bulb Industries, 71, Industrial Estate, Kanpur, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing and they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imorts (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the abovesaid licences.

[No. DCCI&E/D-4/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2251.—सर्वश्री दून निटवियर्स, 33 ओल्ड कनाट प्लेस, देहरादून को गैर- निषेध गैर-प्रतिबन्धित रसायन के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1757842 दिनांक 2-6-72 मूल्य 5000 रुपए
2. पी/एस/1763918 दिनांक 17-10-73 मूल्य 5000 रुपये
3. पी/एस/1763919 दिनांक 17-10-73 मूल्य 5000 रुपए

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/डी-3/ए एम 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/3867 दिनांक 6-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यो न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हे उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 21-1-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री दून निटवियर्स, 33, ओल्ड कनाट प्लेस, देहरादून के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान मे रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9, उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसो को रद्द करता है।

[संख्या डीसी सी आई एण्ड ई/डी-3/ए एम 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2251.—The following licences for the import of Chemicals Non-banned non-res. were issued to M/s. Doon Knitwears, 33 Old Connaught Place, Dehradun :—

1. P/S/1757842 dated 2-6-72 for Rs. 5000.
2. P/S/1763918 dated 17-10-73 for Rs. 5000.
3. P/S/1763919 dated 17-10-73 for Rs. 5000.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/D-3/AM.75/ENF/NBNR/AU/KAN/3867 dated 6th Jan. 75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 21st Jan '75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the abovesaid notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that he said M/s. Doon Kniwears, 33, Old Connaught Place, Dehradun have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing and they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the abovesaid licences.

[No. DCCI&E/D-3/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2252.—सर्वश्री कलकत्ता इंजी० कं०, गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर- प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग आदि एन०बी०एस०आर० के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1761762 दिनांक 29-3-73 मूल्य 15276 रुपए
2. पी/एस/1761763 दिनांक 29-3-73 मूल्य 15276 रुपए
3. पी/एस/1761764 दिनांक 29-3-73 मूल्य 15225 रुपए
4. पी/एस/1761765 दिनांक 29-3-73 मूल्य 15225 रुपए
5. पी/एस/1761766 दिनांक 29-3-73 मूल्य 20525 रुपए
6. पी/एस/1761767 दिनांक 29-3-73 मूल्य 20525 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/सी 12/ए एम० 75/इम्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/19802 ए दिनांक 19/20-2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गये थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 7-3-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री कलकत्ता इंजी० कं०, मुकन्द नगर, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिएं। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/सी० 12/ए०एम० 75/इम्फ/एनबी एन आर/ए यू/कान

ORDER

S.O. 2252.—The following licences for the Import of Ball Bearings etc., N.B.N.R. were issued to M/s. Calcutta Engineering Company, Ghaziabad.

1. P/S/1761762 dated 29-3-73 for Rs. 15276.
2. P/S/1761763 dated 29-3-73 for Rs. 15276.
3. P/S/1761764 dated 29-3-73 for Rs. 15225.
4. P/S/1761765 dated 29-3-73 for Rs. 15225.
5. P/S/1761766 dated 29-3-73 for Rs. 20525.
6. P/S/1761767 dated 29-3-73 for Rs. 20525.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/C. 12/AM.75/ENF/NBNR/AU/KAN/19802A dated 19/20-2-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 7-3-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the abovesaid notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4 The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Calcutta Engineering Company, Mukund Nagar, Ghaziabad, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing and they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the abovesaid licences.

[No. DCCI&E/C. 12/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2253.—सर्वश्री केरोसीना एस्टरप्राइजेज, मीयर जैन बोर्डिंग हाउस, रेलवे रोड, मेरठ को गैर-निषेध गैर-प्रतिबन्धित रसायन के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एम/2660041 दिनांक 27-9-75 मूल्य 14790 रुपए
2. पी/एम/2633640 दिनांक 4-10-75 मूल्य 14790 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/सी 8 एवं 7/ए/एम 75/इम्फ/एन बी एम आर/आर ई पी/कान/2496 एवं 2507 दिनांक 28-12-74 एवं 30-12-74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 9-1-75 एवं 14-1-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री केरोसीना एन्टरप्राइजेज, नीयर जैन बोर्डिंग हाउस, रेलवे रोड, मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं ।

5. ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है ।

[सं० डीसीसीआई एण्ड ई/सी-8 एवं 7/ए एम० 75/इन्फ/एनबीएनआर/आरईपी/कान]

ORDER

S.O. 2253.—The following licences for the import of Chemicals Non-Banned and Non-Restricted type were issued to M/s. Carosina Enterprises, Near Jain Boarding House, Railway Road, Meerut.

1. P/M/2660041 dated 27-9-73 for Rs. 14790.
2. P/M/2633640 dated 4-10-73 for Rs. 14790.

2 Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/C-8 & 7/AM-75/ENF/NBNR/REP/KAN/2496 & 2507 dated 28-12-74, 30-12-74 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of reciept of Notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 9-1-75 and 14-1-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the abovesaid notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Carosina Enterprises, Near Jain Boarding House, Railway Road, Meerut, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing and they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the abovesaid licences.

[No. DCCI&E/C-8 & 7/AM-75/ENF/NBNR/REP/KAN]

आदेश

का०आ० 2254.—सर्वश्री केरोसीना एन्टरप्राइजेस, नीयर जैन बोर्डिंग हाउस, रेलवे रोड, मेरठ को गैर-निषेध गैर-प्रतिबन्धित रूपायन के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1763939 दिनांक 18-10-73 मूल्य 31081 रुपए
2. पी/एस/1763940 दिनांक 18-10-73 मूल्य 15515 रुपए
3. पी/एस/1763941 दिनांक 18-10-73 मूल्य 15515 रुपए
4. पी/एस/1758756 दिनांक 24-8-72 मूल्य 5000 रुपए
5. पी/एस/1758757 दिनांक 24-8-72 मूल्य 4000 रुपए
6. पी/एस/1759748 दिनांक 23-11-72 मूल्य 35375 रुपए
7. पी/एस/1759749 दिनांक 23-11-72 मूल्य 17687 रुपए
8. पी/एस/1759750 दिनांक 23-11-72 मूल्य 17687 रुपए
9. पी/एस/1760270 दिनांक 5-1-73 मूल्य 35375 रुपए
10. पी/एस/1760271 दिनांक 5-1-73 मूल्य 17687 रुपए
11. पी/एस/1760272 दिनांक 5-1-73 मूल्य 17687 रुपए

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/सी-6, 2 एवं 6/ए एम०-75/ एफ/एन बी एन आर/ए यू/कान/ 14, 8 एवं 15 दिनांक 4-12-74 पर पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की तारीख से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 19-12-74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है ।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री केरोसिना एन्टरप्राइजेज, नीयर जैन बोर्डिंग हाउस, रेलवे रोड, मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं ।

5. ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है ।

[सं० डीसीसीआई एण्ड ई/सी-6, 2 एवं 1/एएम०75/इन्फ/एनबीएनआर/एयू/कान]

ORDER

S.O. 2254.—The following licences for the import of Chemicals Non-Banned and Non-Restricted type were issued to M/s. Carosina Enterprises, Near Jain Boarding House Railway Road, Meerut City.

1. P/S/1763939 dated 18-10-73 for Rs. 31081.
2. P/S/1763940 dated 18-10-73 for Rs. 15515.
3. P/S/1763941 dated 18-10-73 for Rs. 15515.
4. P/S/1758756 dated 24-8-72 for Rs. 5000.
5. P/S/1758757 dated 24-8-72 for Rs. 4000.
6. P/S/1759748 dated 23-11-72 for Rs. 35375.
7. P/S/1759749 dated 23-11-72 for Rs. 17687.
8. P/S/1759750 dated 23-11-72 for Rs. 17687.
9. P/S/1760270 dated 5-1-73 for Rs. 35375.
10. P/S/1760271 dated 5-1-73 for Rs. 17687.
11. P/S/1760272 dated 5-1-73 for Rs. 17687.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/C-6, 2 & 6 AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN 14, 8 & 15 dt. 4-12-74 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 19-12-74 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the abovesaid notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Carosina Enterprises Near Jain Boarding House Railway Road, Meerut City, have not replied to the Notice and have not turned up for personal hearing and they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested

in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the abovesaid licences.

[No. DCCI&E/C-6, 2 & 4/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का०आ० 2255.—सर्वश्री चन्द्र ब्रदर्स, ईस्टर्न कचहरी रोड़, मेरठ सिटी को गैर-निषेध गैर-प्रतिबन्धित कैमिकल के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1761809 दिनांक 30-3-73 मूल्य 5000 रुपए
2. पी/एस/1762169 दिनांक 31-3-73 मूल्य 5000 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/सी-5/ए एम० 75/इन्फ एन बी एन आर/ए यू/कान/1038 दिनांक 11-12-74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम मे जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल मे जारी कर दिए गए थे। उन्हे उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 26-12-74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नही हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुचा है कि चूकि सर्वश्री चन्द्र ब्रदर्स, ईस्टर्न कचहरी रोड़, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए हैं।

5 ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिएं। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[सं० डी सी सी आई एण्ड ई/सी-5/एएम० 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2255.—The following licences for the Import of Chemicals non banned and non restricted type were issued to M/s. Chandra Brothers, Eastern Kutchery Road, Meerut City.

1. P/S/1761809 dated 30-3-1973 for Rs. 5000.
2. P/S/1762169 dated 31-3-1973 for Rs. 5000

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/C-5/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/1038 dated 11-12-1974 was issued to them asking to Show Cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 26-12-1974 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the abovesaid notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Chandra Brothers, Eastern Kutchery Road, Meerut City, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing and they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the abovesaid licences.

[No DCCI&E/C-5/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का०आ० 2256—सर्वश्री बद्री प्रसाद प्रभा शंकर पाण्डे, कानपुर को गैर-निषेध गैर-प्रतिबन्धित सुगन्धित रसायन के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1 पी/एस/1762639 दिनांक 1-6-73 मूल्य 5000 रुपए
2 पी/एस/1762640 दिनांक 1-6-73 मूल्य 5000 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/ए एम० 75/इन्फ/एन बी ए आर/ए यू/कान/बी-13 दिनांक 20-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नही हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जाच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री बद्री प्रसाद प्रभा शंकर पाण्डे, कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए है।

5. ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

सख्या डी सी सी आई एण्ड ई/बी 13/ए एम 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान

ORDER

S.O. 2256.—The following licences for the Import of Aromatic Chemicals non-banned non-restricted etc. were issued to M/s. Badri Prasad Prabha Shanker Pandey, Kanpur

1. P/S/1762639 dated 1-6-1973 for Rs. 5000.
2 P/S/1762640 dated 1-6-1973 for Rs. 5000.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/B-13/75/ENF/NBNR/AU/KAN/7729 dated 20-1-1975 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 4-2-1975 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the abovesaid notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Badri Prasad Prabha Shanker Pandey, Kanpur have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in th matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled oi otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub clause (a) of the Import (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/B-13/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का०आ० 2257.—सर्वश्री बी० एम० इण्डस्ट्रीज, मुकन्द नगर, गाजियाबाद को गैर-निषेध, गैर-प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्न लिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1760350 दिनांक 11-1-73 मूल्य 10563 रुपए
2. पी/एस/1760351 दिनांक 11-1-73 मूल्य 10563 रुपए
3. पी/एस/1760352 दिनांक 1-11-73 मूल्य 10064 रुपए
4. पी/एस/1760353 दिनांक 11-1-73 मूल्य 10064 रुपए
5. पी/एस/1760354 दिनांक 11-1-73 मूल्य 13654 रुपए
6. पी/एस/1760355 दिनांक 11-1-73 मूल्य 13654 रुपए
7. पी/एस/1760356 दिनांक 11-1-73 मूल्य 12434 रुपए
8. पी/एस/1760357 दिनांक 11-1-73 मूल्य 12434 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/ए/12/ए एम० 75/इन्फ/एन/बी/एन/आर/ए/यू/कान/7728, दिनांक 20-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री बी० एम० इण्डस्ट्रीज, मुकन्द नगर, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी सी सी आई एण्ड ई/बी०-12/ए एम० 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2257.—The following licences for the Import of Ball Bearings etc. non banned, non restricted were issued to M/s. B. S. Industries, Mukand Nagar, Ghaziabad :—

1. P/S/1760350 dated 11-1-1973 for Rs. 10563.
2. P/S/1760351 dated 11-1-1973 for Rs. 10563.
3. P/S/1760352 dated 11-1-1973 for Rs. 10064.
4. P/S/1760353 dated 11-1-1973 for Rs. 10064.
5. P/S/1760354 dated 11-1-1973 for Rs. 13654.
6. P/S/1760355 dated 11-1-1973 for Rs. 13654.
7. P/S/1760356 dated 11-1-1973 for Rs. 12434.
8. P/S/1760357 dated 11-1-1973 for Rs. 12434.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A. 12/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/7728 dated 20-1-1975 was issued to the asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 4-2-1975 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. B. S. Industries, Mukand Nagar, Ghaziabad, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing they have to defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, they undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/B-12/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2258.—सर्वश्री बड़ौत इन्जी० वर्क्स, मुरादाबाद को गैर-निषेध, गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

	दिनांक	मूल्य	रुपये
1. पी/एस/1758381	24-7-72	,,	7500
2 पी/एस/1758382	24-7-72	,,	12500
3. पी/एस/1758383	21-6-72	,,	5000

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी/सी/सी/आई एंड ई/बी० 8/ए एम०75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/9838, दिनांक 23/24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री बड़ौत इन्जी० वर्क्स, मुरादाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/बी० 8/ए० एम०-75/इन्फ०/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान]

ORDER

S.O. 2258.—The following licences for the Import of ball bearings etc. non-banned, non-restricted were issued to M/s. Baraut Engg. Works, Moradabad :—

1. P/S/1758381 dated 24-7-1972 for Rs. 7500.
2. P/S/1758382 dated 24-7-1972 for Rs. 12500.
3. P/S/1758383 dated 21-6-1972 for Rs. 5000.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/B. 8/AM/76/ENF/NBNR/AU/KAN/9838, dated 23/24-1-1975 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadventently. They were also given 13-2-1975 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Baraut Engg. Works, Moradabad, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, they undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/B-8/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2259.—सर्वश्री बेस्ट इन्जी० कं०, रेलवे रोड, गाजियाबाद को गैर-निवेश, गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

	दिनांक	मूल्य	रुपए
1. पी/एस/1762553	23-5-73	,,	5000
2. पी/एस/1762554	23-5-73	,,	5000
3. पी/एस/1762555	23-5-73	,,	8750
4. पी/एस/1762556	23-5-73	,,	8750
5. पी/एस/1762557	23-5-73	,,	17500
6 पी/एस/1762558	23-5-73	,,	17500
7. पी/एस/1762559	23-5-73	,,	8750
8. पी/एस/1762560	23-5-73	,,	8750

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/बी० 4/ए० एम०-75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/9835, दिनांक 23/24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की तारीख से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री बेस्ट इन्जी० कं०, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/बी० 4/ए० एम०-75/इन्फ०/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान]

ORDER

S.O. 2259.—The following licences for the Import of ball bearings non-banned-non-restricted were issued to M/s. Best Engg. Co., Railway Road, Ghaziabad :—

1. P/S/1762553 dated 23-5-1973 for Rs. 5000.
2. P/S/1762554 dated 23-5-1973 for Rs. 5000.
3. P/S/1762555 dated 23-5-1973 for Rs. 8750.
4. P/S/1762556 dated 23-5-1973 for Rs. 8750.
5. P/S/1762557 dated 23-5-1973 for Rs. 17500.
6. P/S/1762558 dated 23-5-1973 for Rs. 17500.
7. P/S/1762559 dated 23-5-1973 for Rs. 8750.
8. P/S/1762560 dated 23-5-1973 for Rs. 8750.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/B-4/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/9835, dated 23/24-1-1975 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadventently. They were also given 13-2-1975 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Best Engineering Company, Ghaziabad have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, they undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/B-4/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

कानपुर, 24 अक्तूबर, 1975

का० आ० 2260.—सर्वश्री विजय एग्रो इन्डस्ट्रीज, प्रेमपुरी, मेरठ को गैर-निवेश, गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

	दिनांक	मूल्य	रुपए
1. पी/एस/1763184	3-8-73	,,	30000
2. पी/एस/1763185	3-8-73	,,	15000

	दिनांक	मूल्य	रुपए
3. पी/एस/1763186	3-8-73	,,	15000
4 पी/एस/1764100	2-11-73	,,	49000
5. पी/एस/1764101	2-11-73	,,	24500
6. पी/एस/1764102	2-11-73	,,	24500

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/बी०-13/ए० एम०-75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/14056, दिनांक 3-2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 18-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री विजय एग्रो इन्डस्ट्रीज, प्रेमपुरी, मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/बी०-13/ए० एम०-75/इन्फ०/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान]

ORDER

Kanpur, the 24th October, 1975

S.O. 2260.—The following licences for the Import of ball bearings etc. non banned non-restricted were issued to M/s. Vijay Agro Industries, Prempuri, Meerut :—

1. P/S/1763184 dated 3-8-1973 Rs. 30000.
2. P/S/1763185 dated 3-8-1973 Rs. 15000.
3. P/S/1763186 dated 3-8-1973 Rs. 15000.
4. P/S/1764100 dated 2-11-1973 Rs. 49000.
5. P/S/1764101 dated 2-11-1973 Rs. 24500.
6. P/S/1764102 dated 2-11-1973 Rs. 24500.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/V-13/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/14056, dated 3-2-1975 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 18-2-1975 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Vijay Agro Industries, Prempuri, Meerut, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/V. 13/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2261.—सर्वश्री विजय इंजी० एवं फाउन्ड्री वर्क्स, कानपुर को गैर-निषेध, गैरप्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

	दिनांक	मूल्य	रुपए
1 पी/एम/1763597	12-9-73	,,	5000
2. पी/एम/1763598	12-9-73	,,	5000
3. पी/एम/1763599	12-9-73	,,	9988
4 पी/एम/1763600	12-9-73	,,	9988

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/बी-9/ए० एम०-75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/14054, दिनांक 3-2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 18-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री विजय इंजी० एवं फाउन्ड्री वर्क्स, कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एन्ड ई०/बी०-9/ए० एम०-75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान०]

ORDER

S.O. 2261.—The following licences for the Import of Chemicals Ball Bearings etc. non-banned, non-restricted were issued to M/s. Vijay Engg. & Foundry Works, Kanpur :—

1. P/S/1763597 dated 12-9-1973 for Rs. 5000.
2. P/S/1763598 dated 12-9-1973 for Rs. 5000.
3. P/S/1763599 dated 12-9-1973 for Rs. 9988.
4. P/S/1763600 dated 12-9-1973 for Rs. 9988.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/V-9/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/14054, dated 3-2-1975 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in heir favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 18-2-1975 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Vijay Engineering & Foundry Works, Kanpur have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/V-9/AM-75/NBNR/ENF/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2262—सर्वश्री सचदेव आटो वर्क्स, मेरठ सिटी को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

	दिनांक	रुपये के लिए
1. पी/एस/1758527	4-8-72	48955
2. पी/एस/1758528	4-8-72	24477
3. पी/एस/1758529	4-8-72	24477
4 पी/एस/1758530	4-8-72	48408
5 पी/एस/1758531	4-8 72	24204
6. पी/एस/1758532	4-8-72	24204
7. पी/एस/1760057	21-12-72	48730
8. पी/एस/1760058	21-12-72	24375
9. पी/एस/1760059	21-12-72	24375
10. पी/एस/1760060	21-12-72	98098
11. पी/एस/1760061	21-12-72	49049
12. पी/एस/1760062	21-12-72	49049
13. पी/एस/1760601	25-1-73	97662
14 पी/एस/1760602	25-1-73	48831
15 पी/एस/1760603	25-1-73	48831
16. पी/एस/1760604	25-1-73	97378
17 पी/एस/1760605	25-1-73	48685
18. पी/एस/1760606	25-1-73	48685
19. पी/एस/2467098	6-6-73	98098 (दो प्रतियों में)
20. पी/एस/2467099	6-6-73	48730 (दो प्रतियों में)
21. पी/एस/1758533	4-8-72	48408
22. पी/एस/1758534	4-8-72	24204
23. पी/एस/1758535	4-8-72	24204
24. पी/एस/1758536	4-8-72	48857
25. पी/एस/1758537	4-8-72	24428
26. पी/एस/1758538	4-8-72	24428

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एन्ड ई०/एस० 90/ए० एम० 75/इन्फ०/एन बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/19819, दिनांक 20-2-72 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की प्राप्ती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम से जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 16-3-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3 उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री सचदेव आटो वर्क्स, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिएं। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात-(नियन्त्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9, उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई०/एस० 90/ए० एम० 75/इन्फ० एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान]

ORDER

S.O. 2262.—The following licences for the Import of ball bearings non-banned, non-restricted were issued to M/s. Sachdeva Auto Works, Meerut City.

(1) P/S/1758527 dated 4-8-1972 for Rs. 48955.
(2) P/S/1758528 dated 4-8-1972 for Rs. 24477.
(3) P/S/1758529 dated 4-8-1972 for Rs. 24477.
(4) P/S/1758530 dated 4-8-1972 for Rs. 48408.
(5) P/S/1758531 dated 4-8-1972 for Rs. 24204.
(6) P/S/1758532 dated 4-8-1972 for Rs .24204.
(7) P/S/1760057 dated 21-12-1972 for Rs. 48730.
(8) P/S/1760058 dated 21-12-1972 for Rs. 24375.
(9) P/S/1760059 dated 21-12-1972 for Rs. 24375.
(10) P/S/1760060 dated 21-12-1972 for Rs. 98098.
(11) P/S/1760061 dated 21-12-1972 for Rs. 49049.
(12) P/S/1760062 dated 21-12-1972 for Rs. 49049.
(13) P/S/1760601 dated 25-1-1973 for Rs. 97662.
(14) P/S/1760602 dated 25-1-1973 for Rs. 48831.
(15) P/S/1760603 dated 25-1-1973 for Rs. 48831.
(16) P/S/1760604 dated 25-1-1973 for Rs. 97378.
(17) P/S/1760605 dated 25-1-1973 for Rs. 48685.
(18) P/S/1760606 dated 25-1-1973 for Rs. 48685.
(19) P/S/2467098 dated 6-6-1973 for Rs. 98098. (Duplicate).
(20) P/S/2467099 dated 6-6-1973 for Rs. 48730. (Duplicate).
(21) P/S/1758533 dated 4-8-1972 for Rs. 48408.
(22) P/S/1758534 dated 4-8-1972 for Rs. 24204.
(23) P/S/1758535 dated 4-8-1972 for Rs. 24204.
(24) P/S/1758536 dated 4-8-1972 for Rs. 48857.
((25) P/S/1758537 dated 4-8-1972 for Rs. 24428.
(26) P/S/1758538 dated 4-8-1972 for Rs. 24428.

2. Thereafter A Show Cause Notice No. DCCI&E/S. 90/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/19819 dated 20-2-1972 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 16-3-1975 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Sachdeva Auto Works Meerut City have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/S. 90/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2263 —सर्वश्री पुरी इन्डस्ट्रीज, मेरठ सिटी को गैर-निषेध, गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे —

	दिनांक	मूल्य रुपए
1. पी/एस/1759722	17-11-72	10000
2. पी/एस/1759723	17-11-72	10000
3. पी/एस/1759724	17-11-72	15000
4. पी/एस/1759725	17-11-72	15000

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई/पी० 7/ए० एम० 75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान०/19805, दिनांक 20-2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले मे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 7-3-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री पुरी इन्डस्ट्रीज, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5 ऊपर की कंडिकाओ मे जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान मे रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा, 9, उप-धारा(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई०/पी 7/ए० एम० 75/इन्फ/एन० बी० एम० आर०/ए० यू०/कान०]

ORDER

S.O. 2263.—The following licences for the import of ball bearings etc. non-banned, non-restricted type were issued to M/s. Puri Industries, Meerut City.

1. P/S/1759722 dated 17-11-1972 for Rs. 10000.
2. P/S/1759723 dated 17-11-1972 for Rs. 10000.
3. P/S/1759724 dated 17-11-1972 for Rs. 15000.
4. P/S/1759725 dated 17-11-1972 for Rs. 15000.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/P. 7/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/19805, dated 20-2-1975 was issued to them, asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 7-3-1975 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Puri Industries, Meerut city have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences

[No. DCCI&E/P. 7/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2264 —सर्वश्री जगत केबल कं०, सिविल लाइन्स, धर्म वाटिका, जी० टी० रोड, गाजियाबाद को गैर-निषेध, गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

	दिनांक	मूल्य रुपये
1. पी/एस/1760634	1-2-73	5000
2 पी/एस/1760635	1-2-73	2920
3. पी/एस/1760636	1-2-73	7175
4. पी/एस/1760637	1-2-73	7175
5. पी/एस/1761236	1-3-73	23326
6. पी/एस/1761237	1-3-73	23325

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई०/जे० 8/ए० एम० 75/इन्फ०/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान/17016, दिनांक, 13-2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसो को क्यो न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले मे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 28-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3 उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नही हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री जगत केबल कं०, सिविल लाइन्स धर्म वाटिका, जी० टी० रोड, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है, इसलिए उन्होने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए है।

5 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9, उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई०/जे०-8/ए० एम०-75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/ कान०]

ORDER

S.O. 2264.—The following licences for the import of ball bearings etc., non-banned, non-restricted were issued to M/s. Jagat Cable Co., Civil Lines, Dharam Vatika, G. T. Road, Ghaziabad.

1. P/S/1760634 dt. 1-2-73 for Rs. 5000.
2. P/S/1760635 dt. 1-2-73 for Rs. 2920.
3. P/S/1760636 dt. 1-2-73 for Rs. 7175.
4. P/S/1760637 dt. 1-2-73 for Rs. 7175.
5. P/S/1761236 dt. 1-3-73 for Rs. 23325.
6. P/S/1761237 dt. 1-3-73 for Rs. 23325.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/J.8/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/17016, dated 13-2-1975 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 28-2-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undesigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Jagat Cable Co, Civil Lnes, Dharam Vatika, G.T. Road, Ghaziabad have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/J.8/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2265.—सर्वश्री एटलस इन्जी० कं० जस्सीपुरा, गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे :—

1. पी/एस/1763302 दिनांक 14-8-73 मूल्य 29974 रुपए
2. पी/एस/1763303 दिनांक 14-8-73 मूल्य 14987 रुपए
3. पी/एस/1763304 दिनांक 14-8-73 मूल्य 14987 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई/ए-37/ए एम०-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/7747, दिनांक 20-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओं सूचना की तारीख से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किये गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिये गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री एटलस इन्जी० कं० जस्सीपुरा, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है, इसलिये उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किये जाने चाहियें। इसलिये, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9, उप-धारा(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या : डी० सी० सी० आई एण्ड ई/ए० 37/ए०एम०-75/इन्फ/एन० बी० एन० आर०/ए० यू०/कान]

ORDER

S.O. 2265.—The following licences for the import of ball bearings etc., non-banned, non-restricted were issued to M/s. Atlas Engg. Company, Jassipura, Ghaziabad.

1 P/S/1763302 dt. 14-8-73 Rs. 2974.
2. P/S/1763303 dt. 14-8-73 Rs. 14987.
3. P/S/1763304 dt. 14-8-73 for Rs. 14987.

2. Therefore a Show Cause Notice No. DCCI&E/A.37/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/7747 dated 20-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 4-2-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Atlas Engg. Company, Jassipura Ghaziabad have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they hav no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A.37/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2266.—सर्वश्री एग्रिकल्चर इन्जी० इन्डस्ट्रीज, मेरठ सिटी को गैर-निषेध, गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे :—

1. पी/एस/1758568 दिनांक 4-8-72 मूल्य 49755 रुपए
2. पी/एस/1758569 दिनांक 4-8-72 मूल्य 24877 रुपए
3. पी/एस/1758570 दिनांक 4-8-72 मूल्य 24877 रुपए
4. पी/एस/1758571 दिनांक 4-8-72 मूल्य 49235 रुपए
5. पी/एस/1758572 दिनांक 4-8-72 मूल्य 24615 रुपए
6. पी/एस/1758573 दिनांक 4-8-72 मूल्य 24615 रुपए

7. पी/एस/1758574 दिनांक 4-8-72 मूल्य 48583 रुपए
8. पी/एस/1758575 दिनांक 1-8-72 मूल्य 24291 रुपए
9. पी/एस/1758576 दिनांक 4-8-72 मूल्य 24291 रुपए
10. पी/एस/1758577 दिनांक 4-8-72 मूल्य 46096 रुपए
11. पी/एस/1758578 दिनांक 4-8-72 मूल्य 23048 रुपए
12 पी/एस/1758579 दिनांक 4-8-72 मूल्य 23048 रुपए
13. पी/एस/1759543 दिनांक 27-10-72 मूल्य 98163 रुपए
14. पी/एस/1759544 दिनांक 27-10-72 मूल्य 49081 रुपए
15 पी/एस/1759545 दिनांक 27-10-72 मूल्य 49081 रुपए
16. पी/एस/1759546 दिनांक 27-10-72 मूल्य 99023 रुपए
17. पी/एस/1759547 दिनांक 27-10-72 मूल्य 45511 रुपए
18. पी/एस/1759548 दिनांक 27-10-72 मूल्य 45511 रुपए
19. पी/एस/1760493 दिनांक 12-1-73 मूल्य 96487 रुपए
20 पी/एस/1760494 दिनांक 12-1-73 मूल्य 48243 रुपए
21. पी/एस/1760495 दिनांक 12-1-73 मूल्य 48243 रुपए
22. पी/एस/1760496 दिनांक 12-1-73 मूल्य 91164 रुपए
23. पी/एस/1760497 दिनांक 12-1-73 मूल्य 45582 रुपए
24. पी/एस/1760498 दिनांक 12-1-73 मूल्य 45582 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-36/ए एम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/7750 दिनांक 20-1-75 यह पूछते हुए जारी की गयी थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किये गये उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिये गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री एग्रिकल्चर इन्जी० इन्डस्ट्रीज, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है, इसलिये उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किये जाने चाहिये। इसलिये, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[सं० डी सी सी आई एंड ई/ए० 36/एएम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2266.—The following licences for the import of Ball bearings etc. non banned non restricted were issued to M/s. Agriculture Engineering Industries, Meerut City.

1. P/S/1758568 dt. 4-8-72 for Rs. 49755
2. P/S/1758569 dt. 4-8-72 for Rs. 24877
3. P/S/1758570 dt. 4-8-72 for Rs. 24877
4. P/S/1758571 dt. 4-8-72 for Rs. 49235
5. P/S/1758572 dt 4-8-72 for Rs. 24615
6. P/S/1758573 dt. 4-8-72 for Rs. 24615
7. P/S/1758574 dt. 4-8-72 for Rs. 48583
8. P/S/1758575 dt. 4-8-72 for Rs. 24291
9. P/S/1759576 dt 4-8-72 for Rs. 24291
10. P/S/1758577 dt. 4-8-72 for Rs. 46096
11 P/S/1758578 dated 4 8-1972 for Rs. 23048.
12. P/S/1758579 dated 4-8-1972 for Rs. 23048.
13. P/S/1759543 dt. 27-10-72 Rs 98163
14. P/S/1759544 dt. 27-10-72 Rs 49081
15 P/S/1759545 dt 27-10-72 Rs. 49081
16. P/S/1759546 dt. 27-10-72 Rs. 99023
17. P/S/1759547 dt. 27-10-72 Rs. 45511
18. P/S/1759548 dt. 27-10-72 Rs. 45511
19. P/S/1760493 dt. 12-1-73 for Rs. 96487
20. P/S/1760494 dt. 12-1-73 for Rs. 48243
21. P/S/1760495 dt. 12-1-73 for Rs. 48243
22. P/S/1760496 dt. 12-1-73 for Rs. 91164.
23. P/S/1760497 dt. 12-1-73 for Rs. 45582.
24. P/S/1760498 dt. 12-1-73 for Rs. 45582.

Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A. 36/AM-75/ENF/NRNR/AU/Kan/7750 dated 20-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 4-2-75 for personal hearing of their matter.

No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Agriculture Engg. Industries, Meerut city have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A. 36/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2267.—सर्वश्री अब्दुल कदीर कारखानेदार गुहयां बाग, मुरादाबाद को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गए थे :—

1. पी/एस/1758843 दिनांक 1-9-72 मूल्य 5000 रुपए
2. पी/एस/1758844 दिनांक 1-9-72 मूल्य 5000 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-17/ए एम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/5308 दिनांक 15-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 30-1-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अब्दुल कदीर कारखानेदार गुहयां बाग, मुरादाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[सं० डी सी आई एंड ई/ए० 17/एएम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2267.—The following licences for the import of Ball bearings etc, non-banned non-restricted type were issued to M/s. Abdul Qadeer Karkhanedar Gulam Bagh, Moradabad.

1. P/S/1758843 dt. 1-9-72 for Rs. 5000.
2. P/S/1758844 dt. 1-9-72 for Rs. 5000.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A-17/AM-75/FNF/AU/KAN/5308 dated 15-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 30-1-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the abovesaid notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Abdul Qadeer Karkhanedar Moradabad have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered in effective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A. 17/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2268.—सर्वश्री अजय इन्डस्ट्रीज महलका, मेरठ को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित रसायन तथा बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गए थे :—

1. पी/एस/1759445 दिनांक 12-10-72 मूल्य 5000 रुपए
2. पी/एम/1759446 दिनांक 12-10-72 मूल्य 5000 रुपए
3. पी/एस/1759803 दिनांक 23-11-72 मूल्य 8750 रुपए
4. पी/एस/1759804 दिनांक 23-11-72 मूल्य 8750 रुपए
5. पी/एस/1760267 दिनांक 5-1-73 मूल्य 15000 रुपए
6. पी/एस/1760268 दिनांक 5-1-73 मूल्य 15000 रुपए
7. पी/एस/1763239 दिनांक 7-8-73 मूल्य 28750 रुपए
8. पी/एस/1763240 दिनांक 7-8-73 मूल्य 14375 रुपए
9. पी/एस/1763241 दिनांक 7-8-73 मूल्य 14375 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए० 14/ ए एम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/5311/5314 दिनांक 15-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताये कि उन के नाम में जारी किये गये उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गये थे। उन्हें उसके सामने में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 30-1-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के के लिये कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अजय इन्डस्ट्रीज महलका, मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है, इसलिये उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए है।

5 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किये जाने चाहिये। इसलिये, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[सं० डी सी सी आई एंड ई/ए० 14/ए एम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2268.—The following licences for the import of chemicals, Ball bearings etc. non-banned non-restricted were issued to M/s, Ajay Industries, Mahalka, Meerut.

(1) P/S/1759445 dt. 12-10-72 for Rs. 5000.

(2) P/S/1759446 dt. 12-10-72 for Rs. 5000.

(3) P/S/1759803 dated 23-11-1972 for Rs. 8750.

(4) P/S/1759804 dt. 23-11-72 for Rs. 8750.

(5) P/S/1760267 dt. 5-1-73 for Rs. 15000.

(6) P/S/1760268 dt. 5-1-73 for Rs. 15000.

(7) P/S/1763239 dt. 7-8-73 for Rs. 28750.

(8) P/S/1763240 dt. 7-8-73 for Rs. 14375.

(9) P/S/1763241 dt. 7-8-73 for Rs. 14375.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A. 14/A. 20/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/5311/5314 dated 15-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 30-1-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undesigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Ajay Industries, Meerut have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A. 14/AM-75/NBNR/ENF/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2269.—सर्वश्री अरुण उद्योग, मेरठ सिटी को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गए थे :—

1 पी/एस/1760256 दिनांक 5-1-73 मूल्य 5,000 रुपए
2. पी/एस/1760257 दिनांक 5-1-73 मूल्य 5,000 रुपए

2 तत्पश्चात उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-10/एएम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/5302 दिनांक 15-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बतायें कि उन के नाम से जारी किये गये उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिये गये थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 30-1-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3 उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अरुण उद्योग, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है, इसलिये उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए हैं।

5 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा प्रभावित किये जाने चाहिये। इसलिये, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-10/एएम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

आदेश

का० आ० 2270.—सर्वश्री आर्य हैंडलूम डाइंग एंड प्रिंटिंग फैक्टरी, जिला मेरठ को गैरनिषेध गैर-प्रतिबंधित रसायन तथा मध्यस्थ रंगों के आयात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे :—

1 पी/एस/2673899 दिनांक 21-3-73 मूल्य 5389 रुपए

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-9/एएम-75/इन्फ/एन बी एन आर/आर ई पी/कान/2192 दिनांक 26/28-12-74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बतायें कि उन के नाम से जारी किये गये उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिये गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 9-1-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री आर्य हैंडलूम डाइंग एंड प्रिंटिंग फैक्टरी, जिला मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है, इसलिये उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा प्रभावित किये जाने चाहिये। इसलिये, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-9/एएम-75/इन्फ/एन बी एन आर/आर ई पी/कान]

ORDER

S.O. 2269.—The following licences for the import of Ball bearings etc. non-banned non-restricted were issued to M/s. Arun Udyog Meerut City.

(1) P/S/1760256 dt. 5-1-73 for Rs. 5000
(2) P/S/1760257 dt. 5-1-73 for Rs. 5000.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A. 10/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/5302 dated 15-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the dated of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 30-1-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Arun Udyog, Meerut City have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled o otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A-10/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

ORDER

S.O. 2270.—The following licences for the import of Chemicals and Dyes intermediates non-banned non-restricted were issued to M/s. Arya Handloom Dyeing & Printing Factory, Distt. Meerut.

(1) P/S/2673898 dt. 21-3-72 for Rs. 5389.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A-9/AM-75/ENF/NBNR/R&P/KAN/2492 dated 26/28-12-74 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 9-1-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Arya Handloom Dyeing and Printing Factory, Distt. Meerut have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A-9/AM-75/ENF/NBNR/REP/KAN]

आदेश

का० आ० 2271.—सर्वश्री अग्रवाल काटन इन्डस्ट्रीज, मेरठ सिटी को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित रासायन तथा मध्यस्थ रंगों के आयात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे :—

1. पी/एस/1760794 दिनांक 16-2-73 मूल्य 28500 रुपए
2. पी/एस/1760795 दिनांक 16-2-73 मूल्य 14250 रुपए
3. पी/एस/1760796 दिनांक 16-2-73 मूल्य 14250 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-2/ए एम० 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/12 दिनांक 4-12-74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बतायें कि उन के नाम में जारी किये गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिये गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 19-12-74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अग्रवाल काटन इन्डस्ट्रीज मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है, इसलिये उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किये जाने चाहिये। इसलिये, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी सी आई एंड ई/ए० 2/एएम० 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2271.—The following licences for the import of Chemicals and Dyes intermediates non-banned non-restricted were issued to M/s. Agarwal Cotton Industries, Meerut City.

(1) P/S/1760794 dt. 16-2-73 for Rs. 28500.
(2) P/S/1760795 dt. 16-2-73 for Rs. 14250.
(3) P/S/1760796 dt. 16-2-73 for Rs. 14250.

(2) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A. 2/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/12 dated 4-12-74 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued in advertantly. They were also given 19-12-74 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Agarwal Cotton Industries Meerut city have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the proceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A. 2/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

कानपुर, 20 अक्तूबर, 1975

का० आ० 2272—सर्वश्री यूनाइटेड इन्जीनियरिंग एंड ट्रेडर्स (रजि०) मुकुन्द नगर गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग आदि की आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एम/1759162 दिनांक 28-9-72 मूल्य 43380 रु०
2. पी/एस/1759163 दिनांक 28-9-72 मूल्य 21690 रु०
3. पी/एस/1759164 दिनांक 28-9-72 मूल्य 21690 रु०
4. पी/एम/1759226 दिनांक 2-11-72 मूल्य 40720 रु०
5. पी/एस/1759227 दिनांक 2-11-72 मूल्य 20360 रु०
6. पी/एस/1759228 दिनांक 2-11-72 मूल्य 20360 रु०
7. पी/एम/1760448 दिनांक 6-2-73 मूल्य 41925 रु०
8. पी/एस/1760449 दिनांक 6-2-73 मूल्य 20962 रु०
9. पी/एस/1760450 दिनांक 6-2-73 मूल्य 20962 रु०
10. पी/एस/1761591 दिनांक 30-3-73 मूल्य 48660 रु०
11. पी/एस/1761592 दिनांक 30-3-73 मूल्य 24330 रु०
12. पी/एस/1761593 दिनांक 30-3-73 मूल्य 24330 रु०

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/यू8/ ए० एम० 75/इन्फ/एन बी. एन आर/ए यू/कान/22613 दिनांक 22/24-2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 11-3-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री यूनाइटेड इन्जीनियर एंड ट्रेडर्स (रजि०) मुकन्द नगर, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी सी सी आई एंड ई/यू-6/एएम 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1975

S.O. 2272.—The following licences for the import of ball bearings non-banned and non-restricted type were issued to M/s. United Engineers and Traders (Regd.) Mukand Nagar, Ghaziabad.

1. P/S/1759162 dated 28-9-72 for Rs. 43380.
2. P/S/1759163 dated 28-9-72 for Rs. 21690.

3. P/S/1759164 dated 28-9-72 for Rs. 21690
4. P/S/1759226 dated 2-11-72 for Rs. 40720.
5. P/S/1759227 dated 2-11-72 for Rs. 20360.
6. P/S/1759228 dated 2-11-72 for Rs. 20360.
7. P/S/1760448 dated 6-2-73 for Rs. 41925.
8. P/S/1760449 dated 6-2-73 for Rs. 20962.
9. P/S/1760450 dated 6-2-73 for Rs. 20962.
10. P/S/1761591 dated 30-3-73 for Rs. 48660.
11. P/S/1761592 dated 30-3-73 for Rs. 24330.
12. P/S/1761593 dated 30-3-73 for Rs. 24330.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/U-6/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/22613/dated 22/24-2-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 11-3-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. United Engineers and Traders (Regd.) Mukand Nagar, Ghaziabad, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the proceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffctive. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/U-6/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2273—सर्वश्री अमर इन्जी० वर्क्स, जली कोठी, मेरठ सिटी को गैर-निषेध, गैर-प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :

1. पी/एस/1763196 दिनांक 3-8-73 मूल्य 25000 रुपए।
2. पी/एस/1763197 दिनांक 3-8-73 मूल्य 25000 रुपए
3. पी/एस/1763198 दिनांक 3-8-73 मूल्य 24750 रुपए
4. पी/एस/1763199 दिनांक 3-8-73 मूल्य 24750 रुपए

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-42/ ए एम० 75/इन्फ एन बी एन आर/ए यू /कान/5324 दिनांक 15-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 30-1-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अमर इन्जी० वर्क्स, जली कोठी, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-42/एएम० 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2273—The following licences for the import of Ball bearings etc. non-banned and non-restricted type were issued to M/s. Amar Engineering Works, Jalikothi, Meerut City.

1. P/S/1763196 dt. 3-8-73 for Rs. 25000.
2. P/S/1763197 dt. 3-8-73 for Rs. 25000.
3. P/S/1763198 dt. 3-8-73 for Rs. 24750.
4. P/S/1763199 dt. 3-8-73 for Rs. 24750.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A-42/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/5324 dated 15-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 30-1-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far an time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal rearing on the date fixed for the purpose .

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Amar Engineering Works Jalikothi, Meerut City, have not replied to the notice and have not turne dup for personal hearing they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the proceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (A) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A-42/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2274.—सर्वश्री अरविन्द इन्जी कं० राजेन्द्र नगर, हापुड़ रोड, मेरठ, सिटी को गैर-निषेध गैर-प्रतिबन्ध बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1759641 दिनांक 3-11-72 मूल्य 19695 रुपए
2. पी/एस/179642 दिनांक 3-11-72 मूल्य 19695 रुपए
3. पी/एस/1759643 दिनांक 3-11-72 मूल्य 19695 रुपए
4. पी/सी/1759644 दिनांक 3-11-72 मूल्य 19695 रुपये
5. पी/एस/1759645 दिनांक 3-11-72 मूल्य 19695 रुपए
6. पी/एस/1759646 दिनांक 3-11-72 मूल्य 19695 रुपए
7. पी/एस/1761361 दिनांक 20-3-73 मूल्य 29535 रुपए
8. पी/एस/1761362 दिनांक 20-3-73 मूल्य 14767 रुपए
9. पी/एस/1761363 दिनांक 20-3-73 मूल्य 14267 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-29/ ए एम०-75 इन्फ/एन बी एन आर/ए यू कान/99033 दिनांक 23/24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और इन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी किए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अरविन्द इन्जी० कं०, राजेन्द्र नगर हापुड़ रोड, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या : डी सी सी आई एंड ई/ए-29/एएम० 75/इन्फ/एन बी एन आर/एयू/कान]

ORDER

S.O. 2274.—The following licences for the import of Ball bearings non-banned and non-restricted type were issued to M/s. Arvind Engineering Co., Rajendra Nagar, Hapur Road, Meerut City.

1. P/S/1759641 dated 3-11-72 for Rs. 19695.
2. P/S/1759642 dated 3-11-72 for Rs. 19695.
3. P/S/1759643 dated 3-11-72 for Rs. 19695.
4. P/S/1759644 dated 3-11-72 for Rs. 19695.
5. P/S/1759645 dated 3-11-72 for Rs. 19695.
6. P/S/1759646 dated 3-11-72 for Rs. 19695.
7. P/S/1761361 dated 20-3-73 for Rs. 29535.
8. P/S/1761362 dated 20-3-73 for Rs. 14767.
9. P/S/1761363 dated 20-3-73 for Rs. 14267.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A-29/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/99033 dated 23/24-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 13-2-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Arvind Engineering Co., Rajendra Nagar, Hapur Road, Meerut City, have not replied to the notice and have, not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the proceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (A) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A-29/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2275.—सर्वश्री आदर्श इन्डस्ट्रीज मोहन चित्रलोक के पीछे, रमतेराम रोड, गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1758988 दिनांक 14-9-72 मूल्य 24806 रुपए
2. पी/एस/1758989 दिनांक 14-9-72 मूल्य 24806 रुपए
3. पी/एस/1759458 दिनांक 13-10-72 मूल्य 24859 रुपए
4. पी/एस/1659459 दिनांक 13-10-72 मूल्य 24859 रुपए
5. पी/एस/1761117 दिनांक 7-3-73 मूल्य 47742 रुपए
6. पी/एस/1761118 दिनांक 7-3-73 मूल्य 23871 रुपए
7. पी/एस/1761119 दिनांक 7-3-73 मूल्य 23871 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-26/ए एम० 75/इन्फ/एन बी ए न आर/ए यू /कान/7752 दिनांक 20-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री आदर्श इन्डस्ट्रीज मोहन चित्रलोक के पीछे, रमतेराम रोड, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-26/एएम० 75/इन्फ/एन बी एन आर/एयू/कान]

ORDER

S.O. **2275.**—The following licences for the import of Ball bearings etc. non-banned and non-restricted type were issued to M/s. Adarsh Industries, behind Mohan Chitralok, Ramte Ram Road, Ghaziabad.

1. P/S/1758988 dated 14-9-72 for Rs. 24806.
2. P/S/1758989 dated 14-9-72 for Rs. 24806.
3. P/S/1759458 dated 13-10-72 for Rs. 24859.
4. P/S/1759459 dated 13-10-72 for Rs. 24859.
5. P/S/1761117 dated 7-3-73 for Rs. 47742.
6. P/S/1761118 dated 7-3-73 for Rs. 23871.
7. P/S/1761119 dated 7-3-73 for Rs. 23871.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A-26/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/7752 dated 2-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 4-2-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received to far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Adarsh Industries, Behind Mohan Chitralok, Ramte Ram Road, Ghaziabad have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the proceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (A) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No DCCI&E/A-26/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का० आ० 2276.—सर्वश्री अरुण उद्योग, शारदा रोड, मेरठ सिटी को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1 पी/एस/1760804 दिनांक 16-2-73 मूल्य 5000 रुपए।
2 पी/एस/1760805 दिनांक 16-2-73 मूल्य 5000 रुपए।
3 पी/एस/1760806 दिनांक 16-2-73 मूल्य 5000 रुपए।
4 पी/एस/1760807 दिनांक 16-2-73 मूल्य 5000 रुपए।
5. पी/एस/1760808 दिनांक 16-2-73 मूल्य 5000 रुपए।
6. पी/एस/1760809 दिनांक 16-2-73 मूल्य 5000 रुपए।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-21/ए एम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/7745 दिनांक 20-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अरुण उद्योग, शारदा रोड मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसीलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या० डी सी सी आई एंड ई/ए-21/ए एम 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2276.—The following licences for the Import of Ball Bearings etc. non-banned and non-restricted type were issued to M/s. Arun Udhyog, Sharda Road, Meerut City.

1. P/S/1760804 dated 16-2-73 for Rs. 5000.
2. P/S/1760805 dated 16-2-73 for Rs. 5000
3. P/S/1760806 dated 16-2-73 for Rs. 5000.
4. P/S/1760807 dated 16-2-73 for Rs. 5000.
5. P/S/1760808 dated 16-2-73 for Rs. 5000.
6. P/S/1760809 dated 16-2-73 for Rs. 5000.

2 Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A-21/AM-75/ENF/NBR/AU/KAN/7745 dated 20-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 4-2-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4 The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Arun Udhyog, Sharda Road, Meerut City, have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the proceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub clause (A) of the imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A-21/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का०आ० 2277.—सर्वश्री ऐकूरेट इन्डस्ट्रीज, 109/4, मोहनपुरी, मेरठ सिटी को गैरनिषेध गैर-प्रतिबंधित सी आर/टिपर्ड रोलर बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1763237 दिनांक 7-7-73 मूल्य 24875 रुपए।
2 पी/एस/1763238 दिनांक 7-6-73 मूल्य 24875 रुपए।

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-19/ए एम-75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/5310 दिनांक 15-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 30-1-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री ऐकूरेट इन्डस्ट्रीज, 109/4, मोहनपुरी, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है ।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या० डी सी सी आई एंड ई/ए-19/ए एम 75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2277.—The following licences for the Import of Ball Roller Bearing etc. non-banned and non-restricted type were issued to M/s. Accurate Industries, 109/4, Mohan Puri, Meerut City.

1. P/S/1763237 dated 7-6-73 for Rs. 24875.

2. P/S/1763238 dated 7-6-73 for Rs. 24875.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI&E/A-19/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/5310 dated 15-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 30-1-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Accurate Industries, 109/4, Mohan Puri, Meerut City. Have not replied to the notice and have not turned up for personal hearing they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the proceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (A) of the Imports (Control) Order. 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A-19/AM-75/ENF/NBNR/PU/KAN]

आदेश

का०आ० 2278.—सर्वश्री अमन इन्डस्ट्रीज, कानपुर को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित रबावर आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1759897 दिनांक 29-11-72 मूल्य 5000 रुपए ।

2. पी/एस/1750898 दिनाक 29-11-72 मूल्य 5000 रुपए ।

2. तत्पश्चात् उन्हे एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-6/ए/एम—75/इन्फ/एन बी/एन आर/ए यू/कान/2 दिनाक 2/3-12-74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसो को क्यो न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हे इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हे उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 17-12-74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था ।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नही हुआ है ।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जाच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अमन इन्डस्ट्रीज, कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं ।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा समाधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसो को रद्द करता है ।

[सख्या०डी सी सी आईएंड ई/ए-6/ए एम 75/इन्फ/एन बी एनआर/ए-यू/कान]

ORDER

S.O. 2278.—The following licences for the import of Chemicals non-banned non-restricted were issued to M/s. Aman Industry, Kanpur.

1. P/S/1759897 dt. 29-11-72 for Rs. 5000.
2. P/S/1759898 dt. 29-11-72 for Rs. 5000.

2. Thereafter a show Cause Notice No DCCI&E/A-6/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/2 dated 2/3-12-74 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the group that the same were issued inadvertantly. They were also given 17-12-74 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. Non one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4 The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Aman Industry, 11/284 Souterganj, Kanpur have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5 Having regard to what has been said in the proceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the unersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A.6/AM75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

का०आ० 2279.—सर्वश्री ऐके कैमिकल इन्डस्ट्रीज, 84/35, कारपी रोड, कानपुर को गैरनिषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1762601 दिनांक 30-5-73 मूल्य 16750 रुपए ।

2 पी/एस/1762602 दिनांक 30-5-73 मूल्य 16750 रुपए ।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई एंड ई/ए-3/ए एम—75/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/1 एवं 15604 दिनांक 3-12-74 एवं 6-2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेसो को क्यो न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हे इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हे उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनाक 17-12-74 एवं 21-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था ।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नही हुआ है ।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री ऐके कैमिकल इन्डस्ट्रीज, 84/35, कारपी रोड, कानपुर के पास इस मामले मे अपने बचाव के

लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

6 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[संख्या०डी सीसी आई एंड ई/ए-3/ए एम75/इन्फ/एन बीएनआर/ए यू/कान]

ORDER

S.O. 2279.—The following licences for the Import of Ball Bearing non-banded and non-restricted type were issued to M/s. Akay Chemical Industries, 84/35,, Kalpi Road, Kanpur.

1. P/S/1762601/dated 30-5-73 for Rs. 16750.
2. P/S/1762601/dated 30-5-73 for Rs. 16750.

2. Thereafter a show cause Notice No. DCCI&E/A-3/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/1 & 15604/dated 3-12-74 & 6-2-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 17-12-74 & 21-2-75 for personal hearing of their matter.

3. No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Akay Chemical Industries, 84/35, Kalpi Road, Kanpur have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

5. Having regard to what has been said in the proceeding paragraph the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (A) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/A-3/AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN]

आदेश

कानपुर, 11 नवम्बर 1975

का०आ० 2280.—सर्वश्री देहाती एग्रिकलचरल इन्डस्ट्रीज, मेरठ सिटी को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे :—

1. पी/एस/1763510 दिनांक 31-8-73 मूल्य 25105 रुपए
2. पी/एस/1763511 दिनांक 31-8-73 मूल्य 12552 रुपए।
3. पी/एस/1763512 दिनांक 31-8-73 मूल्य 12552 रुपए।
4. पी/एस/1762017 दिनांक 31-3-73 मूल्य 7500 रुपए।
5. पी/एस/1762018 दिनांक 31-3-73 मूल्य 7500 रुपए।
6. पी/एस/1762019 दिनांक 31-3-73 मूल्य 5000 रुपए।
7. पी/एस/1762020 दिनांक 31-3-73 मूल्य 5000 रुपए।
8. पी/एस/1762021 दिनांक 31-3-73 मूल्य 5000 रुपए।
9. पी/एस/1762022 दिनांक 31-3-73 मूल्य 5000 रुपए।

2. उसके पश्चात् एक कारण निर्वेशन नोटिस संख्या डी सी सी आई एंड ई/डी-22/डी-18 ए एम-74/इन्फ/एन बी एन आर/ए यू/कान/9848 एवं 7739 दिनांक 23/24-2-75 एवं 20-1-75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए गए उक्त लाइसेंस इस आधार पर रद्द क्यों न कर देने चाहिए कि वे भूल से जारी किए गए थे। उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 13-2-75 एवं 4-2-75 का दिन भी दिया गया था।

3. उपर्युक्त कारण निर्वेशन "नोटिस बिना पता दिए छोड़ा गया" अभ्युक्तियों के साथ डाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है।

4. अधोहस्ताक्षरी इस निर्णय पर हम पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री देहाती एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्रीज मेरठ सिटी ने कारण निर्वेशन नोटिस का उत्तर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उन के पास कोई तर्क बचाव के लिए नहीं है और यह कि लाइसेंस भूल से जारी किए गए थे।

5. पिछली कंडिकाओं में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिएं। इसलिए, यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 उप-धारा (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त एतद् द्वारा रद्द किए जाते हैं।

[संख्या०डी सी सी आईएंड ई/डी-22डी-18/ए एम-75/एन्फ/एन बी एन आर एयू/कान]

ORDER

Kanpur, the 11th November, 1975

S.O. 2280.—The following licences for the import of Ball Bearings etc .non-banned non-restricted type were issued to M/s. Dehati Agricultural Industries, Meerut City.

1. P/S/1763510 dt. 31-8-73 for Rs. 25105/-
2. P/S/1763511 dt. 31-8-73 for Rs. 12552/-
3. P/S/1763512 dt. 31-8-73 for Rs. 12552/-
4. P/S/1762017 dt. 31-3-73 for Rs. 7500/-
5. P/S/1762018 dt. 31-3-73 for Rs. 7500/-
6. P/S/1762019 dt. 31-3-73 for Rs. 5000/-
7. P/S/1762020 dt. 31-3-73 for Rs. 5000/-
8. P/S/1762021 dt. 31-3-73 for Rs. 5000/-
9. P/S/1762022 dt. 31-3-73 for Rs. 5000/-

2. Thereafter a show cause Notice No. DCCI&E/D. 222/D-18 AM-75/ENF/NBNR/AU/KAN/9848 dated 23/24-2-75 and 20-1-75 respectively was issued to them asking to show cause within fifteen days of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertantly. They were also given 13/2-75 and 4-2-75 for personal hearing of their matter.

The above said show cause notice has been returned undelivered by the postal authorities with their remarks "Left without address".

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Dehati Agricultural Ind., Meerut city, have avoided a reply to the show cause notice as they have no defence to urge and that the licences were isued inadvertantly.

5. Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or oherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences.

[No. DCCI&E/D. 22/D. 18/AM-75/NBNR/AU/KAN]

आदेश

नई दिल्ली 24 अक्तूबर, 1975

का०आ० 2281.—सर्वश्री अमर इन्जी० वर्क्स, जली कोठी, मेरठ सिटी को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

1. पी/एस/1758630 दिनांक 11-8-72 मूल्य 8750 रुपए
2. पी/एस/1758631 दिनांक 11-8-72 मूल्य 8750 रुपए
3. पी/एस/1758632 दिनांक 11-8-72 मूल्य 12500 रुपए
4. पी/एस/1758633 दिनांक 11-8-72 मूल्य 12500 रुपए
5. पी/एस/1759402 दिनांक 11-10-72 मूल्य 15000 रुपए
6. पी/एस/1759403 दिनांक 11-10-72 मूल्य 15000 रुपए
7. पी/एस/1760273 दिनांक 5-1-73 मूल्य 24900 रुपए
8. पी/एस/1760274 दिनांक 5-1-73 मूल्य 24900 रुपए

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० एंड ई/ए-27/ए एम/75/इन्फ/एन बी एनआर/ए यू/कान/9831 दिनांक 24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे। उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था।

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अमर इन्जी० वर्क्स, जली कोठी, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 द्वारा 9 उप-धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है।

[सं० डी०सी०सी०आई०एण्ड ई०/ए०-27/ए०एम०-75/एन्फ०/एन० बी० एन०आर०/कान०]

डी० एस० मोरक्रीमा, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 24th October, 1975

S.O. 2281.—The following licences for the import of ball bearings etc. were issued to M/s. Amar Engineering Works, Jali Kothi, Meerut city.

1. P/S/1758630 dt. 11-8-72 for Rs. 8750/-
2. P/S/1758631 dt. 11-8-72 for Rs. 8750/-
3. P/S/1758632 dt. 11-8-72 for Rs. 12500/-
4. P/S/1758633 dt. 11-8-72 for Rs. 12500/-
5. P/S/1759402 dt. 11-10-72 for Rs. 15000/-
6. P/S/1759403 dt. 11-10-72 for Rs. 15000/-
7. P/S/1760273 dt. 5-1-73 for Rs. 24900/-
8. P/S/1760274 dt. 5-1-73 for Rs. 24900/-

(2) Thereafter a show cause notice No. DCCI&E/A-27/AM-75/ENF/NBNR/Kan/9831 dated 24-1-75 was issued to them asking to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the same were issued inadvertently. They were also given 13-2-75 for personal hearing of their matter.

(3) No reply to the above said notice has been received so far and time stipulated for reply has expired. No one has also appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose.

(4) The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the said M/s. Amar Engg. Works, Jali Kothi, Meerut city have not replied to the notice and have not turned up for personal hearings they have no defence to urge in the matter.

(5) Having regard to what has been said in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) order 1955 dated 7-12-1955 as amended hereby cancels the above said licences

[No. DCCI&E/A-27/AM-75/ENF/NBNR/KAN]

D. S. MORKRIMA, Dy Chief Controller

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 1976

का० आ० 2282.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन ग्रेन, राइस एण्ड आयलसीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को मूंगफली की किरी की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 10 अगस्त 1976 से 9 अगस्त 1977 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित है) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12(10)-आई०टी०/76]

बी० एन० लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 16th June, 1976

S.O. 2282.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Grain, Rice and Oilseeds Merchants Association, Bombay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 10th August, 1976 to the 9th August, 1977 (both days inclusive) in respect of forward contracts in groundnut Kernels.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(10)-IT/76]

B. N. LALL, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 20 मई, 1976

का०आ० 2283—समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये है, वे अब वापस ले लिये गये हैं और रद्द माने जायें :—

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किये गये भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	राजपत्र अधिसूचना की एस०ओ० संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
1	2	3	4
1	IS : 1052-1962 डाइएल्ड्रिन तकनीकी की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1963-02-16 में एस ओ संख्या 483 दिनांक 1963-02-04 के अन्तर्गत प्रकाशित ।	कीटनाशक अधिनियम 1968 और इसके अधीन बने विनियमों के अनुसार देश में डाइएल्ड्रिन और उससे बनी वस्तुओं के निर्माण पर रोक लग जाने के कारण यह भारतीय मानक रद्द कर दिया गया है ।
2	IS : 1053-1962 डाइएल्ड्रिन जल विसर्जनीय तेज पाउडर की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1962-12-29 मे एस ओ संख्या 3881 दिनांक 1962-12-19 के अन्तर्गत प्रकाशित ।	कीटनाशक अधिनियम 1968 और इसके अधीन बने विनियमों के अनुसार देश में डाइएल्ड्रिन और उससे बनी वस्तुओं के निर्माण पर रोक लग जाने के कारण यह भारतीय मानक रद्द कर दिया गया है ।
3.	IS : 1054-1962 डाइएल्ड्रिन पायसनीय तेजद्रव की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1963-02-16 मे एस ओ संख्या 483 दिनांक 1963-02-04 के अन्तर्गत प्रकाशित ।	कीटनाशक अधिनियम 1968 और इसके अधीन बने विनियमों के अनुसार देश में डाइएल्ड्रिन और उससे बनी वस्तुओं के निर्माण पर रोक लग जाने के कारण यह भारतीय मानक रद्द कर दिया गया है।

[सं०सी०एम०डी०/13 : 7]

(Department of Industrial Development)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 20th May, 1976

S.O. 2283.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks Regulations 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No	No. & Title of the Indian Standard cancelled	S.O. No. & date of the Gazetted Notification in which Establishment of the Indian Standars was notified	Remarks
1	2	3	4
1.	IS ; 1052-1962 Specification for dieldrin technical (revised)	S.O. 483 dated 1963-02-04 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1963-02-16	Cancelled as the manufacturing of dieldrin and its formulation has been banned in the country in view of the Insecticides Act 1968 and the Rules framed thereunder.
2	IS : 1053-1962 Specification for dieldrin water dispersible powder concentrates (revised)	S.O. 3881 dated 1962-12-19 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1962-12-29	Cancelled as the manufacturing of dieldrin and its formulation has been banned in the country in view of the Insecticides Act 1968 and the Rules framed thereunder.
3.	IS : 1054-1962 Specification for dieldrin emulsifiable Concentrates (revised)	S.O. 483 dated 1963-02-04 published in the Gazetted of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1963-02-04	Cancelled as the manufacturing of dieldrin and its formulation has been banned inthe country in view of the Insecticides Act 1968 and the Rules framed thereunder.

[No. CMD/13 : 7]

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 4 जून, 1976

का०आ० 2284.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किये हैं जिनकी डिजाइनों शाब्दिक विवरणों और भारतीय मानकों के शीर्षकों सहित नीचे अनुसूची में दी गई है —

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उनके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिह्न उनके आगे दी गई तिथियों से लागू होंगे :—

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	IS : 897	रेल के डिब्बों के लिये टंग्स्टन तंतु वाले बिजली के बल्ब]	IS : 897-1966 रेल के डिब्बों के लिये टंग्स्टन तंतु वाले बिजली के बल्बों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।	1976-03-16
2	IS : 7371	सेफ्टी रेजर ब्लेड	IS : 7371-1975 सेफ्टी रेजर ब्लेडों की विशिष्टि ।	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।	1976-01-16

[सं० सी० एम० डी० 13 : 9]

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 4th June, 1976

S.O. 2284.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. of Title of the Relevant Indian Standards	Verbal description of the design of the Standard Mark	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.	IS : 897	Tungsten filament electric lamps for railways rolling stock	IS : 897-1966 Specification for tungsten filament electric lamps for railways rolling stock **(first Revision)**	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1976-03-16
2.	IS : 7371	Safety razor blades	IS : 7371-1975 Specification for safety razor blades	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design	1976-01-16

[No. CMD/13 : 9]

का०आ० 2285.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिये गये ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होगी —

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पादों की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	रेल के डिब्बों के लिये टंग्स्टन तंतु वाले बिजली के बल्ब	IS : 897—1966 रेल के डिब्बों के लिये टंग्स्टन तंतु वाले बिजली के बल्बों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	10 बल्ब	1 पैसा	1976-03-16
2.	सेफ्टी रेजर ब्लेड	IS : 7371—1975 सेफ्टी रेजर ब्लेडों की विशिष्टि	1000 ब्लेड	(1) पहली 10000 इकाइयों के लिये 50 पैसे प्रति इकाई (2) 10001वीं से 20000 तक इकाइयों के लिये 20 पैसे प्रति इकाई; और (3) 20001वीं और उससे ऊपर की इकाइयों के लिये 5 पैसे प्रति इकाई ।	1976-01-16

[संख्या सी०एम०डी०/13 : 10]

S.O. 2285.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee(s) per units for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed/ have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevent Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of ffect
1	2	3	4	5	6
1.	Tungsten filament electric lamps for railways rolling stock	IS : 897-1966 Specification for tungsten filament electric lamps for railways rolling stock (first revision)	10 lamps	1 paisa	1976-03-16
2.	Safety razor blades	IS : 7371-1975 Specification for safety razor blades	1000 blades	(i) 50 paise per unit for the first 10000 units (ii) 20 Paise per unit for the 10001st to 20000 units; and (iii) 5 Paise per unit for the 20001st unit and above.	1976-01-16

[No. CMD/13:10]

नई दिल्ली, 8 जून, 1976

का०आ० 2286.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 38 लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गये, लाइसेंसधारियों को मानक संबंधी मुहर लगाने का अधिकार देते हुए दिसम्बर, 1974 में स्वीकृत किये गये हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या (सी एम/एल)	वैधता की अवधि से	तक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंसों के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और तत्संबंधी IS : पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	सी एम/एल—4080 12-12-1974	1-12-1974	30-11-1975	अपार प्रा० लि० (स्पेशल आयल रिफाइनरी) एस्सो रिफाइनरी के पीछे माहुल गांव ट्राम्बे, बम्बई-74 (कार्यालय 24 बाल्मी सैयद अब्दुल्ला बम्बई-1)	ट्रांसफार्मरों और स्विचगियर के लिये नया रोधन तेल— IS : 335—1972
2.	सी एम/एल—4081 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	कृष्णा स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, ठाणे बेलापुर रोड, काल्वे ठाणे, (महाराष्ट्र) (कार्यालय : 29/30 वासवानी मैंशन्स 120, दीनशावाचा रोड, बम्बई-20)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में पुन बेल्लन के लिये कार्बन इस्पात के बिलेट— IS : 2830—1964
3.	सी एम/एल—4082 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में पुनः बेल्लन के लिये कार्बन इस्पात के बिलेट— IS : 2831—1969
4.	सी एम/एल—4083 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	प्लांट प्रोटेक्शन (इंडिया) बी-28 इंडस्ट्रियल इस्टेट, कटक-10 (उड़ीसा)	एल्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव— IS : 1310—1958
5.	सी एम/एल—4084 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	,,	मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव— IS : 2567—1973
6.	सी एम/एल—4085 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	प्लांट प्रोटेक्शन (इंडिया) बी-28 इंडस्ट्रियल इस्टेट कटक-10 (उड़ीसा)	एण्डोसल्फेन पायसनीय तेज द्रव— IS : 4323—1967
7.	सी एम/एल—4086 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	मराठवाड़ा एलाय स्टील क० लि०, प्लाट संख्या ई/36 एम आई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया, चिकलथाना औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात की ढलवां बिलेट-सिल्लियां— IS : 6915—1973
8.	सी एम/एल—4087 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	पेस्टीसाइड्स इंडिया, उदयसागर रोड, उदयपुर (राजस्थान)	हेप्टाक्लोर पायसनीय तेज द्रव— IS : 6439—1972
9.	सी एम/एल—4088 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	इंडियन नेशनल डीजल इंजन कं० लि०, पी/61 सी-सर्कुलर गार्डन रीच रोड, (कार्यालय : हाल एंड एंडरसन बिल्डिंग, कलकत्ता-700016)	निम्नलिखित रेटिंग के खड़ी प्रकार के एक सिलेण्डर वाले वायु शीतलित डीजल इंजन— कि० वा० / चक्कर प्रति मिनट / टाइप 4.63 (6.5 हा० पा०) / 1500 / पी एच 1 IS : 1601—1960
10.	सी एम/एल—4089 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	एसोसियटेड केबल्स प्रा० लि० बी-9/1 एम आई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया, तलोजा, जिला कोलाबा (महाराष्ट्र)	1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल, तांबे के चालकों वाले— IS : 1554 (भाग 1)—1964
11.	सी एम/एल—4090 20-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	स्टार स्टील प्रा० लि०, मकरपुरा, डाकघर मनेजा बड़ोदरा जिला (गुजरात)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी विरूपित इस्पात की सरिया— IS : 1786—1966

1	2	3	4	5	6
12.	सी एम/एल-4091 20-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	साइंटिफिक इंसेक्टीसाइड्स क०, 447/1 मंगलागिरी रोड, गुंटूर-522001 (आ०प्र०)	मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव-- IS : 2567-1973
13.	सी एम/एल-4092 20-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	पी वी एस इंडस्ट्रीज, पोस्ट बाक्स संख्या 33, अमरावती, होजपेट (कर्नाटक)	पैराथियोन पायसनीय तेज द्रव-- IS : 2129-1962
14.	सी एम/एल-4093 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	मिश्रल पेस्टीसाइड्स, 9/122 मोतीबाग, जमना पार, आगरा-6	हेप्टाक्लोर पायसनीय तेज द्रव-- IS : 6439-1974
15.	सी एम/एल-4094 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	पटेल मैन्युफैक्टर्स, अजीत इंडस्ट्रियल इस्टेट, पो० बा० सं० 510 राजकोट-3	निम्नलिखित रेटिंग के खड़ी प्रकार एक सिलेण्डर वाले जलशीतलित चार स्ट्रोक चक्र वाले डीजल इंजन--
					किव। चक्कर प्रति मिनट टाइप
					4.40 660 पी एम वी (6 हु० पा०) IS : 1601-1960
16.	सी एम/एल-4095 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	मोतीलाल पेस्टीसाइड्स (इंडिया) मसानी-दिल्ली रोड मथुरा (उ०प्र०)	मालाथियोन धूलन पाउडर— IS : 2568-1973
17.	सी एम/एल-4096 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	कोसन मेटल प्रोडक्ट्स प्रा० लि० सूरत सर्टिफाइड स्कूल के सामने गोटलवाड़ी, कटारगांव सूरत (गुजरात) (कार्यालय : बम्बई फूड्स प्रिमिसेस, कटारगांव सूरत-395004)	सी सी ई द्वारा पत्र संख्या सी-3 (40)-2 दिनांक 9-11-1973 के माध्यम से अनुमोदित ड्राइंग सं० बी० 511111 दिनांक 30-9-1975 के अनुसार बने अल्प दाब गैस सिलेण्डर वाल्व (तैयार)-- IS : 3224-1971
18.	सी एम/एल-4097 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	श्री वेंकटेश्वर मिनरल्स, प्रा०लि० 3, इलम्या मुदाली स्ट्रीट टोडियार पेट, मद्रास-600081	डी डी टी पायसनीय तेज द्रव— IS : 633-1956
19.	सी एम/एल-4098 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	अहमदाबाद स्टील कास्ट एण्ड रोलिंग मिल्स ओधव अहमदाबाद-22 (कार्यालय : गुप्ता चैम्बर सारनपुर गेट के बाहर अहमदाबाद-2)	औद्योगिक इमारतों के लिए इस्पात के सेक्शन टी-3 और एफ-8— IS : 1361-1959
20.	सी एम/एल-4099 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	आलिका रबड़ वर्क्स 84/8 फैजगंज कानपुर (उ० प्र०)	ढले हुए रबड़ के ठोस तल्ले की एड़ियां— IS : 5676-1970
21.	सी एम/एल-4100 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि० साबर डेरी, हिम्मतनगर जिला साबरकांठा (गुजरात)	दूध पाउडर (शुद्ध तथा सेपेरेटा)-- IS : 1165-1967
22.	सी एम/एल-4101 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	किसान केमिकल्स 3 इंडस्ट्रियल इस्टेट पिंजौर (हरियाणा)	मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव— IS : 2567-1973
23.	सी एम/एल-4102 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	हिन्दुस्तान मेटल फिटिंग्स मैन्यु० क० 15 दमदम रोड, कलकत्ता-700030	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970
24.	सी एम/एल-4103 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	भारत पुल्वराइजिंग मिल्स प्रा० लि० 1074 तिरुवोतियूर हाई रोड, मद्रास-19	कार्बोरिल धूलन पाउडर— IS : 7122-1973
25.	सी एम/एल-4104 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	कलिंग ट्यूब्स लि० चौद्वार डाकघर, चौद्वार जिला कटक (उड़ीसा)	गैस और मल निकास के लिए बिजली द्वारा वेल्डकृत इस्पात के पाइप साइज 200 मिमी से 400 मिमी सांकेतिक व्यास वाले— IS : 3589-1966

1	2	3	4	5	3
26	सी एम/एल-1105 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	गार्डन रीच वर्कशाप लि० 43/46 गार्डनरीच रोड कलकत्ता-24 (पं० बंगाल)	खानों में लटकाने वाले ज्वालासह खोल साइज 3 वोल्टता 440/440/550 वोल्ट तीन फेजी 50 हैज, 1000 चक्कर प्रति मिनट, 50 अम्पी (समूह 1)— IS : 2148-1968
27.	सी एम/एल-4106 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	केप्टान मीटर्स (इंडिया) लि० टोंक रोड जयपुर-4 (राजस्थान)	राशि प्रकार के पानी के मीटर केवल 100 मिमी साइज के— IS : 2373-1973
28.	सी एम/एल-4107 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	बिहार स्टेट लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्रा०) लि० बेतिया जिला पश्चिमी चम्पारन (बिहार)	खनिकों के लिए चमड़े के बचाव बूट और जूते— IS : 1989-1973
29.	सी एम/एल-4108 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	ग्लोव सुपर पार्टस, 14/1 मील मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा)	घरेलू गैस स्टोव— IS : 4246-1972
30.	सी एम/एल-4109 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	दि एलुमिनियम इंडस्ट्रीज लि० संख्या 1, सिरैमिक फैक्टरी रोड, कुंडारा (केरल)	टेक के लिए जस्तीकृत तार की छड़े, ग्रेड 2- IS : 2141-1968
31.	सी एम/एल-4110 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	इक्कन स्टेनलेस स्टील एण्ड वायर इंडस्ट्रीड, 19/4, इंडस्ट्रियल एरिया, आजमगढ़, हैदराबाद-20 (आ० प्र०)	दूध उबालने के लिए एलुमिनियम के बर्तन— IS : 7185-1973
32	सी एम/एल-4111 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	बुड क्राफ्टस प्राडक्टस लि० जयपुर डाकघर जयपुर जिला डिबरुगढ़ (असम) (कार्यालय : 9/1 आर एन मुखर्जी रोड आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700001	सामान्य कार्यों के लिए प्लाईवुड बी डब्ल्यू आर ग्रेड— IS : 303-1960
33.	सी एम/एल-4112 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	कलिंग ट्यूब्स लि०, चेल्हार डाकघर, चौल्हार जिला कटक (उड़ीसा)	मृदु इस्पात की नलियां— IS : 1239 (भाग 1)-1973
34.	सी एम/एल-4113 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	केडिया इंडस्ट्रीज 79/80 सुदर्शनपुरा, इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर पश्चिम, जयपुर-6	पीतल के गोले नुमा वाल्व (क्लेसिज प्लंजरनुमा) केवल 15 मिमी एच पी— IS : 1703-1968
35.	सी एम/एल-4114 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	अमेरिकन स्प्रिंग एण्ड प्रेसिंग वर्क्स प्रा० लि, मार्बे रोड, मलाड, बम्बई-400064	धान निराने के चूर्णण यंत्र— IS : 1976-1969
36.	सी एम/एल-4115 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	"	खेतों में बिलों के धूलन यंत्र— IS : 3634-1966
37.	सी एम/एल-4116 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	मुकुंद आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०, कासवे, ठाणे बेलापुर रोड, ठाणे (महाराष्ट्र)	सुघट्य कार्बन और कार्बन मैंगनीज इस्पात— IS : 4431-1967
38.	सी एम/एल-4117 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	"	गढ़ी वस्तुओं के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट, और सिल्लियां— IS : 1875-1971

[सं० सी०एम०डी०/13 : 11]

ए० बी० राय, उपमहानिदेशक

New Delhi, the 8th June, 1976

S.O. 2286 —In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that thirty eight licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of December 1974 authorizing the licensees to use the Standard Marks:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L—)	Period of Validity		Name and Address of the licensee	Article/Process covered by the Licensees and the Relevant IS : Designation
		From	To		
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L-4080 12-12-1974	1-12-1974	30-11-1975	Apar Pvt. Ltd.(Special Oil Refinery), Behind ESSO Refinery, Mahul Village, Trombay, Bombay-74. (Office : 24 Bralvi Sayed Abdulla, Bombay-1)	New insulating oil for transformers and switchgear— IS : 335-1972
2.	CM/L-4081 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	Krishna Steel Industries Pvt. Ltd., Thana Belapur Road, Kalwe, Thana (Maharashtra) (Office : 29/30 Vaswani Mansions, 120 Dinshaw Vachha Road, Bombay-20)	Carbon steel billets for rerolling into structural steel (standard quality)— IS : 2830—1964
3.	CM/L-4082 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	—Do—	Carbon steel billets for re-rolling into structural steel (ordinary quality) IS : 2831—1969
4.	CM/L-4083 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	Plant Protection (India), B-28 Industrial Estate, Cuttack-10 (Orissa)	Endrin FC— IS : 1310—1958
5.	CM/L-4084 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	—Do—	Malathion EC— IS : 2567—1973
6.	CM/L-4085 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	—Do—	Endosulfan EC— IS : 4323—1967
7.	CM/L-4086 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	Marathwada Alloy Steel Co. Ltd, Plot No. E/36, MIDC Industrial Area, Chikalthana, Aurangabad (Maharashtra)	Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (Ordinary quality)— IS : 6915—1973
8.	CM/L-4087 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	Pesticides India, Udaisagar Road, Udaipur (Rajasthan)	Hepatachler emulsifiable concentrates— IS : 6439—1972
9.	CM/L-4088 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	Indian National Diesel Engine Co. Ltd, P/61B, Circular Garden Reach Road, Calcutta (Office : Hall and Anderson Building, Calcutta-700016)	Vertical diesel engine single cylinder air-cooled of the following rating KW/4.63 R.P.M./1500 Type/PH 1 (6.3 HP) IS : 1601—1960
10.	CM/L-4089 12-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	Associated Cables Pvt. Ltd, B-9/1 M.I.D.C. Industrial Area, Taloja, Distt. Kobaba (Maharashtra)	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages up to and including 1100 volts with copper conductor— IS : 1554 (Part I)—1964
11.	CM/L-4090 20-12-1974	16-12-1974	15-12-1975	Star Steel Pvt. Ltd, Makarpura, P.O. Maneja, Baroda Distt, (Gujarat)	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786- 1966
12.	CM/L-4091 20-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Scientific Insecticides Co, 447/1 Magalagiri Road, Guntur-522001 (A.P.)	Malathion EC— IS : 2567—1973
13.	CM/L-4092 20-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	P.V.S. Industries, P.B. No. 33, Amaravathi Hospet (Karnataka)	Parathion EC— IS : 2129—1962
14.	CM/L-4093 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Singhal Pesticides, 9/122 Moti Bagh, Jamuna Par, Agra-6	Hepatachlor EC— IS : 6439—1974
15.	CM/L-4094 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Patel Manufactures, Aji Industrial Estate, Post Box No. 510, Rajkot-3	Vertical single cylinder, water cooled four stroke cycle diesel engine of the following rating : KW/4 40 R.P.M./660 Type/PMV 6(HP) IS : 1601—1960

1	2	3	4	5	6
16.	CM/L-4095 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Moti Lal Pesticides (India), Masani Delhi Road, Mathura (U.P.)	Malathion DP — IS : 2568—1973
17.	CM/L-4096 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Kosan Metal Products Pvt. Ltd, Opposite Surat Certified School, Gotalawadi, Katargam, Surat (Gujarat) (Office : Bombay Foods Premises, Katargam, Surat-395004)	LPG gas cylinder valve (finished) as per drawing No. B-51111 dated 30-9-73 approved by CCE vide letter No. C-3(40)-2 dated 9-11-73. IS : 3224—1971
18.	CM/L-4097 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Sree Venkateswara Minerals Pvt. Ltd, 3 Elaiya Mudali Street, Tondiarpet, Madras —600081	DDT EC — IS : 633—1956
19.	CM/L-4098 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Ahmedabad Steel Craft and Rolling Mills, Odhav, Ahmedabad-22 (Office : Gupta Chamber, Outside Saranpur Gate, Ahmedabad-2)	Steel section T-3 & F-8 for Industrial Buildings— IS : 1361—1959
20.	CM/L-4099 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Aliga Rubber Works, 84/8 Fazaganj, Kanpur (U.P.)	Moulded solid rubber soles and heels IS : 5676 —1970
21.	CM/L-4100 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Sabarkantha District Co-operative Mild Producer's Union Ltd, Sabar Dairy, Himatnagar, Distt Sabarkantha (Gujarat)	Milk powder (skim and whole) IS : 1165—1967
22.	CM/L-4101 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Kisan Chemicals, 3 Industrial Estate, Pinjore (Haryana)	Malathion emulsifaible concentrates— IS : 2567—1973
23.	CM/L-4102 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Hindusthan Metal Fittings Mfg. Co, 15 Dum Dum Road, Calcutta-700030	Tea -Chest metal fittings — IS : 10—1970
24.	CM/L-4103 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Bharat Pulverising Mills P. Ltd, 1074 Tiruvottiyur High Road, Madras-19	Carbaryl DP— IS : 7122—1973
25.	CM/L-4104 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Kalinga Tubes Ltd, Choudwar, P.O. Choudwar, Distt Cuttack (Orissa)	Electrically welded steel pipes for gas and sewage size : 200 mm to 400 mm nominal dia IS : 3589—1966
26.	CM/L-4105 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Garden Reach Workshops Ltd, 43/46 Garden Reach Road, Calcutta-24 (West Bengal)	Flameproof enclosures for mine hoist size -3 voltage 400/440/550 volts 3-phase 50 Hz, 1000 R.P.M. 50 amp (Group I)— IS : 2148—1968
27.	CM/L-4106 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Capstan Meters (India) Ltd, Tonk Road, Jaipur-4 (Rajasthan)	Water meters, bulk type up to 100 mm size only— IS : 2373—1973
28.	CM/L-4107 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Bihar State Leather Industries Development Corporation (P) Ltd, Bettiah Distt, West Champaren (Bihar)	Miners' safety leather boots and shoes— IS : 1989—1973
29.	CM/L-4108 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Globe Super Parts, 14/1 Mile, Mathura Road, Faridabad (Haryana)	Domestic gas stoves— IS : 4246—1972
30.	CM/L-4109 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	The Aluminium Industries Ltd, No. 1, Ceramic Factory Road, Kundara (Kerala)	Galvanized stay strand, Grade 2— IS : 2141—1968
31.	CM/L-4110 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Deccan Stainless Steel & Wire Industries, 19/4 Industrial Area, Azamabad, Hyderabad-20 (A.P.)	Aluminium milk boilers— IS : 7185—1973
32.	CM/L-4111 30-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Wood Craft Products Ltd, Jeypore, P.O. Jeypore Distt. Dibrugarh (Assam) (Office : 9/1 R.N. Mukherjee Road, 7th Floor, Calcutta-700001)	Plywood for general purposes, BWR grade— IS : 303—1960
33.	CM/L-4112 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Kalinga Tubes Ltd., Choudwar, P.O. Choudwar, Distt. Cuttack (Orissa)	Mild Steel tubes — IS : 1239 (Part I)—1973
34.	CM/L-4113 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Kedia Industries, 79/80 Sudarshanpura Industrial Area, Jaipur West, Jaipur-6	Brass ball valves (horizontal plunger type) 15 mm only HP — IS : 1703—1968
35.	CM/L-4114 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	American Spring & Pressing Works Pvt. Ltd, Marve Road, Malad, Bombay-400064	Rotary Paddy Weeders— IS : 1976—1969
36.	CM/L-4115 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	—Do—	Dust Applicator for borrows— IS : 3634—1966
37.	CM/L-4116 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	Mukand Iron & Steel Works Limited, Kalwe, Thana Belapur Road, Thana (Maharashtra)	Carbon and carbon managanese free cutting Steels — IS : 4431— 1967
38.	CM/L-4117 31-12-1974	1-1-1975	31-12-1975	—Do—	Carbon steel billets, blooms, slabs and bars for forgings— IS : 1875—1971

[No. CMD/13 : 11]

A. B. RAO, Dy. Dir. Gen.

पैट्रोलियम मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1976

का० आ० 2287.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के डी ई-19 से जी जी एस 7 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप-लाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा-9 को इस अधि-सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डी एस सं० के डी से जी जी ई 19 से जी जी एस-7

राज्य: गुजरात जिला: गांधीनगर तालुका: गांधीनगर

गाँव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेंटि-एर
उवरसाद	1308	0	04	00
	1312	0	04	95
	1311	0	00	50
	1318	0	23	45
	1317	0	02	10
	1316	0	28	20
	कार्ट ट्रैक	0	01	05
	1230/1	0	18	00
	1230/2	0	16	35
	1229	0	08	85

[सं० 12016/3/76-एल० एण्ड एल०/I]

MINISTRY OF PETROLEUM

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 24th May, 1976

S.O. 2287.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. KDE-19 to G.G.S. VII in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to aquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Centra Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of R.O.U. from D.S. No. KDE-19 to GGS-VII

State: Gujarat District : Gandhinagar Taluka:Gandhinagar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Uwarsad	1308	0	04	00
	1312	0	04	95
	1311	0	00	50
	1318	0	23	45
	1317	0	02	10
	1316	0	28	20
	Cart-track	0	01	05
	1230/1	0	18	00
	1230/2	0	16	35
	1229	0	08	85

[No. 12016/3/76-L & L/I]

का० आ० 2288.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस एन के 1 से जी जी एस 1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप-लाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा-9 को इस अधि-सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एस एन के-1 से जी जी एस-1 तक भूमि का उपयोग के अधिकार

राज्य : गुजरात जिला : बरोच तालुका . हंसोर

गाँव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेंटि-एर
1	2	3	4	5
कूदरा	149	0	04	64
	148	0	14	23
	146	0	07	91

1	2	3	4	5
कूवरा—जारी	145	0	07	91
	151	0	18	43
	152	0	04	68
	कार्ट ट्रैक	0	02	36
	135	0	40	37
रोहित	257	0	03	96
	258	0	14	44
	267	0	21	51
	266	0	01	95
	264	0	11	83
	361	0	13	78
	कार्ट ट्रैक	0	01	90
	362	0	39	40
	कार्ट ट्रैक	0	01	98
	509	0	01	43
	508	0	15	12
	507	0	02	36
	506	0	04	16
	505	0	10	27
	504	0	04	48
	503	0	02	47
	501	0	25	57
	474	0	05	07
	476/ए	0	04	68
	476/बी	0	08	31
	499	0	15	83
	498	0	11	36
	497	0	02	84
	490	0	14	97
	491	0	05	85
	492	0	09	55
	469	0	02	34
	सर्वेक्षण नं०			
कलाम	28	0	11	71
	82	0	01	55
	81	0	02	66
	80	0	13	84
	79	0	05	99
विगास	264	0	09	49
	262/1+2	0	19	79
	265/1	0	15	43
	266/2	0	09	49
	267	0	05	93
	268	0	13	06
	270	0	22	16
मोतवान	जिला : बरोच	तालुका : अंकलेश्वर		
	130	0	05	15
	129	0	18	85
	128	0	22	75
	127/1	0	06	76
	127/2	0	12	27
	125	0	95	85
	108	0	07	02
	106	0	32	84
	195/1	0	05	20
	101/1	0	10	40
	100/2	0	04	16
	113/2	0	07	67
	113/1-ए	0	11	18
	98/1	0	12	48

[सं० 12016/3/76-एल० एण्ड एम०/2]

S.O. 2288,—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. SNK-1 to G.G.S.I in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection(1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. From Well No. SNK-1 to GGS -I
State : Gujarat District: Broach Taluka: Hansot

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kudadra	149	0	04	64
	148	0	14	23
	146	0	07	91
	145	0	07	91
	151	0	18	43
	152	0	04	68
	Cart-track	0	02	36
	135	0	40	37
Rohit	257	0	03	96
	258	0	14	44
	267	0	21	51
	266	0	01	95
	264	0	11	83
	361	0	13	78
	Cart-track	0	01	90
	362	0	39	40
	Cart-track	0	01	98
	509	0	01	43
	508	0	15	12
	507	0	02	36

1	2	3	4	5
Rohit—Contd.	506	0	04	16
	505	0	10	27
	504	0	04	48
	503	0	02	47
	501	0	25	57
	474	0	05	07
	476/A	0	04	68
	476/B	0	08	31
	499	0	15	83
	498	0	11	36
	497	0	02	84
	490	0	14	97
	491	0	05	85
	492	0	09	55
	469	0	02	34
	Survey No.			
Kalam	28	0	11	71
	82	0	01	55
	81	0	02	66
	80	0	13	84
	79	0	05	99
Digas	264	0	09	49
	262/1+2	0	19	79
	265/1	0	15	43
	266/2	0	09	49
	267	0	05	93
	268	0	13	06
Motwan	District : Broach	Taluka - Ankleshvar		
	130	0	05	15
	129	0	18	85
	128	0	22	75
	127/1	0	06	76
	127/2	0	12	27
	125	0	95	58
	108	0	07	02
	106	0	32	84
	195/1	0	05	20
	101/1	0	10	40
	100/2	0	04	16
	113/2	0	07	67
	113/1—A	0	11	18
	98/1	0	12	48

[No. 12016/3/76- L & L/II]

का० आ० 2289.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के ई एक्स-11 से जी जी एस-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

यह भी कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के ई एक्स 11 से के-92 से जी जी एस-1 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन।

राज्य : गुजरात जिला : गांधीनगर तालुका : गांधी नगर

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	ऐ आर ई	सेण्टिएर
जेमियातपुर	53	0	04	20
	46	0	10	35
	44	0	08	25
	48	0	18	45
	49	0	01	00
	34	0	0	00
	33	0	01	00
	15	0	25	05
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	16	0	06	53
	कार्ट ट्रैक	0	00	68
सेरथा	सर्वेक्षण नं०			
	666	0	02	62
	685	0	13	20

[सं० 12016/3/76-एल० एण्ड एल०/3]

S.O. 2289.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. KEX-11 to GGSI in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection(1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of R.O.U. for laying pipeline from KLX-11 to K-92 to GGS-1.

State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka: Gandhinagar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Jamiyatpura	53	0	04	20
	46	0	10	35
	44	0	08	25
	48	0	18	45
	49	0	01	00
	34	0	09	00
	33	0	01	00
	15	0	25	05
	Cart-track	0	00	75
	16	0	06	53
	Cart-track	0	00	68
Sertha	Survey No.			
	666	0	02	62
	665	0	13	20

[No. 12016/3/76-L&L/III]

का०आ० 2290.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात में डी०एस० 65, 67, 68 और 69 से जी०जी०एस० तथा सी०टी०एफ० कादी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० 65, 67, 68 और 69 से जी जी एस एवं सी टी एफ कादी तक भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन

राज्य : गुजरात जिला: मेहसाना/अहमदाबाद तालुका : मेहसाना/विरामगांव/कादी

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
1	2	3	4	5
गांव :	मेहमेपुरा	जिला :	मेहसाना	तालुका : मेहसाना
	150	0	01	20
	158	0	02	40
	कार्ट ट्रेक	0	10	00
	1	1	00	70
	3	0	17	88
	6	0	14	88
	7/2	0	03	60
	7/1	0	31	08
गांव :	अलसालन	जिला : अहमदाबाद		तालुका : विरामगांव
	168	0	16	55
	169/6	0	08	64
	173	0	05	40
	174/1 और 2	0	18	50
	169/5	0	02	00
गांव :	अलासन	जिला : मेहसाना		तालुका : कादी
	156	0	14	40
	154	0	09	96
	155/1	0	04	95
	132/2	0	17	70
	138	0	16	80
	137/2	0	07	35
	109/1	0	35	40
	157/1	0	04	50
	91/1	0	06	60
	88	0	14	25
	87	0	20	25
	93	0	29	00

[सं० 12016/8/76-एल०एण्ड०एल/1]

S-O. 2290.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. 65, 67, 68, & 69 to GGS-cum-CTF, Kadi in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of R.O.U. from well No. 65, 67, 68 & 69 to GGS-CUM-CTF Kadi

State : Gujarat District : Mehsana/Ahmedabad
Taluka: Mehsana/Viramgam/Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Village : Mehmedpura	District : Mehsana	Taluka: Mehsana		
	150	0	01	20
	158	0	02	40
	Cart-track	0	10	00
	1	1	00	70
	3	0	17	88
	6	0	14	88
	7/2	0	03	60
	7/1	0	31	08
Village : Balsasan	District : Ahmedabad	Taluka : Viramgam		
	168	0	16	55
	169/6	0	08	64
	173	0	05	40
	174/1 & 2	0	18	50
	169/5	0	02	00
Village : Chalasan	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
	156	0	14	40
	154	0	09	96
	155/1	0	04	95
	132/2	0	17	70
	138	0	16	80
	137/2	0	07	35
	109/1	0	35	40
	157/1	0	04	50
	91/1	0	06	60
	88	0	14	25
	87	0	20	25
	93	0	29	00

[No. 12016/8/76-L&L/1]

का०आ० 2291.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी०एस०एसपीजेसे एनकेओ से एसपीईतक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी,

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० एस पी जे से एन के ओ से एस पी ई तक भूमि के उपयोग के अधिकार

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरामगांव

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेण्टीयर
बलसासन	94	0	10	75
	93	0	10	75
	92/1	0	04	75
भातेरिया	13	0	02	00
	11	0	04	20
	10/3	0	05	75
	9	0	05	40
	7/2	0	13	20
	6/2	0	15	25

[सं० 12016/8/76-एल एंड एल/2]

S.O. 2291.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. SPJ to NKO to SPE in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. from well No. SPJ to NKO to SPE

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Balsasan	94	0	10	75
	93	0	10	75
	92/1	0	04	75
Bhateria	13	0	02	00
	11	0	04	20
	10/3	0	05	75
	9	0	05	40
	7/2	0	13	20
	6/2	0	15	25

[No. 12016/8/76-L&L/II]

का०आ० 2292.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डीएस23 से जीओएस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी,

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डी एस 23 से जी जी एस तक के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार

राज्य : गुजरात जिला : काइरा तालुका : काम्बे

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
जलापुर	कार्ट ट्रेक	0	00	49
	181	0	07	84
	182	0	00	70
	179	0	07	84
	178	0	05	60
	180	0	00	84
	कार्ट ट्रेक	0	00	49
नेजा	206	0	00	63
	205	0	08	40
	204	0	07	70
	200	0	11	90
	198	0	00	70
	कार्ट ट्रेक	0	00	49
सोखादा	99	0	02	10
	114	0	01	40
	113	0	02	10
	112	0	02	80
	102	0	07	35
	103	0	07	70
	108/2	0	03	50
	108/1	0	04	20
	107	0	03	15
	कार्ट ट्रेक	0	00	49
	24	0	05	95
	19/1	0	06	30
	11	0	41	30
सोखाद	20/1	0	01	40
पालडी	कार्ट ट्रेक	0	00	49
	36	0	09	10

[सं० 12016/9/76-एल०एण्ड एल०/I]

S.O. 2292—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. 23 to G.C.S. in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. for D.S. 23 to G.C.S.

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Zalapur	Cart track	0	00	49
	181	0	07	84
	182	0	00	70
	179	0	07	84
	178	0	05	60
	180	0	00	84
	Cart track	0	00	49
Neja	206	0	00	63
	205	0	08	40
	204	0	07	70
	200	0	11	90
	198	0	00	70
	Cart track	0	00	49
Sokhada	99	0	02	10
	114	0	01	40
	113	0	02	10
	112	0	02	80
	102	0	07	35
	103	0	07	70
	108/2	0	03	50
	108/1	0	04	20
	107	0	03	15
	Cart track	0	00	49
	24	0	05	95
	19/1	0	06	30
	11	0	41	30
	20/11	0	01	40
	Cart track	0	00	49
Paldi	36	0	09	10

[No. 12016/9/76-L&L /I]

का०आ० 2293.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे डी एस के-48 से सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग [illegible] बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० 48 से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : गांधीनगर तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सैंटीयर
1	2	3	4	5
तितोदा	37/1	0	06	83
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	937/1	0	09	00
	936	0	08	02
	935	0	08	80
भायात राथोद	609	0	09	75
	608	0	02	00
	610	0	14	93
	611	0	01	00
	612	0	15	65
	613/2	0	07	87
	613/1	0	15	75
	615/1	0	01	20
	615/2	0	06	97
	614	0	03	90
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	646	0	01	88
	कार्ट ट्रेक	0	01	72
	17	0	00	75
	16	0	09	53
	15	0	10	57
	13	0	01	65
	12	0	13	20
	11/2	0	08	02
	11/1	0	03	00
	22	0	01	25
	23	0	12	60
	25	0	07	35
	27	0	08	25
	29	0	10	05
	31/1	0	03	15
	33/1	0	09	75
	33/2	0	04	50
	244/1	0	34	50
	243	0	25	20
	242	0	10	00
	241	0	20	75
	कार्ट ट्रेक	0	01	22
	213	0	16	95
	210	0	01	75
	212	0	01	00
	211	0	12	07
	वी पी भूमि	0	02	00

सर्वेक्षण नं०

तालुका : कालोल जिला : मेहसाना

सेज	453/5	0	05	55
	453/4	0	05	64
	453/3	0	06	45
	449	0	19	28
	457	0	11	70
	कार्ट ट्रेक	0	00	53
	460	0	06	23
	461/2	0	01	00
	461/1	0	05	60
	501/2/ए	0	02	10
	501/2/बी	0	05	50
	501/1/डी	0	06	20
	501/1/सी	0	06	75
	496	0	01	87
	495	0	06	15
	497/2	0	14	16
	497/1/बी	0	08	50
	497/1/ए	0	04	80
	510/5	0	05	10
	510/4	0	00	50
	510/3	0	01	00
	553	0	05	10
	कार्ट ट्रेक	0	00	90
	548/2	0	02	70
	548/1	0	09	75
	548/3	0	06	90
	547/1	0	09	90
	547/2	0	07	25
	542	0	04	65
	547/3	0	06	22
	542	0	10	05
	547/5	0	04	50
	539/2	0	04	65
	कार्ट ट्रेक	0	01	27
	662/4	0	01	58
	662/3	0	05	77
	662/2	0	01	25
	662/7	0	01	00
	661/2	0	06	15
	661/1	0	07	50

1	2	3	4	5
	661/3	0	01	00
	660/1	0	10	57
	658	0	10	05
	494	0	03	00

[सं० 12016/9/76-एल० एंड एल०/2]

S. O. 2293.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. K-48 to C.T.F. in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquired the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection(1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4 Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

For laying Pipeline from Well No. K-48 to CTF

State : Gujarat District : Gandhi nagar Taluka : Gandhi-nagar

Villages	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Titoda	37/1	0	06	83
	Cart-track	0	01	00
	937/1	0	09	00
	936	0	08	02
	935	0	08	80
Bhoyan Rathod	609	0	09	75
	608	0	02	00
	610	0	14	93
	611	0	01	00
	612	0	15	65
	613/2	0	07	87
	613/1	0	15	75
	615/1	0	01	20
	615/2	0	06	97
	614	0	03	90
	Cart track	0	00	60
	646	0	01	88
	Cart track	0	01	72
	17	0	00	75
	16	0	09	53
	15	0	10	57
	13	0	01	65
	12	0	13	20
	11/2	0	08	02
	11/1	0	03	00
	22	0	01	25
	23	0	12	60
	25	0	07	35
	27	0	08	25
	29	0	10	05
	31/1	0	03	15
	33/1	0	09	75
	33/2	0	04	50
	244/1	0	34	50
	243	0	25	20
	242	0	10	00
	241	0	20	75
	Cart track	0	01	22
	213	0	16	95
	210	0	01	75
	212	0	01	00
	211	0	12	07
	V.P. Land	0	02	00

Survey No.

Taluka : Kalol Dist : Mehsana

Saij	453/5	0	05	55
	453/4	0	05	64
	453/3	0	06	45
	449	0	19	28
	457	0	11	70
	Cart track	0	00	53
	460	0	06	23
	461/2	0	01	00
	461/1	0	05	60
	501/2/A	0	02	10
	501/2/B	0	05	50
	501/1/D	0	06	20
	501/1/C	0	06	75
	495	0	06	15
	497/2	0	14	16
	497/1/B	0	08	50
	497/1/A	0	04	80
	510/5	0	05	10
	510/4	0	00	50
	510/3	0	01	00
	553	0	05	10
	Cart-track	0	00	90
	548/2	0	02	70
	548/1	0	09	75
	548/3	0	06	90
	547/1	0	09	90
	547/2	0	07	25
	542	0	04	65
	547/3	0	06	22
	542	0	10	05
	547/5	0	04	50
	539/2	0	04	65
	Cart-track	0	01	27
	662/4	0	01	58
	662/3	0	05	77
	662/2	0	01	25
	662/7	0	01	00
	661/2	0	06	15
	661/1	0	07	50
	661/3	0	01	00
	660/1	0	10	57
	658	0	10	05
	494	0	03	00

[No. 12016/9/76-L & L/II]

नई दिल्ली, 5 जून, 1976

का० आ० 2294.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 347 तारीख 31-12-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघर्षों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कोसाम्बा कूप नं० 9 और 12 (गांव तेरसादी) से
कोसाम्बा जी०जी०एस०-7 (गांव कुवारदा)

राज्य : गुजरात जिला सूरत तालुका : मंगरोल

	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एआरसी	सैन्टियर
टेरसादी	632	0	14	83
	774	0	18	29
	679	0	34	02
	775	0	11	70

[सं० 12016/21/75-एल०एण्ड एल०]

New Delhi, the 5th June, 1976

S. O. 2294.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 347 dated 31-12-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the Competent Authority has under sub section(1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For laying flow line from Kosamba Well No. 9 & 12 (Village: Tersadi) to kosamba GGS-7 (Village : Kuvarda).

State : Gujarat District : Surat Taluka : Mangrol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Tersadi	632	0	14	63
	774	0	18	29
	679	0	34	02
	775	0	11	70

(No. 12016/21/75-L & L)

नई दिल्ली, 9 जून, 1976

का० आ० 2295.—यत. पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 5137 तारीख 14-11-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघर्षों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० अंकलेश्वर 'ज' से कूप नं० 178 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये
राज्य : गुजरात जिला : बरोच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एआरई	सैन्टियर
अडोल	369	0	03	38
	370	0	05	07
	301	0	20	54
	300	0	18	85

[सं० 12016/11/75-एल० एण्ड एल०]

New Delhi, the 9th June, 1976

S. O. 2295.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 5137 dated 14-11-75 under sub-section(1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the Competent Authority has under sub section(1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section(1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For laying pipeline from Well No. Ankleshvar 'J' to Well No. 178

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Adol	369	0	03	38
	370	0	05	07
	301	0	20	54
	300	0	18	85

[No. 12016/11/75-L & L]

का०आ० 2296.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि असम में जिला शिवसागर में लकवा कूप नं० 63 से एल० एन० डी० तक पैट्रोलियम परिवहन के लिये तेल प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये ।

और, यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइनों को बिछाने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में, हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आरोप सक्षम अधिकारी अर्थात् उप-मण्डल अधिकार, शिवसागर असम को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

लाकवा कूप नं० 63 से एल०एन० डि० तक पाइप लाइन

राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुक : शिलाकुति

ग्राम	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ऐरे	सैन्टियर
मोहनदेउधाई	795 ग	0	14	99
	862 ख	0	2	41
	863 ख	0	2	81
	804 ख	0	6	02
	880 ख	0	6	15
	881 ख	0	3	34
	882 ख	0	2	14
	859 ख	0	4	82
	860 ख	0	5	08
	877 ख	0	2	41
	878 ख	0	1	07

[सं० 12020/2/76-एल० एण्ड एल०/1]

S.O. 2296.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Lakwa Well No. 63 to L.N.D. in Sibsagar Distt., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipelines under the land to the Competent Authority, Viz., the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heared in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipelines from Lakwa Well No. 63 to LND.

State : Assam Dist : Sibsagar Taluk : Silakuti

Village	Survey No.	Hec-tor	Are	Cen-tare
Mohan Deodhai .	795 Ga	0	14	99
	862 Kha	0	2	41
	863 Kha	0	2	81
	804 Kha	0	6	02
	880 Kha	0	6	15
	881 Kha	0	3	34
	882 Kha	0	2	14
	859 Kha	0	4	82
	860 kha	0	5	08
	877 Kha	0	2	41
	878 Kha	0	1	07

[No. 12020/2/76-L&L/I]

का० आ० 2297.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि असम में जिला शिवसागर में रुद्रसागर जी०जी०एस० नं० 4 से रुद्रसागर जी०जी०एस० नं० 1 तक पैट्रोलियम परिवहन के लिये तेल प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइनों को बिछाने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जित करना आवश्यक है ;

अत: अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी अर्थात् उप-मंडल अधिकारी, शिवसागर असम को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

रुद्रसागर जी०जी०एस० नं० 4 से रुद्रसागर जी०जी०एस० नं० 1 तक की पाइपलाइन

राज्य : असम **जिला** : शिवसागर **तालुका** : कोवंरपुर

ग्राम	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ऐरे	सैन्टिऐरे
कोइजान	296 ख	0	3	08
	297 क	0	15	79
	309 ख	0	14	32
	291 ग	0	4	15

[(सं० 12020/2/76-एल०एंड एस०/2)]

S.O. 2297.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar GGS No. 4 to Rudrasagar GGS No. 1 in Sibsagar Distt., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Feederline from Rudrasagar GGS. No. 4. to Rudrasagar GGS No. 1

State : Assam Dist. : Sibasgar Taluk : Konwarpur

Village	Survey No.	Hec-taro	Are	Con-tare
Koijan	296 Kha	0	3	08
	297 Ka.	0	15	79
	309 Kha	0	14	32
	291 Ga.	0	4	15

[No. 12020/2/76-L&L/II]

का० आ० 2298.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी०एस०डी०पी० से जी०जी०एस० और सी०टी०एफ० सोभासन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप समक्ष अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डी० एस० एस० डी० पी० से जी० जी० एस० और सी० टी० एफ० सोभासन के लिये आर०ओ० यू०

राज्य : गुजरात **जिला** : मेहसाना **तालुका** : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सैन्टियर
पुनासन	74	0	03	00
	86	0	14	00
	85	0	03	60
	82	0	20	25
	133	0	04	75
	134	0	04	20

[सं० 12016/5/76-एल०एण्ड एस०/I)]

S.O.2298.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. SDP to GGS-Cum-CTF Sob in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the RIGHT OF USER in the land described in the schedule annexed hereto ;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein ;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. for D.S. SDP to GGS-CUM-CTF Sobhasan

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Punasan	74	0	03	00
	86	0	14	00
	85	0	03	60
	82	0	20	25
	133	0	04	75
	134	0	04	20

[No. 12016/5/76-L&L/J]

का० आ० 2299.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे डी०एस०एस०डी०सी० से डी०एम०एस०बी०एक्स० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूम मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप समक्ष अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूचि

डी०एस०एस०डी०सी० से डी०एम०एस० बी० एक्स० तक आर०ओ०यू०

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सैन्टियर
पुनासन	51	0	03	00
	347	0	06	20
	346	0	06	20
	348	0	12	00
	349	0	13	25

[(सं० 12016/5/76-एल०एण्ड एल०/2)]

S.O. 2299.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from DS SDC to DS SBX in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the RIGHT OF USER in the land described in the schedule annexed hereto,

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein ;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9 ;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. for D,S, SDC to D.S. SBX

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Punasan	51	0	03	00
	347	0	06	20
	346	0	06	20
	348	0	12	00
	349	0	13	25

[No. 12016/5/76-L &L(II)]

का० आ० 2300.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एम एस डी सी से आर ओ यू डी एस एस जी बी से जी जी एस सोभासन-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत:, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप समक्ष अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड़ बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डी एस एस डी सी से आर ओ यू से डी एस एस सी बी से जी जी एस सोभासन-1 तक के लिये आर ओ यू

राज्य गुजरात	जिला मेहसाना		तालुका मेहसाना	
गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सैण्टियार
पुनासन	241	0	06	00
	233	0	05	00

[सं० 12016/5/76-एल० एण्ड एल/3]

S.O. 2300.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the interest that for the transport of petroleum from d.s. SDC to ROU DS SCB to GGS-Sob)-1 in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquired the RIGHT OF USER in the land described in the schedule annexed hereto,

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein ;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9 ;

5. And Every Person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. for D.S. SDC to R.O.U. of D.S. SCB to GGS Sobhasan

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Punasan	241	0	06	00
	233	0	05	00

[No. 12016/5/76-L & L/III]

का० आ० 2201.—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एस एस डी आर से आर ओ यू 207 से जी जी एस-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डी एस एस डी आर से ओ यू-207 से जी जी एस-1 तक आर ओ यू

राज्य गुजरात	जिला मेहसाना		तालुका मेहसाना	
गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेण्टियार
पुनासन	405	0	04	32
	404/1	0	10	08

[सं० 12016/5/76-एल० एण्ड एल०/4]

S.O. 2301.—Whereas appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. SDR to R.O.U. 207 to GGSF in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire to RIGHT of USER in the land described in the schedule annexed hereto ;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby cdeclares it's intention to acquire the Right of User therein ;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9 ;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. for D.S. SDR to R.O.U. of 207 to GGS-I .

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Punasan	405	0	04	32
	404/1	0	10	08

[No. 12016/5/76-L & L/4]

नई दिल्ली, 11 जून, 1976

का० आ० 2302.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 5078 तारीख 13-11-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, में सभी सभ्रको से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के-170 से के-55 तक पाइपलाइन

राज्य गुजरात जिला : गांधीनगर तालुका : गांधी नगर

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेण्टियार
सरथा	299/3	0	04	50
	299/4	0	07	80
	303	0	15	15
	301	0	00	75
	413	0	02	55
	412	0	15	00
	306	0	10	50
	307	0	10	72
	310	0	01	00
	308	0	01	00
	309	0	20	85
	316/2	0	09	45
	317	0	08	85
	318/2/B	0	07	27
	319/2	0	06	82
	320/1	0	01	57
	320/2	0	08	40
	320/3	0	02	25
	बी पी कार्ट ट्रेक	0	01	12
	47	0	10	50
	48	0	01	95
	46	0	08	55
	37/1	0	04	87
	38	0	05	55
	37/2	0	09	30
	36/1	0	07	50
	36/2	0	05	17
	12	0	08	25
	11	0	02	25
	8/2	0	02	85
	8/3	0	06	00
	8/1	0	08	02
	बी पी कार्ट ट्रेक	0	01	65
	1375/2	0	06	00

[सं० 12016/16/75-एल० एण्ड एल०]

एस० के० ओझा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th June, 1976

S.O. 2302.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 5078 dated 13-11-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government direct that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publicaion of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from K-170 to K-55

State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sertha	299/3	0	04	50
	299/4	0	07	80
	303	0	15	15
	301	0	00	75
	413	0	02	55
	412	0	15	00
	306	0	10	50
	307	0	10	72
	310	0	01	00
	308	0	01	00
	309	0	20	85
	316/2	0	09	45
	317	0	08	85
	318/2/B	0	07	27
	319/2	0	06	82
	320/1	0	01	57
	320/2	0	08	40
	320/3	0	02	25
	V.P. Cart-track	0	01	12
	47	0	10	50
	48	0	01	95
	46	0	08	55
	37/1	0	04	87
	38	0	05	55
	37/2	0	09	30
	36/1	0	07	50
	36/2	0	05	17
	12	0	08	25
	11	0	02	25
	8/2	0	02	85
	8/3	0	06	00
	8/1	0	08	02
	V.P. Cart-track	0	01	65
	1375/2	0	06	00

[No. 12016/16/75-L&L]
S. K. OJHA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1976

का०आ० 2303.—पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 के विषय में । महिलाओं और बच्चो की लेडी हार्डिंग अस्पताल, दिल्ली निधि के विषय में ।

महिलाओं और बच्चों की लेडी हार्डिंग अस्पताल, दिल्ली निधि के प्रशासन-मण्डल के आवेदन-पत्र पर और उसकी सहमति से और पूर्त अक्षय निधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि 79,984.71 रुपये (केवल उन्यासी हजार नौ सौ चौरासी रुपए इकहत्तर पैसे) की लागत पर 5 3/4 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1979 में जो 80,000 रुपये लगाए गए है उनमें से 15.29 रुपये (केवल पन्द्रह रुपए उनतीस पैसे) की न लगी पूंजी शेष को प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली को वापिस कर दिया जाए ।

[सं० वी० 21020/31/73-एम० ई० (यू० जी)]
टी० के० दास, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 1 May, 1976

S.O. 2303.—In the matter of the Charitable Endowments Act, 1890. In the matter of the Lady Hardinge Hospital for Women and Children, Delhi Fund.

On the application of and with the concurrence of the Board of Administration of the Lady Hardinge Hospital for Women and Children, Delhi Fund and in exercise of powers conferred on it by sub-section 2 of Section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government doth hereby order that a sum of Rs. 15.29 (Rupees fifteen and paise twenty nine) only shall be refunded to the Principal, Lady Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi as being the univested capital balance out of Rs. 80,000 which has been invested in the 5-3/4 per cent Maharashtra Loan, 1979 at an cost of Rs. 79,984.71 (Rupees seventy nine thousand nine hundred eighty four and paise seventy one) only.

[No. V. 21020/31/73-ME (UG)]
T. K. DAS, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1976

का०आ० 2304.—यत : भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की 5 जून, 1964 की अधिसूचना सं० एफ० 32-30/-63-एम० पी० टी० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदत्त "एम० डी० (जॉन हापकिन्स विश्वविद्यालय) संयुक्त राज्य अमेरिका" की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ,

और यत : डा० रोनाल्ड स्टुअर्ट सीटन को जिनके पास उक्त अर्हता है, शिक्षण और धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल बोर्ड आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ वर्क आफ दि चर्च आफ नार्थ इंडिया, कोल्हापुर-416003 के साथ सम्बद्ध है ।

अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) 31 दिसम्बर, 1976 की अवधि तक

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० रोनाल्ड स्टुअर्ट सीटन बोर्ड आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ वर्क आफ दि चर्च आफ नौर्थ इंडिया, कोल्हापुर-

416003, के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगे ।

[सं० वी० 11016/12/76-एम० पी० टी०]

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1976

S.O. 2304.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning No. F. 32-30/63-MPT, dated the 5th June, 1964, the Central Government has directed that the Medical qualifications, "M. D. (John Hopkins University) USA" granted by the John Hopkins University, USA shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Ronald Stuart Seaton, who possessess the said qualification is for the time being attached to the Board of Medical and Health Work of the Church of North India, Kolhapur-416003, for the purposes of teaching and charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a period up to the 31st December, 1976, or

(ii) the period during which Dr. Ronald Stuart Seaton is attached to the said Board of Medical and Health Work of the Church of North India, Kolhapur-416003;

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[V. 11016/12/76-MPT]

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 1976

का० आ० 2305.—यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की 1 अप्रैल 1960 की अधिसूचना संख्या एफ० 17-22/59-एम० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिनजिन द्वारा प्रदत्त एम० डी० (यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिनजिन) जर्मनी की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी,

और यतः धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए डा० (श्रीमती) रेनेट शाल को जिनके पास उक्त अर्हता है, फिलहाल क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, वेल्लोर-632004 के साथ सम्बद्ध हैं ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० (श्रीमती) रेनेट शाल उक्त क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, वेल्लोर-632004 के साथ सम्बद्ध रहती हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगे ।

[संख्या वी० 11016/8/76-एम० पी० टी०]

ORDER

New Delhi, the 16th June, 1976

S.O.. 2305.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning No. F. 17-22/59-MI, dated the 1st April, 1960, the Central Government has directed that the Medical qualifications "M. D. (University of Tubingin, Germany" granted by the University of Tugingin shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Mrs.) Renate Schaal, who possesses the said qualification is for the time being attached to the Christian Medical College and Hospital Vellore-632004, for the purposes of charitable work;

Now therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies,

(i) a further period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette

or

(ii) the period during which Dr. (Mrs.) Renate Schaal is attached to the said Christian Medical College and Hospital, Vellore-632004

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/8/76-MPT]

आदेश

का०आ० 2306.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं० एफ० 32/41/64-एम० पी० टी० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए हेइडलबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त "एम० डी० (हेइडलबर्ग विश्वविद्यालय) जर्मनी" की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यतः डा० (श्रीमती) रेनेट देसाई को, जिनके पास उक्त अर्हता है, धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल सेंट जॉन्स औषधालय, कोडाइकनाल के साथ सम्बद्ध किया जाता है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा

(1) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की और अवधि को

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० (श्रीमती) रेनेट देसाई उक्त सेंट जॉन्स् औषधालय, कोडाइकनाल के साथ सम्बद्ध रहती हैं इसमें से जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगी ।

[सं० वी० 11016/9/76-एम० पी० टी]

एम० श्रीनिवासन, उप सचिव

ORDER

S.O. 2306.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 32/4164-MPT, dated the 23rd January, 1960, the Central Government has directed that the Medical qualifications, "M. D. (University of Heidelberg) Germany" granted by the University of Heidelberg shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).

And whereas Dr. (Mrs.) Renate Desai, who possesses the said qualification is for the time being attached to the St. John's Dispensary, Kodaikanal, for the purposes of charitable work;

Now therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a further period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. (Mrs.) Renate Desai is attached to the said St. John's Dispensary, Kodaikanal

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/9/76-MPT]
S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1976

का०आ० 2307.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4500, तारीख 25 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. बोर्ड (महा प्रबन्धक, व्यास परियोजना और सचिव, व्यास सन्निर्माण बोर्ड को छोड़कर, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी) ऐसे कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हो।"

[फा० सं० 17/128/67 बी० एण्ड० बी०-जिल्द-3]
जे० आई० ज्ञानचन्दानी, उप-सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 11th June, 1976

S.O. 2307.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of the section 80 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Energy number S.O. 4500 dated the 25th September, 1975, namely:

In the said notification, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"3. The Board may appoint such staff (other than General Manager, Beas Project and Secretary to the Beas Construction Board, who shall be appointed by the Central Government), as may be necessary for the efficient discharge of its functions."

[F. No. 17/128/67-B&B-Vol. III]
J. I. GIANCHANDANI, Dy. Secy.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 18 जून, 1976

का० आ० 2308.—प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष नियम 1959 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अजन्ता, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र की सुरक्षित गुफाओं के भाग जैसे गुफा सं० 1, गुफा सं० 2, गुफा सं० 16 तथा गुफा सं० 17 दिनांक 1-3-1975 से अग्रिम आदेश होने तक, आदेश सं० 14/1/75-एम०, दिनांक 14 फरवरी, 1975 के अधीन बन्द कर दिये गये थे,

मैं डा० श्रीमती देबला मित्र, निदेशक (स्मारक), आदेश देती हूं कि उपरोक्त आदेश के आंशिक संशोधन के फलस्वरूप अजन्ता की गुफाओं के भाग यथा गुफा सं० 1, गुफा सं० 2, तथा गुफा सं 16 जनता के लिये प्रात. 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक तथा दोपहर के 2 बजे से साय 5 बजे तक खुले रहेंगे।

[सं० 14/1/75 एम०]
श्रीमती देबला मित्र, निदेशक (स्मारक)

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 18th June, 1976

S.O. 2308.—Whereas in exercise of the powers conferred by rule 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, parts of the protected Caves at Ajanta, District Aurangabad, Maharashtra, namely Cave No. 1, Cave No. 2, Cave No. 16, and Cave No. 17 had been closed with effect from 1-3-1975, until further orders, under order No. 14/1/75-M, dated the 14th Feb., 1975;

I, Dr. (Mrs.) D. Mitra, Director (Monuments), do hereby direct that in partial modification of the afore-mentioned order, parts of the Caves at Ajanta, namely Cave No. 1, Cave No. 2 and Cave No. 16 shall be open to public between 10.00 a.m. to 1. p.m. and 2 p.m. to 5 p.m. with immediate effect.

[No. 14/1/75-M]
MRS. D. MITRA, Director (Monuments)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 9 जून 1976

शुद्धि-पत्र

का०आ० 2309.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 1 नवम्बर, 1975 में, पृष्ठ 3893-3895 पर प्रकाशित, खण्ड 2 के उपखण्ड (1) की मद (ख) में, "(च) कनिष्ठ पर्यवेक्षक रजिस्टर 'क' केवल," के स्थान पर, "(च) कनिष्ठ पर्यवेक्षक," पढ़ें।

[सं० एस० 70012/15/74एल०डी०]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 9th June, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 2309.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 4707, dated the 15th October, 1975 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub section (ii) dated the 1st November, 1975 at pages 3893-3895, in item (b) of sub-clause (1) of cluase 2, for "(f) Junior Supervisor—Register 'A' only" Read "(f) Junior Supervisor".

[No. S. 70012/15/74-LD]

नई दिल्ली, 16 जून 1976

का० आ० 2310.—श्री एम० नूक राजू ने जिन्हें डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशाखापत्तनम डॉक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था अपना पद डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन रिक्त कर दिया है;

उक्त सदस्य के इस प्रकार त्यागपत्र देने के कारण उक्त डॉक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है;

अतः, उक्त नियमों के नियम 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है ।

[सं० वी० 15021/1/74 एल० डी०]
वी० एस० रत्नम, अवर सचिव

New Delhi, the 16th June, 1976

S.O. 2310.—Whereas Shri M. Nookaraju who was appointed as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board established under sub-section (1) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), has resigned his office under sub-rule (3) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

And whereas a vacancy has occurred in the said Dock Labour Board by the resignation of the said member;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the said rules, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[No. V-15021/1/74-LD]
B. S. RATHNAM, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 1976

का० आ० 2311.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/6/74-विशेष सेल/एस० एस० IV, दिनांक 14-8-74 का अतिक्रमण करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23, 24 तथा 28 के अन्तर्गत (i) किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा भंडार की कृषि भूमियों तथा दुकानों जिसमें मकान, पशुओं के शेड तथा खाली स्थान भी शामिल हैं तथा (ii) भूतपूर्व निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 3(37)/श्र० एवं पु०/63-ए, दिनांक 5 मार्च, 1964 में संदर्भित सम्पत्तियों के संबंध में प्रदत्त शक्तियां पंजाब में सहायक बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे श्री वी० आई० के० शर्मा को सौंपती हैं।

[संख्या 1(19)/विशेष सेल/76-एस० एस० II]
कुसुम प्रसाद, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 16th June, 1976

S.O. 2311.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, (44 of 1954) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) No. 15/6/74-Spl. Cell/SS. IV dated 14-8-74, the Chief Settlement Commissioner, hereby delegates to Shri V. I. K. Sharma, Assistant Settlement Commissioner, Punjab, the powers conferred on her under Sections 23, 24 and 28 of the said Act in respect of (1) agricultural lands and shops in any rural area including houses, cattle-sheds and vacant sites forming part of the Compensation Pool and (ii) the properties referred to in the Notification of the Govt. of India in the late Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Deptt. of Rehabilitation) No. 3(37)/L&R/63-A dated the 5th March, 1964.

[No. 1(19)/Spl.Cell/76-SS.II]
KUSUM PRASAD, Chief Settlement Commissioner

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1975

का० आ० 2312.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री हरी सिंह जी पुत्र श्री गुलाब सिंह जी की जिला बूंदी (राजस्थान) में लम्बाखो सैंड स्टोन माइन्स, डाकघर और ग्राम लम्बाखो, जिला बूंदी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या श्री हरी सिंह जी, पुत्र श्री गुलाब सिंह जी की जिला बूंदी (राजस्थान) स्थित लम्बाखो सैंड स्टोन माइन्स, डाकघर और ग्राम लम्बाखो जिला बूंदी में नियोजित कर्मकार, किन्हीं राष्ट्रीय और त्यौहार के दिनों की सवेतन छुट्टियों की स्वीकृति के हकदार हैं ? यदि हां, तो किन छुट्टियों के और किस वर्ष से ?

[संख्या एल० 29011/129/75-जी 3(बी)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 1975

S.O. 2312.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Lambakho Sand Stone Mines, District Bundi (Rajasthan) of Shri Hari Singhji Son of Shri Gulab Singhji, Post and Village Lambakho, District Bundi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Lambakho Sand Stone Mines in the District Bundi (Rajasthan) of Shri Hari Singhji Son of Shri Gulab Singhji, Post and Village Lambakho, District Bundi are entitled for grant of any paid national and festival holidays? If so, on what holidays and from which year?

[No. L-29011/129/75-D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1976

का० आ० 2313.—चेंत्तीनाद सीमेंट कारपोरेशन की आलमबाडी लाइमस्टोन माइन्स, पुलियूर, सीमेंट फैक्टरी पोस्ट, काकूर तालुक, तिरुचिरापल्ली जिला के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों से, जिनका प्रतिनिधित्व चेंत्तीनाद सीमेंट कारपोरेशन उजहेप्पलार संगम, चतरापट्टी पोस्ट, चेंत्तीनाद सीमेंट क्वारी वर्कस यूनियन, चतरापट्टी पोस्ट,

चेत्तीनाद सीमेंट कारपोरेशन अम्रा थोज़ीलालार यूनियन, चतरापट्टी पोस्ट और सीमेंट वर्कस प्रोग्रेसिव यूनियन, चतरापट्टी पोस्ट किया है। केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन संयुक्त रूप से आवेदन किया है कि वह उस औद्योगिक विवाद को, जो उक्त आवेदन में उपवर्णित है और इससे उपाबद्ध में उद्धृत विषयों के बारे में उनके बीच विद्यमान है, किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालानीअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण का न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

1. क्या चेतीनाद सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की आलमबादी लाइमस्टोन माईन्स, पुलीयुर सीमेंट फैक्टरी पोस्ट, करूर तालुक, तिरूचिरापल्ली जिला में नियोजित विभिन्न वर्गों के कर्मकारों का विभिन्न ग्रेडों में फिटमेन्ट न्यायोचित है और यदि नहीं, तो कौन से उपान्तरण आवश्यक हैं ?

2. क्या चेतीनाद सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की आलमबादी लाइमस्टोन माइन्स, पुलीयुर सीमेंट फैक्टरी पोस्ट, करूर तालुक, तिरूचिरापल्ली जिला में नियोजित कर्मकारों की धुलाई भत्ते और रात्रि पारी भत्ते की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो उक्त श्रमिक किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल-29011/132/75डी-III (बी)]

ORDER

New Delhi, the 27th February, 1976

S.O. 2313.—Whereas the employers in relation to the management of Alambadi Lime Stone Mines of Chettinad Cement Corporation, Puliyur, Cement Factory Post, Karur Taluk Tiruchirapalli District and their workmen represented by Chettinad Cement Corporation Uzhaippalar Sangam, Chatrapatti Post, Chettinad Cement Quarry Workers Union, Chatrapatti Post, Cettinad Cement Corporation Anna Thozhilalar Union, Chatrapatti Post and Cement Workers Progressive Union, Chatrapatti Post, have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set-forth in the said application and re-produced in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying to represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and Sub-Section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palanippan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

1. Whether the fitment of different categories of workmen employed in Alambadi Limestone Mines of the Chettinad Cement Corporation Limited, Puliyur Cement Factory Post, Karur Taluk, Tiruchirapalli District, in different grades is proper, and if not, what modifications are necessary?

2. Whether the demand of the workmen employed in Alambadi Limestone Mines of the Chettinad Cement Corporation Limited, Puliyur Cement Factory Post, Karur Taluk, Tiruchirapalli District, for washing allowance and night-shift allowance is justified? If so, to what relief are the said workmen entitled?

[No.L-29011/132/75-D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1976

का० आ० 2314.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की रामखेरिया खान, पन्ना के डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, डाकघर, पन्ना, मध्यप्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० पी० भार्गव होंगे, जिनका मुख्यालय इन्दौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, पन्ना की रामखेरिया खान पन्ना के डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, डाकघर पन्ना (मध्यप्रदेश) के प्रबन्धतंत्र की रामखेरिया खान के भूतपूर्व भारी यान चालक/डम्पर आपरेटर की सेवाएं 31-10-74 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-29011/122/75डी-III(बी)]

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1976

S.O. 2314.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Diamond Mining Project, Ramkheria Mine, Panna of National Mineral Development Corporation Limited, Post Office Panna (Madhya Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. P. Bhargava, shall be the Presiding Officer with head quarters at Indore and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Diamond Mining Project, Ramkheria Mine, Panna of National Mineral Development Corporation, Panna, Post Office Panna (Madhya Pradesh) in terminating the services of Shri Mahadeo, formerly Heavy Vehicle Driver/Dumper Operator of Ramkheria Mines with effect from 31-10-1974 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29011/122/75-D-III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1976

का० आ० 2315.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री ओ० पी० शर्मा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, फरीदाबाद के समक्ष लम्बित है ;

और श्री ओ० पी० की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मोहन लाल जैन होंगे, जिनका मुख्यालय फरीदाबाद में होगा, और वह उक्त श्री ओ० पी० शर्मा के समक्ष लम्बित उक्त विवाद से संबंधित कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें श्री मोहन लाल जैन, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, फरीदाबाद को उक्त कार्यवाहियों के निपटान के लिए इस निर्देश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उस स्टेज से कार्यवाहियां आरंभ करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई है और उनका विधि के अनुसार निपटान करेगा ।

अनुसूची

क्रमांक	विवाद के पक्षकार	औद्योगिक विवाद की निर्देश संख्या और तारीख
1	2	3
1.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० चर्खी दादरी का प्रबन्धतंत्र, और श्री खूब चन्द खदान ठेकेदार मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड और उनके कर्मकार ।	सं० एल-29012/4/73 एल० आर-4, ता० 14 मार्च, 1973 और 13 सितम्बर, 1973
2.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चर्खी दादरी का प्रबन्धतंत्र और श्री खूब चन्द, खदान ठेकेदार, मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चर्खी दादरी और इनके कर्मकार ।	सं० एल-29012/7/73-एल० आर-4, ता० 30-3-1973 और 24-9-1973
3.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० चर्खी दादरी का प्रबन्धतंत्र और श्री खूब चन्द, खदान ठेकेदार, मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चर्खी दादरी और इनके कर्मकार ।	सं० एल-29012/24/73-एल० आर-4, तारीख 31-12-1973
4.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० चर्खी दादरी का प्रबन्धतंत्र और सर्वश्री रामचन्द्र और सुभाष चन्द्र, कार ट्रांसपोर्ट लोडिंग कन्ट्रेक्टर, दूदीवाला खदान और इनके कर्मकार ।	सं० एल-29011/56/73-एल० आर-4, तारीख 22-11-1973
5.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० चर्खी दादरी का प्रबन्धतंत्र और मैसर्स जीतराम, शिव राम, मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चर्खी दादरी की दूदीवाला खदान में सप्लायर कन्ट्रेक्टर, और उनके कर्मकार ।	सं० एल० 29032/5/73-एल० आर-4, तारीख 14-6-73 और 24-12-73
6.	श्री खूबचन्द ठेकेदार और मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चर्खी दादरी के प्रबन्धतंत्र से बंबई नियोजक और उनके कर्मकार ।	सं० एल-29011/16/74-एल० आर-1, तारीख 9-8-1974
7	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चर्खी दादरी का प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकार ।	सं० एल-29012/21/74-एल० आर-4, तारीख 30-11-1974
8	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चर्खी दादरी का प्रबंधतंत्र और इनके कर्मकार ।	सं० एल-29012/20/74-एल० आर-4, तारीख 30-11-1974
9.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० चर्खी दादरी के प्रबन्धतंत्र और इनके कर्मकार	सं० एल-29012/19/74-एल० आर०-4, तारीख 27-11-1974
10	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० चर्खी दादरी का प्रबन्धतंत्र और इनके कर्मकार ।	सं० एल-29012/29/74-एल० आर-4, तारीख 12-2-1975
11.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चर्खी दादरी, का प्रबधतंत्र और इनके कर्मकार ।	सं० एल-29012/20/74-एल० आर-4, तारीख 16-1-1975
12.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चर्खी दादरी जिला भिवानी, हरियाणा का प्रबन्धतंत्र तथा इनकी काकर खदान में नियोजित कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व डालमिया दादरी सीमेंट कारखाना श्रमिक संघ, चर्खी दादरी करता है ।	सं० एल-29011/74/74-एल० आर-4, डी-III/बी०, दिनांक 23-7-75

[सं० एल-29025/10/75-डी-III(बी)]

ORDER

New Delhi, the 8th March, 1976

S. O. 2315.—Whereas the industrial disputes specified in the schedule hereto annexed are pending before Shri O.P. Sharma, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad;

And whereas the services of Shri O.P. Sharma are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (i) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mohan Lal Jain shall be the Presiding Officer with headquarters at Faridabad, withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before the said Shri O.P. Sharma and transfers the same to Shri Mohan Lal Jain, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad, for disposal of the said proceedings with

the direction that the said tribunal shall, proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to the law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute	Reference No. and date of industrial dispute
1	2	3
1.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Shri Khub Chand, Quarry Contractor of Mssrs. Dalmia Dadri Cement Limited, and their workmen.	No. L-29012/4/73-LR. IV dated the 14th March, 1973 and 13th Sep. 1973.
2.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Shri Khub Chand, Quarry Contractor of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen.	No. L-29012/7/73-LR. IV Dated 30-3-73 and 24-9-73.
3.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Shri Khub Chand, Quarry Contractor of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen.	No. L-29012/24/73-LR. IV Dated 31-12-73.
4.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Sarvashri Mamchander and Subhash Chander, Kankar Transport Loading Contractors in Dudiwala Quarry and their warkmen.	No. L-29011/56/73-LR. IV Dated 22-11-73.
5.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Messrs Jit Ram, Shree Ram, supplier contractor in Dudiwala Quarry of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited Charkhi Dadri and their workmen.	No. L-29012/5/73-:LR. IV Dated 14-6-73 and 24-12-73.
6.	Employers in relation to Shri Khub Chand, Contractor and the management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen.	No. L-29011/16/74-LR. IV Dated 9-8-74. Dated 9-8-74.
7.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen.	No. L-29012/21/74-LR. IV Dated 30-11-74.
8.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen.	No. L-29012/20/74-LR. IV Dated 30-11-74.
9.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen.	No. L-29012/19/-74-LR. IV Dated 27-11-74.
10.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workman.	No. L-29012/29/74- LR. IV Dated 12-2-75.
11.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workmen.	No. L-29012/28/74-LR. IV Dated 16-1-75.
12.	Management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri, District Bhiwani, Haryana and their workmen employed in their Kankar Quaries represented by Dalmia Dadri Cement Factory Men's Union, Charkhi Dadri.	No. L-29011/74/74-LR. IV /D. IIIB Dated 23-7-75.

[No. L-29025/10/75-D. III(B)]

आदेश

का० आ० 2316.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री कन्हैयालाल घाटीवाला, खान स्वामी, कृष्ण भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर की बलुआ पत्थर खान, टापुकारा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री यू० एन० माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण जयपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या श्री कन्हैयालाल घाटीवाला, जौहरी बाजार, जयपुर की टापुकारा तथा धनेशपुर बसुआ पत्थर खान, डाकघर टापुकारा, जिला बून्दी के कर्मकारों की निम्नलिखित मांगे न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

मांगें

1. स्टोन कटर्स और ट्रकलोडर्सको 20% की दर से लेखा-वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के लिए बोनस का संदाय ।

2. 25 जनवरी, 1975 से सभी अकुशल कर्मकारों को प्रतिदिन 5 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी का संदाय ।

3. सवेतन त्यौहार के राष्ट्रीय अवकाश दिनों की मंजूरी ।

[स० एल-29011/76-डी० III (ख)]

ORDER

S.O. 2316.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sand Stone Mines Tapukara, of Shri Kanhyalal Ghatiwala, Mine Owner, Krishna Bhawan,

Choura Rasta, Jaipur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri U. N. Mathur shall be the Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal, at Jaipur.

SCHEDULE

Whether the following demands of the workmen of Tapukara and Dhaneshwar Sand Stone Mines, Post Office Tapukara, District Bundi of Shri Kanhyalal Ghatiwala, Johari Bazar, Jaipur are justified? If so, to what relief are the workmen entitled?

DEMANDS

1. Payment of Bonus for the Accounting years 1972-73 and 1973-74 @ 20 per cent to Stone Cutters and Truck Loaders.
2. Payment of minimum wages to all un-skilled workmen @ Rs. 5 per day with effect from 25th January, 1975.
3. Grant of paid festival/national holidays.

[No. L-29011/1/76-D.III B]

आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

का० आ० 2317.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे मे नेशनल मिनरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन के डायमन्ड माइनिंग प्रोजेक्ट, डाकघर पन्ना, पन्ना (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० पी० भार्गव होंगे, जिनका मुख्यालय इन्दौर में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या नेशनल मिनरल डिवेलपमेंट कार्पोरेशन के डायमन्ड माइनिंग प्रोजेक्ट, डाकघर-पन्ना, मध्यप्रदेश के प्रबन्धतंत्र की डायमन्ड माइनिंग प्रोजेक्ट कं. रामखेरे खान के भूतपूर्व समयपाल श्री. आर० के नामदेव को छुट्टी से वापस आने पर कार्यभार पुन. संभालने के लिए अनुज्ञा न देने करने और अपने आदेश संख्या एडम/पी० एफ/(748)/70 तारीख 15-5-1975 द्वारा अन्ततः उसकी सेवाएं उसे 15-5-75 से समाप्त करने की कार्रवाही न्यायोचित है ? यदि नही, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-29011/123/75-डी० III(बी)]

ORDER

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 2317.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Diamond Mining Project of National Mineral Development Corporation, Post Office Panna, Panna (Madhya Pradesh) and their workman in respect of the matter specified in Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. P. Bhargava shall be the Presiding Officer, with headquarters at Indore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Diamond Mining Project of National Mineral Development Corporation, Post Office Panna, Madhya Pradesh in not permitting Sri R. K. Namdeo, formerly Time Keeper of Ramkhere Mine of Diamond Mining Project, Panna to rejoin duties on return from leave and in ultimately terminating his services with effect from 15-5-75 vide their Office Order No. Adm/PF(748)/70 dated 15-5-75 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29011/123/75/D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1976

का० आ० 2318.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में वैस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड की नार्थ जग्राखण्ड कोलियरी, डाकघर जग्राखण्ड कोलियरी, जिला सरगुजा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या वैस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की नार्थ जग्राखण्ड कोलियरी, डाकघर जग्राखण्ड कोलियरी, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र की श्री जे० पी० श्रीवास्तव, लिपिक को, आदेश संख्या ए जी एम (जे के डी) एसीपीओ-145/8194-8200, तारीख 12-7-75 द्वारा नार्थ झगराखण्ड कोलियरी से बिजुरी कोलियरी में स्थानान्तरित करने की कार्रवाही उचित और न्यायोचित है ? यदि नही, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-22012/23/75-डी-3(बी)]

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1976

S.O. 2318.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of North Jagrakhand Colliery of Western Coalfields Limited, Post Office Jhagrakhand Colliery, District Surguja and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of North Jhagrakhand Colliery of Western Coalfields Limited, Post Office Jhagrakhand Colliery, District Surguja (Madhya Pradesh) in transferring Shri J. P. Srivastava, Clerk from North Jhagrakhand Colliery to Bijuri Colliery vide their Order Number AGM (JKD)/ACPO-145/8194-8200 dated 12-7-75 is proper and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-22012/23/75-D. III(B)]

New Delhi, the 18th June, 1976

S.O. 2319.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to Shri B. M. Balraj, Contractor, Central Provinces Manganese Ore Company Limited, Chikla Group of Mines, Chikla (Bhandara District, Maharashtra) and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th June, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

PRESENT :

Shri B. Ramlal Kishan, LL.M., Bar-at-Law, Judge, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-28 of 1963

PARTIES :

Employer in relation to Shri B. M. Balraj Contractor, Central Provinces Manganese Ore Company Limited, Chikla Group Mines, Chikla.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employer—Shri B. D. Kathalay, Advocate, Shri Dinesh Balraj, Contractor.

For the Workmen—Shri N. H. Kumbhare, President, Bhandara Tahsil Khadan Mazdoor Sangh

INDUSTRY—Manganese Mines. STATE—Maharashtra.

Bombay, dated the 12th May, 1976.

AWARD

By Order No. 21/7/62-LRII dated 29-6-1963, the Government of India, Ministry of Labour and Employment, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the I.D. Act, 1947 referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employer in relation to Shri B. M. Balraj, Contractor, Central Provinces Manganese Ore Co. Ltd., Chikla Group of Mines, Chikla and his workmen in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the dismissal of the following workmen, with effect from the 4th March, 1962, by Shri B. M. Balraj was justified and, if not, to what relief are they entitled?"

1. Shri Patiram Son of Tulsiram Sarode
2. Shri Motilal Son of Raghunath
3. Shri Sampat son of Kawdoo
4. Shri Mansaram son of Chamia
5. Sk. Hamid son of Sk. Ahmed."

2. After the receipt of the claim statement of the Union, the reference was kept pending due to the Stay Order issued by the Division Bench of the Punjab High Court. After the vacation of the Stay Order the employer filed his written statement. On 27th August, 1975, representative of the Union filed an application that the employer Shri G. M. Balraj has died and the work in which the workmen concerned in the dispute were employed, is now being managed by his son Shri Dinesh Balraj and he be brought on record as an employer. Notice was issued to Shri Dinesh Balraj to file his written statement.

3. Shri Dinesh Balraj in his written statement submits that Shri G. M. Balraj died on 12-4-1974 and the allegation that the work in which the workmen were employed is now being managed by his son Dinesh Balraj in place of Shri G M. Balraj is false to his knowledge. It is submitted that there is no provision of law under which the name of Shri Dinesh Balraj can be brought on record. It is stated that Shri Dinesh Balraj is not managing the work alleged to have been managed by late Shri G. M. Balraj. It is further submitted that the company i.e. Manganese Ore India Ltd., Nagpur had advertised tenders for carrying in the raising contract in Chikla in the District Bhandara and Shri Dinesh Balraj was given the above said contract on or about 1st September, 1974 and since then he is doing the work of a contractor in his personal and individual capacity. It is stated that he is also registered on or about 1st September 1974 and is given the required licence from the Labour Department since September, 1974 for 650 labourers only in his own personal and individual capacity. It is submitted that Shri Dinesh Balraj has not inherited the work of late Shri G. M. Balraj and therefore, his name cannot be substantial as a legal representative in place of Shri G. M. Balraj.

4. Oral arguments of the parties were heard at Nagpur on 19-4-1976 and they wanted time for filing written arguments. The representative of the workmen filed his written arguments on 30-4-1976, but no written arguments were filed by Shri Dinesh Balraj.

5. Shri Dinesh Balraj examined himself in the witness box. He states in his evidence that his father late Shri G. M. Balraj, who was the contractor of C.P.M.P. and later on M.O.I. Ltd., is dead and after his death he did not inherit the contract of the above firm. He says that he is working as contractor of the N.O.I. Ltd., The witness further states that the M O.I. Ltd., called for tenders from the contractors, but the tenders were not opened. He further deposes that the company called him and asked him whether he was willing to work on the old rates and he replied that he was not prepared, but after some negotiations the company gave the contract to him. He says in his deposition that there was no such terms in his contract that he was liable for the liabilities of his father, but he entered into a New contract with the company and a licence is issued in his name. In his cross-examination he says that he has got his personal staff of ten persons and the five workmen involved in the dispute were employed by the C.P.M.O. as mine staff and the C.P.M.O. was taken over by the M O.I. Ltd., in 1962, that after the demise of his father the personal staff of his father continued to work in the mine and when he came, he issued them with fresh orders re-appointing them. He further says that the terms and conditions under which his father had the contract are not the same which he entered into with the company.

5. It is contended before me by the learned Counsel for Shri Dinesh Balraj that it is a fresh contract entered into by Shri Dinesh Balraj with the company and he has not inherited the work of his father and therefore, he cannot be a legal representative of his father. It is contended that he entered into the contract with the company in his own right and he cannot be impleaded as legal representative and he is not answerable to the claims of workmen.

6. On the other hand it is contended by representative of the workmen that the workmen have been working at Chikla Mine of the Central Provinces Manganese Ore Co., which was taken over by the Manganese Ore India Ltd., during the pendency of the dispute, that Shri G. M. Balraj was working as contractor at this Chikla Mine and despite the change of hands so far as the Management is concerned, the work at the Chikla mine continued without break for all these years. It is contended that though Shri G. M. Balraj, has been designated as contractor, he was not an independent contractor as the responsibility of paying wages etc., was with the Mine

Manager, who was representing the company and the relationship between the workers and the management was also governed by Payment of Wages Act, Mines Act etc., under which the Manager of the company had the ultimate responsibility in relation to the workers, that the name of Shri G. M. Balraj was symbolic and in fact he represented the undertaking of the company and this being the factual and legal position Shri G. M. Balraj in fact represented the principal employer i.e. Central Provinces Manganese Ore Co. Ltd., thereafter Manganese Ore India Ltd., It is urged that the rights of the workers do not extinguish with the death of Shri G. M. Balraj and so long as the undertakings continue, the liabilities arising out of dismissal of workmen, will subsist and therefore whosoever represents the undertaking is liable to be impleaded in this proceedings and made answerable to the claim of the workmen and that since Shri Dinesh Balraj has stepped in, in place of Shri G. M. Balraj, he is liable to be impleaded as representing the undertaking in this proceedings. It is pointed out that though it was contended by Shri Dinesh Balraj that the tenders were invited by the company, it was only a camouflage as the tenders were not opened and were not considered for the purpose of allotment of contract and in fact the company and Shri Dinesh Balraj acted in collusion to show that he was given a fresh contract. It is argued that since Shri Dinesh Balraj is working at Chikla Mine in the same capacity as that of Shri G. M. Balraj and therefore he is liable to be impleaded he is not there by virtue of his right of inheritance and this burden of proof has not been discharged by him. It is contended that Shri Dinesh Balraj is working in place of Shri G. M. Balraj and therefore he is liable to be impleaded as a representative or agent of the company though he could not be held liable personally but any award of this Tribunal will, ultimately be binding on the Principal Employer through him as responsibilities will be that of the management of the mine.

7. The only point that survives for determination is whether Shri Dinesh Balraj can be impleaded as a party in place of his father Shri G. M. Balraj, as legal representative. It is not in dispute that the late Shri G. M. Balraj was a contractor at Chikla Mine of the Central Provinces Manganese Ore Co., which was later on taken over by the Manganese Ore India Ltd., in 1962 and he continued to be the contractor for the Manganese Ore India Ltd., and that the late Shri G. M. Balraj had not assigned the contract to his son Shri Dinesh Balraj. After death of his father Shri Dinesh Balraj had entered into a fresh contract with the Manganese Ore India Ltd., and he is not answerable to the liabilities of his father so far as is contract is concerned. It is a well-known maxim of law Act to Personalles Moritur cum persona.

It cannot be argued by any stretch of imagination that Shri G. M. Balraj was the representative of the Manganese Ore India Ltd., or its agent. Even if it is considered that Shri G. M. Balraj was the Agent of the company, the agency cannot survive after his death. It is stated categorically by Shri Dinesh Balraj that the five workmen involved in this dispute were employed by the Central Provinces Manganese Ore Company as contractors' mine staff. The mere fact that the tenders were not opened and without opening the tenders the Manganese Ore India Ltd., gave the contract to Shri Dinesh Balraj does not go to prove that Shri Dinesh Balraj stepped in the shoes of his father Shri G. M. Balraj. It was a fresh contract entered into by Shri Dinesh Balraj with the Manganese Ore India Ltd., and he cannot be considered as legal representative of his father so far his father's contract with the company is concerned. Therefore Shri Dinesh Balraj cannot be impleased as the legal representative of Shri G M. Balraj. If at all the workmen had any claim it can only be against the Central Provinces Manganese Ore Co. Ltd., Chikla Groups of Mines. Chikhla which was subsequently taken over by the Manganese Ore India Ltd., but above mentioned parties are not parties to this reference. The workmen can if so advised prevail upon the Central Government for making a reference against the principal employer. Against Shri Dinesh Balraj, they cannot be given any relief. The mere fact that the industry continues does not give any right to the workmen against Shri Dinesh Balraj, who cannot be considered as the legal representative of Shri G. M Balraj, who was a party to this reference. Therefore the reference abates and is dismissed The reference is answered accordingly. I make no order as to costs.

B RAMLAL KISHEN, Presiding Officer.

[No. L-29025/24/74-I.R.IV/9-IV (B)]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1976

का० आ० 2320.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, मद्रास से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 के और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालानिअप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

(1) क्या ग्रेण्डलेज बैंक लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्धतंत्र की, उक्त बैंक के कर्मकारों को आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने की पद्धति बन्द करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(2) क्या ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास के प्रबन्धतंत्र की, उक्त बैंक की 36-डी माउण्ट रोड मद्रास स्थित अपनी शाखा में मशीनीकरण आरम्भ करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो प्रभावित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-12011/34/75-डी० II/ए]

ORDER

New Delhi, the 5th January, 1976

S.O. 2320.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Grindlays Bank Limited Madras and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, wheras the Central Government considers it desirable to refer the said, dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan, shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

(1) Whether the action of the management of Grindlays Bank Limited, Madras in discontinuing the system of the grant of half a day's casual leave to the workmen of the said Bank is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

(2) Whether the action of the management of the Grindlays Bank Limited, Southern Region, Madras, in introducing mechanisation in 36-D, Mount Road, Madras Branch of the said Bank is justified? If not, to what relief are the affected workmen entitled?

[F. No. L-12011/34/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1976

का० आ० 2321.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के समक्ष लम्बित है ;

और व्यथित कर्मकार, जो कटक का निवासी है, यह चाहता है कि उसकी सुविधा के लिए मामले की सुनवाई भुवनेश्वर में की जानी चाहिए ;

और नैशनल इन्शुरेंस कम्पनी लिमिटेड, मामले के भुवनेश्वर में अन्तरित किए जाने के लिए सहमत नहीं है ;

और केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात् यह वांछनीय समझती है कि उक्त विवाद की सुनवाई भुवनेश्वर में की जानी चाहिए और उसका विलम्ब के बिना निपटारा किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा, और उक्त विवाद से संबंधित कार्यवाहियां औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता से वापस होती है और उक्त कार्यवाहियों को, निपटारे के लिए, औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर को अन्तरित करती है और निदेश करती है कि उक्त अधिकरण उस प्रक्रम से कार्यवाहियां चलाएगा, जिस पर वे उसे अन्तरित की गई हैं तथा विधि के अनुसार उनका निपटारा करेगा ।

अनुसूची

अधिसूचना सं० और तारीख	पक्षकारों का नाम
सं० एल-17011/13/71-आई आर आई तारीख 10 सितम्बर, 1975	नेशनल इन्शुरेंस कम्पनी लिमिटेड और उसका कर्मकार ।

[सं० एल-17011/13/71-एल० आर० आई०]

ORDER

New Delhi, the 6th January, 1976

S.O. 2321.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Industrial Tribunal, Calcutta ;

And whereas, the aggrieved worker who is a resident at Cuttack desires that the case should be heard at Bhubaneswar to suit his convenience ;

And whereas, the National Insurance Company Limited is not agreeable to have the case transferred to Bhubaneswar;

And whereas, the Central Government after taking into account the viewpoint of the employers consider it desirable that the said dispute should be heard at Bhubaneswar and disposed of without delay ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and Sub-section (i) of section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri B. N. Misra as the Presiding Officer with Headquarters at Bhubaneswar withdraws the proceedings in relation to the said dispute from the Industrial Tribunal, Calcutta and transfers the same to the industrial Tribunal at Bhubaneswar for the disposal of the said proceedings and directs that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Notification No. and date	Name of the parties.
No. L. 17011/13/71/IRI, dated the 10 September, 1975.	The National Insurance Company Limited and their workman.

[No. L-17011/13/71/IRI]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1976

का० आ० 2322.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र की श्री रमेश खन्ना चौकीदार की छंटनी प्रतिकर का यदि कोई हो, संदाय किए बिना उसकी सेवाएं 10 मार्च, 1971 से समाप्त करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित है, यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-17012/14/74-एल० आर० आई०]

ORDER

New Delhi, the 21st January, 1976

S.O. 2322.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Life Insurance Corporation of India and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Life Insurance Corporation of India, New Delhi in terminating the services of Shri Ramesh Khanna, Chowkidar, with effect from the 10th March 1971, without paying retrenchment compensation, if due is legal and justified, if not, to what relief is the said workman entitled ?"

[No. L-17012/14/74/LRI]

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1976

का० आ० 2323.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में विजया बैंक लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० भागवत होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या विजया बैंक लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धतंत्र का श्री के० बालाया शेरेगार, उक्त बैंक की कुंदापुर शाखा में चपरासी, को 3 जनवरी, 1973 से पदच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/17/76-डी०-II/ए]

ORDER

New Delhi, the 8th March, 1976

S.O. 2323.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Vijaya Bank Limited, and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S Bhagawat shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of the Vijaya Bank Limited, Bangalore is justified in dismissing Shri K. Balaya Sheregar, Peon in the Coondapur Branch of the said Bank with effect from the 3rd January, 1973? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

[No. L-12012/17/76/DII(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1976

का० आ० 2324.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र का श्री अब्दुल रसूल, सन्देशवाहक की सेवाएं 23 जुलाई, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/166/75-डी-II/ए]

ORDER

New Delhi, the 11th March, 1976

S.O. 2324.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of services with effect from the 23rd July 1975 of Shri Abdul Rasool, Messenger, by the management of the State Bank of India, Hyderabad is justified? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

[No. L-12012/166/75/DII(A)]

आदेश

का० आ० 2325.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद, के प्रबन्धतंत्र का श्री नूरुल्ला शरीफ, सन्देशवाहक की सेवाएं 5 अगस्त, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/188/75-डी-II/ए]

ORDER

S.O. 2325.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Rao shall be the presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of services with effect from the 5th August 1975 of Shri Noorulla Shariff, Messenger, by the management of the State Bank of India, Hyderabad is justified? If not, to what relief is the said workman entitled ,"

[No. L-12012/188/75/DII(A)]

आदेश

का० आ० 2326.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र की श्री यू० नरसिंह राव, सन्देशवाहक की सेवाएं 17 जुलाई, 1975 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/191/75-डी-II(ए)]

ORDER

S.O. 2326.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narasing Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of services with effect from the 17th July 1975 of Shri U. Narsing Rao Messenger, by the management of the State Bank of India, Hyderabad, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

[No. L-12012/191/75/DII(A)]

आदेश

का० आ० 2327.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री० टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र का श्री एस० पी० पेंटिआह, संदेशवाहक की सेवाएं 5 अगस्त, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/192/75-डी-II/ए]

ORDER

S.O. 2327.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of services with effect from the 5th August 1975 of Shri S. P. Pentiah, Messenger, by the management of the State Bank of India Hyderabad is justified? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

[No. L-12012/192/75/DII(A)]

आदेश

का० आ० 2328.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव

होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र का श्री शैक अल्लाबक्स संदेशवाहक की सेवाएं 27 जुलाई, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/193/75-डी-II(ए)]

ORDER

S.O. 2328.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exerise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constituties an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of services with effect from 27th July 1975 of Shri Shaik Allabaksh, Messenger, by the management of the State Bank of India Hyderabad, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

[No. L-12012/193/75/DII(A)]

आदेश

का०आ० 2329.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टैट बैंक, हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र का श्री पी० गोपाल रेड्डी, संदेशवाहक की सेवाएं 17 जुलाई, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है

[सं० एल-12012/194/75-डी-II/ए]

ORDER

S.O. 2329.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in execise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (i) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the termination of services with effect from the 17th July 1975 of Shri P. Gopal Reddy, Messenger by the management of the State Bank of India, Hyderabad, is justified? If not to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12012/194/75/DII(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1976

का० आ० 2330.—केन्द्रीय सरकार की राय है इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र का निम्नलिखित 67 कर्मकारों की सेवाएं 23 जुलाई, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

हैदराबाद मुख्य शाखा

1. श्री जगदीश
2. श्री अब्दुल रायूफ
3. श्री टी० धनुष रेड्डी
4. श्री बी० आर० लक्ष्मण राव
5. श्री मो० नूर बेग
6. श्री सी० हरी
7. श्री के० आर० वेंकट स्वामी
8. श्री एच० बाबू राव
9. श्री बी० सत्यानारायण
10. श्री जी० बी० श्रीहरी
11. श्री जे० लक्ष्मण प्रसाद
12. श्री विलसन
13. श्री मो० इब्राहिम
14. श्री एन० किशन
15. श्री मो० जाफर अलीबेग
16. श्री बी० जोहिहाब
17. श्री जी० पाण्डुरंगम्
18. श्री अशोक कुमार
19. श्री सी० के० गोविन्दराज
20. श्री के० रवीन्द्र कुमार
21. श्री डी० सत्यनारायण
22. श्री एस० मोहनराज

हैदराबाद स्थानीय प्रधान कार्यालय

23. श्री के० इन्द्रनाथ
24. श्री नरसिंह प्रसाद
25. श्री के० रामेश्वर राव
26. श्री जी० एच० मनोहर
27. श्री पी० एस० आर० शर्मा
28. श्री के० गलैया
29. श्री पी० दासथागिरी-
30.. श्री पी० शेषगिरि
31. श्री मो० सादिक अली
32. श्री बी० सूर्य प्रसाद
33. श्री वाई० यादगिरि
34. श्री जे० प्रेमराज
35. श्री जे० दिगम्बर राव
36. श्री जे० लक्ष्मन प्रसाद
37. श्री मो० हसम अली
38. श्री राम प्रकाश
39. श्री ए० राजेन्द्र
40. श्री आनन्द कुमार
41. श्री रामुलू
42. श्री मो० फारूल हसन
43. श्री प्रेम राज
44. श्री मोहन राज (1)
45. श्री एस० कृष्ण कुमार
46. श्री लालाराम
47. श्री रामू
48. श्री मोहन लाल (2)
49. श्री ब्रिजपाल (झाड़ूकश)
50. श्री साथान (झाड़ूकश)
51. श्री गोपाल (झाड़ूकश)
52. श्रीमती शीला रानी (झाड़ूकश)
53. श्री गालैयाह (झाड़ूकश)
54. श्री पानैया (झाड़ूकश)
55. श्री यादी रेड्डी (माली)
56. श्री पी० नरसिंह (माली)
57. श्रीमती उर्मिला बाई (माली)
58. श्रीमती शान्ता बाई (माली)
59. श्री एम० बालैया (माली)
60. श्री शंकर (माली)
61. श्री टी० पोचाममा (माली)
62. श्री निवास
63. श्री मालमा
64. श्री के० आर० वेन्कटास्वामी
65. श्री अजीत दास
66. श्री वेन्कटेश्वरलू (संदेशवाहक)
67. श्री श्रीरामलू (सन्देशवाहक)

[सं०एल-12012/168/75-डीII]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th March, 1976

S.O. 2330.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the termination of service of the following 67 workmen by the management of the State Bank of India, Hyderabad with effect from the 23rd July 1975 is justified? If not, what relief are the said workmen entitled?

Hyderabad main branch

1. Shri Jagadish
2. Shri Abdul Ravoof.
3. Shri T. Dhanusha Reddy
4. Shri B.R. Laxman Rao
5. Sh. Md. Noor Baig
6. Shri C. Hari
7. Shri K.R. Venkatswamy
8. Shri H. Babu Rao
9. Shri B. Satyanarayana
10. Shri G.B. Sreehari
11. Shri J. Laxman Prasad
12. Shri Wilson
13. Shri Md. Ibrahim
14. Shri N. Kishan
15. Shri Jaffar Ali Baig
16. Shri B. Jahihad
17. Shri G. Pandurangam
18. Shri Ashok Kumar
19. Shri C.K. Govind Raj
20. Shri K. Ravinder Kumar
21. D. Sathyanarayana
22. Shri S. Mohan Raj

Hyderabad Local Head Office

23. Shri K. Inderanathu
24. Shri Narsing Prasad
25. Shri K. Rameswara Rao
26. G.H. Manohar
27. Shri P.S.R. Sharma
28. Shri K. Galliah
29. Shri P. Dasthagiri
30. Shri P. Seshagiri
31. Shri Md. Sadiq Ali
32. Shri B. Surya Prasad
33. Shri Y. Yadgiri
34. Shri J. Prem Raj
35. Shri J. Digambar Rao
36. Shri J. Laxman Prasad
37. Shri Md. Hasham Ali
38. Shri M. Prakash
39. Shri A. Rajendar
40. Shri Anand Kumar
41. Shri Ramuloo
42. Shri Md. Faruq Hassan
43. Shri Prem Raj
44. Shri Mohan Raj (1)
45. Shri S. Krishna Kumar
46. Shri Lalaram
47. Shri Ramu
48. Shri Mohan Lal (2)

49. Shri Brijpal (Sweeper)
50. Shri Sathan ,,
51. Shri Gopal ,,
52. Shrimati Sheela Rani ,,
53. Shri Gallaiah ,,
54. Shri Chanaiah ,,
55. Shri Yadi Reddy (Mali)
56. Shri P. Narsimha ,,
57. Shrimati Urmila Bai ,,
58. Shrimati Shanta Bai,,
59. Shri M. Babiah ,,
60. Shri Shankar ,,
61. Shri T. Pochamma ,,
62. Srinivas
63. Shri Mallanna
64. Shri K.R. Venkataswamy
65. Shri Ajit Das
66. Shri Venkateswarlu (Messenger)
67. Shri Sree Ramloo ,,

[No. L. 12012/165/75/DII/A]

New Delhi, the 17th June, 1976

S.O. 2331.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. (1) Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th June, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

Reference No. CGIT-38 of 1975

PARTIES :

Employers in Relation to the Bank of Baroda

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri C. V. Pavaskar, Labour Adviser.

For the Workmen—Shri R. V. Gangal,

Shri D. V. Gangal, Advocates.

Industry : Banking **State :** Gujarat

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by order No. L-12012/96/75/DII/A dated 6-9-1975 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the I.D. Act, 1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the scheduled mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Bank of Baroda, Bhadran Branch, in terminating the services of Shri K. R. Mehta with effect from the 19th December, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. After the receipt of the order of reference, notices were issued to the parties for filing their respective statement.

3. The workman in his claim statement submits that the Bank employed him as a Godown keeper at Sawli Branch by letter dated 1-2-1972 and his services were terminated on 25-4-1972. It is submitted that the Bank again appointed him as a godwon keeper for period from 14-12-1972 to 31-7-1973 at Bhadran Branch of the Bank,/but the appointment was further extended upto 25-12-1973. The workman further states that since thereafter no further letter of appointment or extension was given by the bank but the workman was continued in the service of the Bank till 18-12-1974 without any interruption, when all of a sudden the Bank terminated the service of the workman by letter dated 18-12-1974. The workman submits that he was in continuous employment of the Bank from 25-10-1973 till 19-12-1974 i.e. for about 14 months without any break. It is submitted that as a clerk at Bhadran Branch of the Bank he was performing the duties in savings Bank Department, Current account Department, Loan Department Cash Credit Department, Bills Department and Fixed Deposit and also as a typist. It is submitted that as per the practice of the permanent staff alone are given staff S. B. Account number and their salary credited to the said account. It is stated that in the case of this workman he was given a permanent staff S. B. account No. 3795 and his salary was regularly credited directly in his account in the staff ledger. The workman submits that the work which he was doing as a clerk at Bhadran Branch of the Bank was not of a temporary nature and the work continued to exist but the Bank maliciously and without justification and in utter disregard to the provisions of the service conditions of the workman illegally terminated the services of the workman. He further submits that his termination on 19-12-1974 did not arise out of the termination of work for which he was appointed or on account of his being found surplus in the establishment. It is stated that even supposing that the workman had become surplus then the bank ought to have followed the provisions of the law with regard to retrenchment etc., and the Bank ought to have paid retrenchment compensation and gratuity. The workman submits that his appointment, when considered in the background of Sastri and Desai Awards, and Bipartite Settlement shows that it was not for a limited period for work of essentially of a temporary nature, nor was occasioned to meet the temporary increase in work of a permanent nature. It is submitted that under para. 499 of the Sastry Award he was entitled to be treated as a permanent employee and the Bank had no right to arbitrarily terminate the services of the workman. The workman submits that he is now completing 27 years of age and has therefore become age bar for employment and it is impossible for him to secure any other suitable employment. The workman finally prays that the (i) the Bank be directed to reinstate him from 19-12-1974 and to treat him as a permanent hand from the date of his first continuous appointment from 25-10-1973 (ii) to direct the Bank to pay all wages and allowances due and payable to him as if the workman was on duty continously and as permanent workman either as clerk or godown keeper continuously from 19-12-1974 till his reinstatement (iii) to direct the Bank to allow him all other benefits viz., medical and leave, provident fund, bonus etc., to which confirmed hands are entitled under the Bank Award as modified uptodate.

3. The Regional Manager, (Central Region), Bank of Baroda by his written statement submits that the reference is bad in law as the appropriate authority should have subjective satisfaction about the existance of dispute before referring the matter under Section 10B to the Industrial Tribunal. It is submitted that Shri K. R. Mehta was in the temporary employment of the Bank and is therefore, not entitled to raise any alleged disputes and the authorities have right to terminate the services of a temporary employee as and when it thinks fit and proper and no notice or any other procedure is necessary under law.

4. The Regional Manager, Central Region, Bank of Baroda in his supplementary written statement submits that the recital to the order of reference sates that the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matter specified in the Scheduled annexed thereto. It is stated that no dispute exists between it and the workmen employed under them. It is further submitted that there are two unions which represent the workmen of the bank viz., the Gujarat Bank Workers Union

(affiliated to All India Bank Employees Association) and the Gujarat Pradesh Bank Karmachari Sangh (affiliated to All India Bank of Baroda Employees Federation). The Bank says that neither of these unions has raised any demand in respect of reinstatement of Shri K. R. Mehta. It is submitted that consequently there is no dispute exists between the Bank and its workmen and therefore, the reference made by the Government on the assumption that a dispute exists between the Bank and their workmen is without any foundaion. That being so, it is the submission of the Bank, no industrial dispute exists between the Bank and its workmen and therefore the present reference is invalid and bad in law. Without prejudice to the aforesaid contention, the Bank says that the workman, Shri K. R. Mehta has also not service any demand on the management of the Bank, asking for his reinstatement. The Bank submits that in the absence of a demand for reinstatement either from the workmen of the Bank or Shri K. R. Mehta, there can be no industrial dispute and that the reference made by the Government on the footing that a dispute exists is invalid and bad in law. It is submitted that since the aforesaid contentions go to the root of the queston as to the tenability of the present reference, the issue may be decided as a preliminary issue.

5. The workman in his counter to the preliminary points submits that the preliminary points sought to be raised by way of supplementary statement are nothing but an afterthought on the part of the management intended only to delay the proceedings of this reference and intentionally to put the workman to hardships. The workman submits that sponsoring or expousing the dispute by any Union or other workmen is not condition precedent to the existence of an industrial dispute as contemplated under Sec. 2(A) of the I.D. Act, 1947 and Rule 10A of the Industrial Disputes (Central) Rules 1957. The workman further submits that he had submitted a letter of demnad dated 20-12-1974 by registered post A D addressed to the Agent, Bank of Baroda, Bhadran Branch The workman further states that the preliminary points raised by the Bank are not at all tenable and hence this Tribunal be pleased to dismiss the same.

6. Preliminary objections are taken by the representative of the management challenging the maintainability of the reference. It is contended that the reference states that the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the bank of Baroda and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule, but no dispute exists between it and the workmen employed under them. It is argued that there are two unions which represent the workmen of the Bank viz., Gujarat Bank workers' Union affiliated to All India Bank Employees Association and the Gujarat Pradesh Bank Karmachari Sangh affiliated to All India Bank of Baroda Employees Federation and neither of these unions has raised any demand in respect of reinstatement of Shri K. R. Mehta and the assumption of the Government that a dispute exists between the Bank and their workmen is without any foundation. It is urged that as no industrial dispute exists between the Bank and its workmen, the reference is invalid and bad in law. It is argued without prejudice to the above contentions that the workman, Shri K. R. Mehta has also not served any demand on the management of the Bank, asking for his reinstatement prior to approaching the Conciliation Officer and therefore it does not become an industrial dispute and the reference is bad in law and has to be rejected. It is further pointed out by the representative of the management that if the dispute is considered to be an industrial dispute between the worker and the management, then there is no demand by the unions representing the workmen on the management and therefore the reference if to be adjudicated as valid reference does not give jurisdiction as no industrial dispute arose between the management and the Union of workmen in the absence of a specific demand from the union.

7 On the other hand it is contended by the learned Counsel for the workman Shri K. R. Mehta that under Section 2(k) of the I D. Act, Industrial dispute is defined to mean any dispute or difference between the employers and employers or between employers and workmen or between workmen and workmen, which is connected with or with the conditions of labour, of any person and under Section 2A which was inserted in 1965 and came into effect from 1-12-65 it is laid down that where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer connected with or arising out of such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute, and therefore the reference is validly made.

8. At the outset I shall proceed to consider the preliminary objection raised by the representative of the management that no valid demand was made by the workman Shri K. R. Mehta on the management before the commencement of the conciliation proceedings. The workman had addressed a letter on 20-12-1974 before the commencement of Conciliation Proceedings to the Agent, Bank of Baroda, Bhadran in which he stated that the Bank's letter dated 18th December advising him that he has been dischraged from his duties of Godown-Keeper from 19-12-1974 has given him a rude shock as he had been serving the Bank as a Godown-keeper uninterruptedly for the last 14 months. He further states in the letter that he shall be highly obliged if the Bank will be knid enough to reinstate him and confirm him in the Bank's service immediately with retrospective effect from 25-10-1973. Although the letter is not couched in strong terms demanding the reinstatement of the workman, but the workman herein pleads with th Bank to consider his past sevice record and reinstate him with back wages. I fail to understand as to how this letter is not a demand made on the management calling upon to reinstate him in service. The workman cannot be expected to be acquainted with the legal terminology and the letter has to be read as a whole and an inference drawn as a whole. The inference is indubitable that the workman was demanding reinstatement by the Bank immediately with retrospective effect from 25-10-1973, although he may be pleading that justice may be done to him.

9. The second objection raised by the Bank is formidable. In the recital of the order of reference it is stated that the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The Schedule is to the effect "whether the action of the management of Bank of Baroda, Bhadran Branch in terminating the services of Shri K. R. Mehta with effect from the 19th December, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?" Here it is not shown that an industrial dispute exists between the Bank and their workmen in respect of the matters specified in the schedule. Neither of the unions functioning in the Bank has espoused the cause of the workman. No notice of the reference was sent to the unions by the Central Government. Curiously enough the notice of the reference was sent to the workman Shri K. R. Mehta. It was a case of an individual dispute between the workmen Shri K. R. Mehta and the Bank under Section 2A of the I.D Act and therefore the order of reference should have been that the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workman Shri K. R. Mehta in respect of the matters specified in the Schedule, in which case the reference would have been valid and proper, but unfortunately in making the reference the word 'workmen' is used, which renders the reference as invalid. It is also not shown whether an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen. An individual dispute cannot become an industrial dispute under Section 2(k) of the I.D. Act, unless it is espoused by the union of workmen or majority of the workmen employed in the establishment Therefore this reference cannot be one under Section 2A of the I D. Act. Even assuming for a moment that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, it is to be proved that a demand was made by the union on the management prior to the commencement of the conciliation proceedings demanding the reinstatement of Shri K. R. Mehta. Here in this case there is no demand made by the union on the management and therefore the dispute cannot become an industrial dispute. Therefore the present reference is not valid and it has to be rejected. I am supported in my view by the observations of the Supreme Court in the case between Sindhu Resettlement Corporation Ltd. and the Industrial Tribunal, Gujarat, 1968, I, LLA, page 834.

10. This preliminary objection raised by the management is sustained. The reference made by the Government is,

therefore, not competent and it is accordingly rejected. In the circumstances of the case I make no order as to costs.

1st May, 1976

[No. L12012/96/75/DII(A)]

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer,
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

का० आ० 2332.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स डेहरी रोहतास लाईट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लि० डालमियानगर के प्रबन्धतंत्र की उपाबन्ध में वर्णित सभी कर्मकारों के दावों की उपेक्षा करके श्री परीखा राम, फायरमैन को 21-7-1975 से लोको ड्राइवर के पद पर प्रोन्नत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो प्रभावित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

उपाबन्ध

शन्टर्स

1. श्री गनौरी
2. श्री नाथुनी
3. श्री राम जी
4. श्री सुदामा
5. श्री महीप
6. श्री गुलाब
7. श्री सूरज
8. श्री जगदीश
9. श्री मानगार
10. श्री राम कुमार
11. श्री बिहारी
12. श्री जुमन
13. श्री रंगनाथ
14. श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा
15. श्री पूरन

फायरमैन

1. श्री सांची
2. श्री धर्मनाथ
3. श्री बैजनाथ सिंह
4. श्री रामचन्द्र
5. श्री शिवनन्दन तिवारी
6. श्री राज नारायण
7. श्री विद्यार्थी
8. श्री जगन्नाथ
9. श्री देव कुमार सिंह
10. श्री रघुनाथ
11. श्री शिव मुनि
12. श्री शमसुद्दीन
13. श्री गोपाल प्रसाद
14. श्री मुन्निका
15. श्री चत्तू
16. श्री अमरेश्वर
17. श्री बद्री नारायण
18. श्री परिखा
19. श्री जमालुद्दीन
20. श्री लक्ष्मी
21. श्री विश्वनाथ
22. श्री सूरजदेव
23. श्री सलाउद्दीन
24. श्री रियासत

[संख्या एल-41012/1/76-डी-2 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 21st February, 1976

S. O. 2332.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Dehri-Rohtas Light Railway Company Limited and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Dehri-Rohtas Light Railway Company Limited, Dalmianagar, in promoting Shri Parikha Ram, Fireman, to the post of Loco Driver with effect from 21-7-1975 ignoring the claims of all the workmen mentioned in the Annexure is proper and justified ? If not, to what relief are the affected workmen entitled ?

ANNEXURE

Shunters

1. Shri Ganauri
2. Shri Nathuni
3. Shri Ramjee
4. Shri Sudama
5. Shri Mahip
6. Shri Gulab
7. Shri Suraj
8. Shri Jagdish
9. Shri Managar
10. Shri Ramkumar
11. Shri Bihari
12. Shri Juman
13. Shri Rangnath
14. Shri Jagdish Pd. Sinha
15. Shri Puran.

Firemen

1. Shri Sanchi
2. Shri Dharam Nath
3. Shri Baijnath Singh
4. Shri Ramchandra
5. Shri Seonandan Tiwari
6. Shri Rajnarain
7. Shri Vidyarthi
8. Shri Jagannath
9. Shri Deo Kr. Singh
10. Shri Raghunath
11. Shri Seomunni
12. Shri Samasuddin
13. Shri Gopal Pd.
14. Shri Mundrika
15. Shri Chattoo
16. Shri Amareshwar
17. Shri Badrinarain
18. Shri Parikha
19. Shri Jamaluddin
20. Shri Laxmi
21. Shri Bishwanath
22. Shri Surajdeo
23. Shri Salauddin
24. Shri Riasat.

[No. L-41012/1/76-DIIB]

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

का० आ० 2333.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में छावनी बोर्ड, वेलिंगटन के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालनिअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या छावनी बोर्ड, वेलिंगटन के प्रबन्धतंत्र की कुमारी एम० जयालक्ष्मी की सेवाएं 1-3-1975 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नही तो वह किस अनुतोष की हकदार है ?

[संख्या एल-13012/5/75 डी II बी०]
हरबन्स बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 1976

S.O. 2333.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Cantonment Board, Wellington and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Cantonment Board, Willington, in terminating the services of Kumari M. Jayalakshmi with effect from 1-3-1975 was justified ? If not, to what relief is she entitled ?

[No. L.13012/5/75/DII(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

का० आ० 2334.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स फ्रेट कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स फ्रेट कैरियरर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, 23 के प्रबन्धतन्त्र की, अपने कर्मचारियों सर्वश्री आर० एस० राने, एम० आर० पराब, के एम० शेट्टी, नारायण मल्लाप, ए० चौधरी और जगनन्नाथ एम० राक्षे की 14 अप्रेल, 1975 से छटनी करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[सं० एल०31012 (2)/76 डी० IV (ए)]
नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 2334.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Freight Carriers Private Limited, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Freight Carriers Private Limited, Bombay-23 in retrenching from service Sarvashri R. S. Rane, M. R. Parab, K. S. Shetty, Narayan Mallap, A. Chowdhary and Jagannath M. Rakshe their employees, with effect from 14th April, 1975 is justified? If not, to what relief are the workmen entitled ?

[No. L-31012(2)/76-D. IV(A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 11 मार्च, 1976

का० आ० 2335.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के पावर हाउस, जामाडोबा कोयला खान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और श्री अलाउद्दीन, साधारण मजदूर तथा उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण एवं-श्रम न्यायालय (संख्या-2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड के पावर हाउस, जामाडोबा कोयला खान, डाकघर जामाडोबा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की श्री अलाउद्दीन साधारण मजदूर की सेवा 27 फरवरी, 1975 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-20012/221/75/डी० III(ए)]

ORDER

New Delhi, the 11th March, 1976

S.O. 2335. Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Power House, Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, and Shri Allauddin, G. Mazdoor and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Power House, Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad in terminating the services of Shri Allauddin, General Mazdoor with effect from 27th Februray, 1975 is justified ? If not, to what relief he is entitled ?

[No. L-20012/221/75-D-III(A)]

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 31 मार्च, 1976

का० आ० 2336.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बी० सी० सी० लिमिटेड की कूरिडिह कोयला खान, डाकघर कतरासगढ़ जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड डाकघर कतरासगढ़ जिला धनबाद की कूरिडिह कोयलाखान, के कर्मकार श्री के० एन० सिंह 17-10-71 को कार्यभार संभालने की तारीख से ज्येष्ठ ओवरमैन/भारसाधक ओवरमैन के रूप में नियुक्ति की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल/20012/81/75-डी० III(ए)]

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1976

S.O. 2336.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Kooridih Colliery of M/s B.C.C. Ltd. P.O. Katrasgarh Distt. Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2 Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of Shri K. N. Singh, workman of Kooridih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Katrasgarh Distt. Dhanabad for being placed as Senior overman/overman Incharge from the date of take over on 17-10-71 is justified ? If so, to what relief the workman is entitled ?

[No. L-20012/81/75-DIII(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1976

का० आ० 2337.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बेनीडिह कोयला खान के सेन्ट्रल जयरामडिह और माडल जयरामडिह अनुभाग, डाकघर-नावागढ़, धनबाद से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन के लिये निर्देकरना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं-श्रम न्यायालय संख्या-2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बेनीडिह कोयला खान, डाकघर नवागढ़ जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र का श्री तपन कान्तिपाल, कार्यालय प्रभारी सेन्ट्रल, जयरामडिह अनुभाग और श्री देवीकल्याण पाल, कार्यप्रभारी, माडल जयरामडिह, अनुभाग बेनीडिह कोयलाखान, को मार्च /अप्रैल, 1973 से काम करने से रोकना न्यायोचित था ? यदि नहीं तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है और किस तारीख से ।

[सं० एल-20012/271/75-डी०/III(ए)]

ORDER

New Delhi, the 17th April, 1976

S.O. 2337.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Joyramdih and Model Joyramdih sections of Benedih Colliery of M/s Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Nawagarh Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court No. 2, Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Benedih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd. Post Office Nawagarh Dist. Dhanbad were justified in stopping from work Shri Tapan Kanti Paul Office Incharge Central Joyramdih Section and Shri Debykalyan Paul Work Incharge Model Joyramdih Section of Benedih Colliery from March/April, 1973 ? If not to what relief are these workmen entitled and from what date ?

[No. L-20012/271/75-DIII(A)]

New Delhi, the 18th June, 1976

S.O. 2338.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Bhowra, Dist. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 15-6-1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 16 of 1975

In the matter of an industrial dispute under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Ministry's order No. L-2012/38/74-LRII dt. 10-2-75)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhowra Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

State : Bihar **Industry :** Coal

AWARD

In the above reference the following issue has been framed :

SCHEDULE

"Whether the management of Bhowra Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad, are justified in stopping from work (1) Kalia Turi, (2) Hiramuni Mejhan, (3) Pachkori Rajwar, (4) Bandhu Rajak, (5) Ratuli Mahatan, (6) Resona Turi, (7) Natif Rajwar, (8) Nitai Turi, (9) Simala Majhian, (10) Moti Turi, (11) Md. Sakar, (12) Adoni Mahatain and (13) Chari Kamin with effect from 8-10-1973? If not to what relief are these workmen entitled ?"

From the employers side a preliminary point is raised and that point was heard as a preliminary issue. In the Bhowra colliery of M/S Bharat Coking Coal Ltd. there were several contractors who carried on the job of overburden removal by their own labour. Shri N. K. Sharma was one of those contractors who employed 20/22 workers under him for the job including the 13 workers concerned in this case. The management in pursuance of their decision to abolish contract labour system terminated the contract of N. K. Sharma for overburden removal work w.e.f. 8-10-73. Accordingly their contractor stopped the workers from work. Shri T. P. Choudhury, learned Advocate for the employers contended that these workers were not in the employment of the Bharat Coking Coal Ltd. and there is no relationship of employer and employee between the Bharat Coking Coal Ltd. and the concerned workmen and so there is valid dispute between the parties to the reference. The learned Advocate for the workman Shri J. D. Lal contends that though the workers were working under the contractor yet the erstwhile employer before Nationalisation viz. Oriental Coal Company was their statutory employers by virtue of the definition of the word 'employee' given in the certified standing orders of the erstwhile company and so employer-employee relationship existed and exist. Now a copy of the certified Standing orders has been filed (Ext. W.1). There is no doubt about it that certified standing orders have statutory force. In the standing orders it is said that employees mean all work people male or female employed above ground or underground either directly by the company or under a contractor. The learned Advocate for the workers Shri J. D. Lal refers to decisions (1) Jagdish Mittra Sharma v. Jiyajiee Rao Cotton Mills Ltd. 1969 Lab. I.C 123 (Vol. 2 C.N. 31), Madhya Pradesh, (2) The W.I.M. Co. v. Rameshwar Prasad, 1971 Lab. I.C. 1447 (V. 4 C. 356) Allahabad High Court. The first decision holds that the certified standing orders represent relevant terms and conditions of service having statutory force. The second decision holds that standing orders have statutory force and hence they become statutory terms of employment between the industrial employer and his employees. It is clear from the above decisions that certified standing orders do not create the relationship of employer and employee but they provide statutory terms and conditions of service as between the industrial employer and its employees. So these rulings are not helpful to show that there was employer-employee relation as between the parties. So how the definition of employee should be construed as given in the certified standing orders (Ext. W. 1). As the standing orders do not create employer-employee relationship, the definition of contract labourers as employees in the standing orders can only mean, that the contract labourers are entitled to the benefits as given in the standing orders like the direct employees of the company. That is, they are to be regarded as employees of the company for the purpose of enjoyment of the benefits conferred by the standing orders. Then from the side of workers a decision between Basti Sugar Mills and Ram Ujangar, (SCLJ 6 3867 S.C) has been relied upon. That was a case under U.P. Industrial Disputes Act, 1947. There under the Act itself, persons employed by the contractors were made employees being persons employed in the industry. So that does not help us. The fact of the case in Saraspur Mills Co. Ltd. v. Ramanlal Chimanlal and others are different (1973 Supreme Court cases (L & S) 410. That was a case under Bombay Industrial Disputes Relations Act, 1946. So the net effect comes to this that it has not been

proved that the workers concerned are to be treated as employees of the company for all purposes. They have only been given the priviledge of enjoyment of the benefits as given in the certified standing orders. The standing orders do not create the regular employer-employee relationship between the parties.

That being so, the reference is not maintainable against the employers i.e. the management of Bhowra colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. in respect of the issue in the order of reference.

This is my award.

11th June 1976

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

[No. L-2012/38/74-LRD-III. A]

S.O. 2339.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P. O. Jealgora, Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 15-6-1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 15 of 1975

In the matter of an industrial dispute u/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Ministry's Order No. L-2012/52/74-LR. II dt. 12-2-75).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Jealgora, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri Samiran Pal, Advocate.

State : Bihar **Industry** : Coal

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour sent the above reference to this Tribunal for adjudication of the industrial disputes involved with the following issues framed :

"1. Whether the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P. O. Jealgora., Dist. Dhanbad are justified in not promoting as Driller and paying wages of Category IV to S/Shree Laloo Lochan and Durga from 1969 and Shri Janeshwar from 1971 as per the recommendations of the Central Wage Board on Coal Mining Industry ?

2. If not, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date ?"

Admitted facts remain that in 1969 and 1971 East India Coal Co. Ltd. was the owner of Jealgora Colliery. On 17-10-71 the management of the colliery was taken over by the Central Govt. and from 1-5-72 the taken over colliery was nationalised. The case of the workmen remains that they were not given promotion as Driller from 1969 and from 1971 in one case. In 1969 and 1971 the Bharat Coking Coal Ltd. was not in the picture in any way. If in 1969 and 1971 the then private employers did not give them promotion, how in 1976, the B.C.C. Ltd. will be liable to give them the promotion. The erstwhile owner is not a party in this case. Section 9 of the Coal Mines Nationalisation Act is a complete answer to the workmen's case. The appointed day in the Nationalisation Act is 1-5-72 and Section 9 of this Act says that any liability of the owner, agent or Manager of a Coal Mine for any period prior to the above appointed day should the liability of such owner, agent and Manager and not of the Central Govt. or Govt. company. It is further declared under Section 9 that no award passed after the appointed day for any claim or dispute for any period prior to the appointed day cannot be enforced against the Central Govt. or the Govt. Company. Section 17 of the Nationalisation Act does not stand by itself but is subject to Section 9 of the Act. Admittedly the cause of action of the concerned workman arose before the take over when B.C.C. Ltd was not in the picture. Section 9 of the Act has given a blanket protection to the Central Govt. or Govt. company after the nationalization. So the reference is incompetent and not maintainable against the employers.

In the result, the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Jealgora (Dhanbad) are justified in not promoting as Driller and paying wages of Category IV to S/Shri Laloo Lochan, and Durga from 1969 and Shri Janeshwar from 1971, as per the recommendations of the Central Wage Board on Coal Mining Industry. The workmen, are therefore entitled to no relief.

This is my Award.

[F. No. L-2012(52)/74-LR II/D-III (A)]

K. K. SARKAR, Presiding Officer

S.O. 2340.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kujama Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Jharia, Dist. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th June, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

Reference No. 51 of 1975.

In the matter of an industrial dispute u/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Ministry's Order No. L-20012/133/74-LRII/D.IIIA dated 13th May, 1975).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kujama Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P O. Jharia, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Advocate.

State : Bihar **Industry** : Coal

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour sent the above reference to this Tribunal for adjudication of the industrial disputes involved with the following issues framed :

"1. Whether the management of Kujama Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P. O. Jharia, Dist. Dhanbad are justified in stopping Shri Puna Mallah, General Mazdoor from work w.e.f. 20th June, 1974 ?

2. If not, to what relief is the said workman entitled ?"

The case of the workmen in short is that the concerned workman had been working for long as a permanent mazdoor in the Colliery. Although he had rendered more than one year of continuous service till his services have been terminated without any reason and without any chargesheet or enquiry. This is so because he happens to be a member of Bihar Colliery Kamgar Union which the management does not like. It is an act of victimisation.

The management in their written statement say that the concerned workman was a casual wagon loader and used to work as such as and when job was available. When extra wagons were placed on some days in a week he got the work. The job in which he was engaged was of intermittent nature. Due to inundation and subsidence the Kujama Colliery was completely closed for production since March, 1974 and a large number of permanent workers were transferred to some other collieries of B.C.C. Ltd. Due to circumstances, the management could not provide any work to the casual workers and he became idle from June, 1974.

Now in the written statement of the workmen, the concerned workman has been admitted to be a mazdoor and not a Onsetter, though it is claimed in the written statement that he is a permanent mazdoor. In support of his case the workmen depend on Ext. W. 1 which is a certificate said to have been given by the Manager of North Kujama Colliery of Gangji Dossa & Sons, Jharia and it is dated 21-8-71. The person who issued this certificate has not been examined though he is alive. Not much importance can be given to this certificate. In this certificate the concerned workman has been said to be an onsetter but that is not the case of the workmen in their written statement where he has been said to be a permanent mazdoor. When in the written statement of the workmen, the concerned workman has been described as a mazdoor, the workmen cannot claim at the time of hearing that he was an onsetter as that would be taking the other side by surprise. But then it is to be seen if the concerned workman was a mazdoor as claimed in the written statement. B form Register has been produced (Ext. M. 1). In this register the nature of his job has not been given though there is a column for the same. In the Bonus Register for casual workers he has been shown as Casual mazdoor (Ext. M. 2). So the managements contention that he was a casual wagon loader is believed by this bonus register. The learned Advocate for the workman submits that if the attendance register and Cap Lamp register was produced it would have shown that he was an Onsetter. When in the written statement it is admitted that he was a mazdoor, his question does not arise. So the only point that remains now is to see if he was a regular or casual mazdoor. The evidence of the concerned workman is that from 1960/61 he had been working in Kujama Colliery and even after take over on 17-10-71 he continued to work. After take over he was once stopped from work and when he approached the management with proof he was again given job. In the bonus register he has been shown as casual. But there is no reason why the nature of his job should not have been mentioned in the B form Register, which is the proper place. Then the cap lamp register and attendance register though called for have not been produced. It was the managements liability to produce these registers and their non-production raises an adverse presumption. Taking all things into consideration I am not inclined to believe that he was a casual mazdoor specially in view of the fact that he has been working in the colliery from 1960/61. He may or may not have been made permanent but the fact remains that he has acquired the status of a regular mazdoor in the colliery. It is true that due to inundation in June, 1974 this colliery has been closed. But the management admits in their written statement that all permanent workers were transferred to some other collieries of B.C.C. Ltd. and some were given alternative jobs. So, why should not this man be given some alternative job or transferred to some other colliery. He has a good claim for this as ever since 1960/61 he has been working in the colliery. It is not proper that he should be driven out simply because in the Bonus register he has been shown as casual mazdoor. The management is not, therefore, justified in stopping him altogether from work when he appears to be a very old workman.

In the result, I find that the management of Kujama Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. are not justified in stopping Shri Puna Mallah, General Mazdoor from work with effect from 20th June, 1974. He should therefore be reinstated in job with continuity of service according to the rules of the company. He should also be paid back wages till he is reinstated in job.

This is my Award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

10th June, 1976

[F. No. L 2012(133)/74-LRII/D-III A]

R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 1976

का० आ० 2341.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 531 तारीख 2 मार्च, 1961 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा, अर्थात:—

"(46) श्री डी० एन० बागची"

[फाइल संख्या ए-32013/5/75-एम I]

जे० सी० सक्सेना, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 1976

S.O. 2341.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 531 dated the 2nd March, 1961, namely :—

In the said notification, the following entry shall be omitted, namely :—

"(46) Shri D. N. Bagchi".

[File No. A. 32013/5/75-MI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 1976

का० आ० 2342.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार मुद्रणालय कोराट्टी जिला त्रिचूर, केरल के कर्मचारी, अन्यथा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रसुविधाओं जैसी प्रसुविधाएं सारतः प्राप्त कर रहे हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2970 तारीख 26 अगस्त, 1975 के अनुक्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने को 6 जुलाई 1976 से 5 जुलाई 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के लागू होने से छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि के संबंध में देनी थीं।

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन, नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो :—

(i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उक्त अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबंधों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करना कि वह ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करे, और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझें ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्त्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाएं या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना।

[सं० एस० 38017/7/74-एच० आई०]

New Delhi, the 16th June, 1976

S.O. 2342.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Government Press, Koratty, Trichur District, Kerala, are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2970 dated the 26th August, 1975 the Central Government after consultation with the Employees State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 6th July, 1976 up to and inclusive of the 5th July, 1977.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such fom and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance(General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official or the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provision were in force in relation to the said factory.

be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to funish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38017/7/74-HI]

का० आ० 2343.—यतः आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में, श्री एम० आर० पाई के स्थान पर श्री बी० सी० गंगोपाध्याय, सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य आवास और म्युनिसिपल प्रशासन विभाग, हैदराबाद को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अत, अब, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1517, तारीख 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्ष के नीचे मद 8 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री बी० सी० गंगोपाध्याय,
सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार,
स्वास्थ्य आवास और म्युनिसिपल प्रशासन विभाग,
हैदराबाद ।"

[संख्या यू-16012 (2)/76-एच० आई०]

S.O. 2343.—Whereas the State Government of Andhra Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri B. C. Gangopadhyay, Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Health Housing and Municipal Administration Department, Hyderabad to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri M. R. Pai;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976 namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri B. C. Gangopadhyay,
Secretary to the Government of Andhra Pradesh,
Health Housing and Municipal Administration Department,
Hyderabad.."

[No. U-16012/2/76-HI]

नई दिल्ली, 18 जून, 1976

का० आ० 2344.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 4 जुलाई, 1976 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के अतिरिक्त जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के अतिरिक्त जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"परगना लोनी, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ के मखनपुर, प्रहलाद गढ़ी, काड्काड्, झादान, झंडापुर, करकर मंडन, महाराजपुर, हसनपुर और भोवापुर के राजस्व ग्रामों की सीमाओं में पड़ने वाले क्षेत्र।"

[सं० 38013/1/75-एच० आई०]
दलजीत सिंह, उप-सचिव

New Delhi, the 18th June, 1976

S.O. 2344.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 4th July, 1976 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttar Pradesh, namely :—

The areas falling within the limits of revenue villages of Makhanpur, Prahlad Garhi, Kadkad Jhadan, Jhandapur, Karkar Mandan, Maharajpur, Hasanpur, and Bhovapur of Pargana Loin, Tehsil Ghaziabad, District Meerut.

[S-38013/1/75-HI]

DALJIT SINGH, Dy. Secy.

शुद्धिपत्र

का० आ० 2345—भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 22 अप्रैल, 1976 के पृष्ठ 956 पर प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 307 (अ) तारीख 22 अप्रैल, 1976, में स्पष्टीकरण में, खंड (झ) के स्थान पर खंड (ञ) पढ़िये।

[सं० एस-42013/2/76-डब्ल्यू सी]

एम० ए० एम० राव, उप-सचिव

CORRIGENDUM

S.O. 2345.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 307(E), dated the 22nd April, 1976 published at page 955 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd April, 1976, in the Explanation, for clause (i) read clause (j).

[No. S. 42013/2/76-WC]

M. A. M. ROA, Dy. Secy.

(राजस्व और बैंककारी विभाग)

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 1976

स्टाम्प

का. आ. 2346.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से जो हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा जारी किए गए जाने वाले पचपन लाख रुपये मूल्य के बचन पत्रों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य, है, छूट देती है।

[सं. 32/76-स्टाम्प—फा. सं. 471/27/76-सीमा शुल्क-7]

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 1976

STAMPS

S.O. 2346.—In exercise of the powers conferrd by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of fifty-five lakhs of rupees to be issued by the Haryana Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 32/76-Stamps—F. No. 471/27/76-Cus. VII]

आदेश से

नई दिल्ली, 23 जून, 1976

का. आ. 2347.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क में जो आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले दो करोड़ और पचहत्तर लाख रुपये मूल्य के डिबेंचरों और पश्चात्वर्ती अंतरण के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है ।

[सं 31/76/स्टाम्प सं. 471/26/76-सी.]

डी. के. आचार्य, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 1976

S.O. 2347.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the debentures to the value of two crores and seventy-five lakhs of rupees, to be issued by the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, and the documents evidencing subsequent transfer of the same, are chargeable under the said Act.

[No. 31/76-Stamps/F. No 471/26/76-Cus VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.